खण्ड-404, अंक-8
सोमवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1914
(30 मार्च, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 404 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदस्य	क–ख
ा की सेवा से निलम्बित सदस्यों का निलम्बन वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1
इस सदन के उपवेशन के कार्यों को आज स्थगित करके पहले अयोध्या की चर्चा कराये जाने का प्रस्ताव (जारी)	2
प्रश्नोत्तर (जारी)	2–4
इस सदन के उपवेशन के कार्यों को आज स्थगित करके पहले अयोध्या की चर्चा कराये जाने का प्रस्ताव (अस्वीकृत)	4–6
प्रश्नोत्तर	6–78
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	78–79
जनपद टिहरी गढ़वाल में चम्बा मंसूरी फलपट्टी योज़ना के अन्तर्गत उद्यानों का आवंटन निर्धारित शर्तों पर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	79
जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79–80
जनपद बांदा के कतिपय गांवों में पाठशालायें खुलवाने एवं भवन विहीन पाठशालाओं के भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद बांदा के ग्राम पैलानी में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	80
जनपद उत्तर काशी की जिला सेक्टर योजना को बजट की अत्यंत कम धनराशि आवंटित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
बरेली में आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मण्डलीय अस्पताल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
अयोध्या में मंदिरों को तोड़े जाने के संबंध में चर्चा की मांग ..	81–84
निलम्बित सदस्यों का निलम्बन वापस लिये जाने हेतु संसदीय कार्य मंत्री को श्री अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी ..	84–85
अयोध्या में मन्दिर निर्माण विषयक सदन में दिये गये उत्तेजनात्मक भाषण अंश को कार्यवाही से निकाले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	86–87

विषय	पृष्ठ-संख्या
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने विषयक औचित्य का प्रश्न	87
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (जारी) ..	88–90
औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं पर पुनर्विचार करने का अनुरोध (अस्वीकृत)	90–91
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	91
कार्य-स्थगन, प्रस्ताव की सूचनाएं	91
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत) ..	92
नेता विरोधी दल व अन्य दलों के नेताओं की अनुपस्थिति के कारण बजट पर सामान्य चर्चा के स्थगन की मांग	92–93
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)	93–113
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 का स्थगन	113
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	113–114
सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में एम०बी०बी०एस० फाइनल की परीक्षा स्थगित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	114
जनपद टिहरी गढ़वाल की हिन्डोला खाल–हिन्सरिया खाल ग्राम समूह पेयजल योजना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ..	114–116
नत्थियां	117–125

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 30 मार्च 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अकबर, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश, श्री	महराजगंज
अजय प्रताप सिह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोंडा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर
अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर
अरविन्द प्रताप सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अरुण प्रताप सिंह, श्री	सुल्तानपुर
अवध पाल सिंह, श्री	एटा
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ
अशोक कुमार सिंह,श्री	रायबरेली
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
उमानाथ, श्री	जौनपुर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर
कटार सिंह, श्री	मेरठ
कुंवर रेवती रमण सिंह, उर्फ मणि जी, श्री	इलाहाबाद
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर
कृष्ण स्वरूप,श्री	बदायूं
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी
खालिद गौरी, श्री	हरदोई
गंगा बक्श सिंह, श्री	उन्नाव
गामाराम शास्त्री, श्री	गाजीपुर
गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोमती प्रसाद, श्री	लखनऊ
घुरहू, श्री	बलिया
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
जगदम्बा सिंह, श्री	बस्ती
जगदीश मुनि आचार्य, श्री	हरिद्वार
जगराम सिंह, यादव, श्री	कानपुर नगर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थ नगर
जे० पी० सिंह मेजर, श्री	मुरादाबाद
ज्ञानवती सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
ठाकुर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
तेजपाल, श्री	हरिद्वार
दयाराम वर्मा, श्री	हरदोई
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दुलारे लाल, श्री	मिर्जापुर
दौलत राम, श्री	सीतापुर
धनीराम वर्मा. श्री	इटावा
धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश सभा

नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह, श्री	मथुरा
बृजेश कुमार शर्मा, श्री	प्रतापगढ़
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
भोला सिंह,श्री	इलाहाबाद
मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ	
बद्री प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मदन भैया, श्री	मेरठ
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
मोहम्मद हसन, श्री	सहारनपुर
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमाकांत यादव, श्री	आजमगढ़
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राधेश्याम वर्मा, श्री	बाराबंकी
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
राम कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्यारे शुक्ल, श्री	सुल्तानपुर
राम प्रसाद सिंह, श्री	बांदा
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर देहात
रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री	मैनपुरी
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाखन सिंह, श्री	नैनीताल
लालचन्द्र, श्री	जौनपुर
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा, श्री	लखनऊ
विजयपाल सिंह, श्री	आगरा
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विजेन्द्र कुमार, श्री	गाजियाबाद
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
श्याद अली, श्री	प्रतापगढ़
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, श्री	कानपुर देहात
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
श्याम नारायण, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्रीराम, श्री	मऊ
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सरजीत सिंह डंग, डा०	मिर्जापुर
सुखदेव, श्री	आजमगढ़
सुधाकर वर्मा, श्री	एटा
सुरेन्द्र नाथ, श्री	बाराबंकी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश प्रताप गांधी, श्री	अलीगढ़
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

सदन की सेवा से निलम्बित सदस्यों का निलम्बन वापस लिये जाने का प्रस्ताव

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी आज प्रश्न काल समाप्त कर दें.....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल हो जाने दीजिये ।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, विपक्ष की ओर से विभिन्न नेताओं ने आग्रह किया था कि जिन माननीय सदस्यों को निलम्बित किया था वह समाप्त किया जाय । तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि विभिन्न माननीय सदस्यों का निलम्बन वापस कर लिया जाय....

(व्यवधान)

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवम् संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जैसा बहुजन समाज पार्टी के माननीय नेता ने अपने विचार व्यक्त किये हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया है माननीय राम लखन वर्मा जी की ओर से, आप कृपया शान्त हो जायं । माननीय वर्मा जी एक प्रस्ताव लाये हैं.....

(व्यवधान)

कृपया एक मिनट के लिये शान्त हो जायं । आप लोगों ने उनका प्रस्ताव लगता है, सुना नहीं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जो सुझाव आया है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं । उस दिन जो घटना आदरणीय सदन में हुई वह किसी तरह से शोभनीय नहीं थी मैंने माननीय सदस्यों को समझाया है और मैं आशा करता हूं भविष्य में हम लोग मिल कर सदन को सही तरह से चलायेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो भी माननीय सदस्य दिनांक 24 और 25 मार्च, 1992 को इस सदन की सेवा से निलम्बित हुये थे उनका शेष कालावधि का निलम्बन वापस ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन के जो माननीय सदस्य दिनांक 24 और 25 मार्च, 1992 को इस सदन की सेवा से निलम्बित हुये थे उनका शेष कालावधि का निलम्बन वापस ले लिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

इस सदन के उपवेशन के कार्यों को आज स्थगित करके पहले अयोध्या की चर्चा कराये जाने का प्रस्ताव

(जारी)

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मेरा निवेदन है सुन लें, मैंने 311 में आपको नोटिस दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

311 की सूचनायें मैं प्रश्न काल समाप्त होने के बाद लूंगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है 110 में, इस सदन के उपवेशन को स्थगित कर दिया जाय उसका कारण यह है कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है उससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है । वहां धार्मिक प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया है ।....

प्रश्नोत्तर †

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा उ० प्र० की आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित वित्तीय संस्तुतियों को पूरी तरह से स्वीकार न किये जाने के कारण योजना पर प्रभाव एवं सरकार द्वारा किये गये उपाय

**1–श्री सुरेश प्रताप गांधी (अनुपस्थित)–

क्या नियोजन मंत्री को ज्ञात है कि केन्द्रीय योजना आयोग ने उ० प्र० की आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित वित्तीय संस्तुतियों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है ? यदि हां, तो वित्तीय संस्तुतियों की पूर्ण स्वीकृति के अभाव में अष्टम पंचवर्षीय योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? सरकार कटौती की पूर्ति के लिए क्या-क्या उपाय करने पर विचार कर रही है ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

केन्द्रीय योजना आयोग ने प्रदेश की आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के परिव्यय के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के समस्त असहायिक स्थायी मान्यता प्राप्त जू० हा० स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लिए जाने पर विचार किये जाने की मांग

**2–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त असहायिक स्थायी मान्यता प्राप्त जू० हा० स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1992-93 में

---

† तत्समय निलम्बित सदस्यों को कार्य-सूची से हटाये गये प्रश्नों को निलम्बन वापस हो जाने के कारण दिनांक 27 अप्रैल, 1992 को उत्तरित किया गया ।

शासन द्वारा वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लिये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जी नहीं ।

शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1992-93 में समस्त अशासकीय स्थायी मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लिया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

(बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ल द्वारा लिखित उत्तर पढ़े जाने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कोई अनुपूरक प्रश्न करना चाहें ।

(कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं । शान्त रहें । प्रश्नकाल हो जाने दीजिये ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री बलराम यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*2–श्री सुरेन्द्र सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*3–श्री हृदय नारायण दीक्षित –

[8वें सोमवार में ता० प्र० सं० 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री सुरेन्द्र सिंह–

[4 थे मंगलवार में नियम 38(2) के ता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या एवं वेतन एवं इन्हें नियमित किये जाने की मांग

*2–श्री राम लखन वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अंतर्गत 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत वर्क चार्ज कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? उन्हें कितना वेतन दिया जा रहा है तथा

उनके नियमित किये जाने में शासन को क्या कठिनाई है ? इतनी लम्बी अवधि से कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा ?

(घोर व्यवधान के मध्य ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री हरवंश कपूर द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया ।)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हरवंश कपूर)–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में 5 वर्ष से अधिक कुल 26 वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं ।

1 कर्मचारी को 250 रु०, 19 कर्मचारी को 300 रु०,

1 कर्मचारी को 350 रु०, 1 कर्मचारी को 680 रु०,

1 कर्मचारी को 750 रु०, महंगाई भत्ता तथा 3 कर्मचारी को 750 रु० प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है । वर्कचार्ज कर्मचारियों का वेतन कार्य के विरुद्ध आहरित किया जाता है । इनके भुगतान हेतु विभाग के अधिष्ठान मद में कोई प्राविधान नहीं है और न ही इनके लिए कोई पद स्वीकृत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(प्रश्नोत्तर के मध्य)

इस सदन के उपवेशन के कार्यों को आज स्थगित करके पहले अयोध्या की चर्चा कराये जाने का प्रस्ताव (अस्वीकृत)

श्री लालजी वर्मा, श्री सुधीर, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री विजय पाल सिंह तोमर, श्री लीला राम शर्मा, श्री मारकण्डेय सिंह, श्री अब्दुल ए० सलाम सदन के वैल में आ गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे । [x x x] यह सरकार नहीं चलेगी – नहीं चलगी के नारे भी लगाने लगे ।

श्री लालजी वर्मा–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, सदन अव्यवस्थित है.....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री पाण्डेय जी अपना स्थान ग्रहण कर लें । मैं प्रश्नकाल के बाद आपकी बात सुनूंगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पहले हमारी बात सुन लीजिये तब प्रश्नकाल होगा । निलम्बन वापस नहीं लिया गया आज तक । हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं । अभी प्रमोद तिवारी भी अयोध्या गये थे और देखकर आये थे.

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप निलम्बन की बात कर रहे हैं । आपने अभी प्रस्ताव सुना नहीं । नियमों के अन्तर्गत उचित समय पर बात कहें तो सुना जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

पूरे अपोजिशन का प्रश्न है । सब लोग नदारद हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री लालजी वर्मा–

पूरे प्रदेश का मामला है । पूरे प्रदेश की निगाहें इस पर लगी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले अपना आसन ग्रहण कर करें ।

(सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री ऊदल–

मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आपने रखा है प्रश्नकाल के बाद इसमें टाइम दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

आज इतने कम प्रश्न हैं इनको ले लें ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

[xxx]

(व्यवधान)

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल चल लेने दें । कुछ भी लिखा नहीं जाएगा ।

श्री लाल जी वर्मा–

[xxx]

(व्यवधान)

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हो जाने दीजिए ।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री लालजी वर्मा–

[x x x]

(व्यवधान)

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रस्ताव उपस्थित किए देता हूं।

प्रश्न यह है कि माननीय लालजी वर्मा ने जो प्रस्ताव किया है कि इस सदन के उपवेशन के कार्यों को आज स्थगित करके पहले अयोध्या की चर्चा कराई जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा–

यह सरकार मान्यवर, विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहती है और विपक्ष की अनुपस्थिति में सरकार चलाना चाहती है। यह सरकार धर्म विरोधी और संविधान विरोधी कार्य कर रही है इसलिए बिना अपोजीशन के सरकार चलाना चाह रहे हैं। यह सरकार फासिस्टवादी तरीके से कार्य कर रही है। सरकार की इस कार्यवाही के विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(माननीय लाल जी वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये एवं उनके साथ कांग्रेस दल के लोग भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री किशोरी लाल–

मान्यवर, दिनांक 25 मार्च को आपसे एवं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहा गया था, नेतागणों ने निवेदन किया था कि जिन माननीय सदस्यों का निलम्बन किया गया है उनके निलम्बन को वापस कर लिया जाय लेकिन निलम्बन को वापस नहीं लिया गया था। आज जब सभी विधायक यहां नहीं हैं तो निलम्बन को वापस किया जा रहा है। उस समय कहा गया था कि मतदान करा लीजिए तो मतदान नहीं कराया गया था। सरकार चाहती है कि विपक्ष न रहे। विपक्ष के बिना लोकतंत्र की जड़े मजबूत नहीं रह सकती हैं। सरकार की इस कार्यवाही के विरोध में मैं और मेरे साथी सदस्य सदन का बाईकाट करते हैं।

(श्री किशोरी लाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप अनुपूरक प्रश्न करें।

नोटः–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत 5 वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रहे 26 कर्मचारी कार्यरत् हैं। मेरी जानकारी है, शासन का जी०ओ० है कि तीन वर्ष की सेवा जब पूरी हो जाती है तो उस कर्मचारी को परमानेन्ट कर दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि उनको अभी तक परमानेन्ट न करने का क्या कारण है ?

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत जो कार्य कराये जाते हैं वह डिपाजिट वर्क होते हैं। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के पास ऐसा बजट नहीं है कि वह कर्मचारियों को इस प्रकार से रखे। सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता द्वारा जैसे-जैसे आवश्यकता होती है वैसे कर्मचारी रखे जाते हैं। सहायक अभियन्ता को 200 रुपये, अधिशासी अभियन्ता को 300 और अधीक्षण अभियन्ता को 500 तथा मुख्य अभियन्ता को 750 रुपये तक, ऐसे कर्मचारी वह रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जो लोग 3 वर्ष से सेवा कर रहे हैं उनको स्थायी क्यों नहीं किया गया है ?

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, स्पेसिफिक कार्यों के लिये कर्मचारियों को रखा जाता है। जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं। यह कर्मचारी 3 माह के लिये रखे गये थे। इन कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। जिस कारण से उनकी सेवाएं अभी चल रही हैं और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय होगा, उसे सरकार स्वीकार करेगी और उनके अनुसार कार्यवाही करेगी।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 5 साल से ये कार्यरत हैं। मैंने पूछा था कि 3 साल में परमानेन्ट कर दिया जाता है तो फिर क्या दिक्कत हो रही है कि इनको निकाल नहीं दिया गया और आज भी कार्यरत हैं। जो जवाब दिया गया कि कोई पद नहीं है इनके लिये, इसलिये परमानेन्ट नहीं किया गया, मैं जानना चाहूंगा कि अगर पद नहीं हैं तो 5 साल से किस तरह से ये काम कर रहे हैं?

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, इन कर्मचारियों के लिए, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, सरकार के द्वारा कोई पद सृजित नहीं किये गये। जब अस्थायी रूप से किसी कार्य के लिये कोई कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है तो वर्क चार्ज पर रखते हैं। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दे दिया, इसलिए इन कार्यों में इनकी सेवाएं ली जा रही हैं और माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा, उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। रखने का निर्णय होगा, तो रखेंगे नहीं तो ऐसा काम नहीं है कि रखा जा सके।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इसमें उत्तर में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि कोर्ट में विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि उच्च न्यायालय से इन वर्क चार्ज कर्मचारियों ने स्थगनादेश ले लिया है और उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उपयुक्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री राम लखन वर्मा–

पद नहीं है तो क्यों काम ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

वर्क चार्ज कर्मचारी काम के अनुसार रखे जाते हैं ।

[सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के जनपदों की योजनाओं को पूरा करने के लिए शासन द्वारा अनुमोदित धनराशि को एक मुश्त जारी किया जाना

*1–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के जनपदों की जिला योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के परिव्ययों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति विलम्ब से, टुकड़ों में, वित्तीय वर्ष के अन्त तक जारी करने के कारण योजनान्तर्गत कार्य सुचारु रूप से शासन की नीति के अनुरूप, वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में समानुपातिक रूप से न हो पाने के कारण, वर्ष के अन्त तक भौतिक लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाई आती है तथा कभी-कभी धनराशि को समर्पित भी करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या जिला योजनाओं के लिए शासन द्वारा अनुमोदित परिव्ययों के सापेक्ष धनराशियों की शतप्रतिशत स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही एक मुश्त जारी किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान मण्डल द्वारा किसी वर्ष का आय-व्ययक पारित कर दिये जाने पर विनियोग विधेयक के अधिनियमित होते ही जिला योजनाओं की स्वीकृति के आदेश वर्ष के प्रारम्भ में ही सीधे जिला स्तर के अधिकारियों को निर्गत किये जाने और धनराशि उनके निस्तारण पर रखे जाने की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है । व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मामले में शत प्रतिशत वित्तीय स्वीकृतियां एक मुश्त जारी किये जाने की व्यवस्था समीचीन नहीं है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

आपने कहा प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

अभी प्रश्न काल का समय है ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने रुचि दिखाई है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, जो धन उपलब्ध कराने की बात है उसमें अधिकांश ऐसा होता है कि धन के अभाव में योजनायें बाधित होती हैं और अन्तिम समय में धन उपलब्ध कराया जाता है मार्च 25, 26, 28, और 30 तक आदेश जारी किये जाते हैं। मुख्यालय से कम समय में बजट का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है जिससे धन के दुरुपयोग होने की सम्भावना होती है। मैं चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से जो धनराशि जिस मद के लिये आवंटित की जानी है उसे काफी समय पहले दे दिया जाय ताकि समय के अन्दर ही वह कार्य पूरा हो सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने अनुमति दी मैंने उत्तर दिया। माननीय सदस्य ने सुझाव ही दिया है कोई प्रश्न पूछा नहीं है उनका सुझाव स्वागत योग्य है और मैंने उत्तर में ही बताया था कि कुछ व्यावहारिक कठिनाईयां हैं।

मान्यवर, योजनाएं दो तरीके की होती हैं। एक तो वह योजनाएं होती हैं जो पिछले वर्ष से कान्टीन्यू स्कीम है, उन पर वित्त विभाग की अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रशासनिक विभाग उसकी स्वीकृति जारी करके स्वयं कार्य आरम्भ कर देता है। दूसरी वह होती हैं जो नई होती हैं, या केन्द्र से उसके लिये पैसा मिलता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि योजनाओं की घोषणा हो जाती है परन्तु पूरा परीक्षण नहीं हो पाता है इस कारण उसमें विलम्ब होता है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि वित्तीय स्वीकृति बहुत जल्द जारी की जायं। वर्तमान सरकार ने घोषणा की थी कि सितम्बर तक सभी स्वीकृतियां जारी कर दी जायं। सभी पूरी की गई हैं। मैंने जैसा कि अभी बताया कि कुछ अवरोध उत्पन्न होता है तो उस कारण जो रह गई हैं उन्हें भी शीघ्र किया जा रहा हैं। माननीय सदस्य के सुझाव से मैं सहमत हूं।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष के जनवरी से मार्च त्रैमासिक स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रयास किये जा रहे हैं। आपको जानकारी होगी अभी विगत दिवस मैंने कहा था कि लगभग 800 करोड़ रुपये की जिला योजनाएं थीं लेकिन आखिर तक कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि कुछ स्वीकृतियां हम जारी नहीं कर सके। अब केवल दो दिन बाकी रह गये हैं। हमारा प्रयास है कि वह पूरी हो जायें। हो सकता है कि कदाचित् कुछ अवरोध उत्पन्न हो तो वह पूरा न कर पायं अन्यथा हम अभी प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

*2–श्री नरेश अग्रवाल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रदूषण के कारण ताजमहल की संगमरमर की इमारत प्रभावित होने के सम्बन्ध में विज्ञान अनुसंधान संस्थानों द्वारा दी गयी रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा कृत कार्यवाही

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक ताजमहल के संगमरमर की इमारत प्रभावित होने की विभिन्न विज्ञान अनुसंधान संस्थानों द्वारा रिपोर्ट दी गयी है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां ।

ताजमहल के आस-पास का क्षेत्र प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर दिया गया हैं एवं इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के संदर्भ में आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि जो "जी हां" कहा गया, वह इसके उत्तर में कहा गया कि प्रदूषण के लिये जो अनुसंधानकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने कोई अनुशंसा की है कि नहीं । मैं जानना चाहूंगा कि ये जो अनुसंधानकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, उनके प्रमुख बिन्दु क्या हैं । साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो स्थापित उद्योग हैं और जिनके विषय में कहा गया कि उनके कारण भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इमारत को खतरा पहुंच रहा है, वह कौन से उद्योग हैं और उनसे बचने के लिये, प्रदूषण से बचने के लिये सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़ा लम्बा प्रश्न पूछ दिया है, फिर भी मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि उनकी जिज्ञासा शांत की जा सके । मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो अनुसंधान हुए हैं, उसमें बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदनशील संस्थान के संयोग से ताजमहल पर किये गये अध्ययन के अनुसार वर्षो के प्रदूषण के कारण ताजमहल के संगमरमर की चमक व सफेदी पर असर पड़ा है; जिसके कारण ताजमहल की दीवारों के बाहरी सतह की चमक समाप्त हो रही है और वे खुरदरी तथा बदरंग होती जा रही हैं । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक आई० पी० सी० एल० के तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक डा० एस० वर्दराजन द्वारा गठित की गयी इस समिति द्वारा निरी, नागपुर, मे० टेकनिको इटली आर्किलाजिकल सर्वे आफ इंडिया आदि संस्थाओं से इस सम्बन्ध में अध्ययन कर अपने सुझाव प्रस्तुत करने को कहा गया । वर्दराजन समिति द्वारा ताजमहल पर प्रदूषण के कारण सम्भावित दुष्प्रभाव को कम करने हेतु दिये गये सुझाव में से कुछ मुख्य-मुख्य सुझाव एवं उसके अनुपालन की स्थित निम्न हैं :–

(1) आगरा क्षेत्र में ऐतिहासिक इमारत के समीप स्थित प्रदूषण स्रोतों के पहले से स्थित प्रदूषण को कम करना । इस हेतु आगरा फ़ोर्ट तथा इतमातद्दौला के समीप स्थित 10 मेगावाट विद्युत क्षमता के थर्मल पावर स्टेशन को जल्द से जल्द बन्द करने के सुझाव दिये गये हैं । इसके अनुपालान में उक्त थर्मल पावर प्लांट बन्द किये गये ।

(2) आगरा स्थित मार्शलिंग यार्ड में स्थित कोयले पर आधारित इंजन के स्थान पर डीजल पर आधारित इंजन का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया । इसके अनुपालन में डीजल पर आधारित इंजन का प्रयोग प्रारम्भ किया गया ।

(3) ताजमहल के उत्तर पश्चिम में कोई भी नया प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित न किया जाना सुनिश्चित किया जाय । किसी भी नये उद्योग को आगरा-मथुरा ट्रेपेजियम (प्रतिबंधित क्षेत्र) में उद्योग स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बोर्ड स्तर से नहीं दिया जाता है ।

(4) छोटी प्रदूषणकारी इकाइयों जैसे–फाउन्ड्री उद्योगों को आगरा के दक्षिण पूर्व में ताजमहल से दूर प्रतिस्थापित किया जाय, जिससे उत्सर्जन की दशा ऐतिहासिक इमारत से दूर हो । इस सम्बन्ध में 10 मेगावाट विद्युत क्षमता के थर्मल पावर स्टेशन को जल्द से जल्द बन्द करने के सुझाव दिये गये है । आगरा में स्थित फाउन्ड्री जिनके उत्सर्जन से ताजमहल के प्रभावित होने की सम्भावना से प्रदूषण को रोकने हेतु कदम उठाये गये हैं । बोर्ड की संस्तुति के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर से 28 फरवरी के मध्य जब वायु प्रदूषण अधिक होता है, एवं उसका फैलाब नहीं हो पाता है, उस समय के बीच फाउन्ड्री के क्यूणला को शाम 5 बजे से प्रातः 4 बजे तक चार्ज न किये जाने तथा कैपटिव पावर जनरेशन के आपरेशन भी इस बीच न करने के नोटीफिकेशन किये जाते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण को रोका जा सके ।

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, पर्यावरण प्रदूषण नियम कितनी सीमा तक लागू होता है । क्या फिरोजाबाद उस सीमा के अन्तर्गत आता है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाने हेतु पर्यावरण विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 3-5-83 के द्वारा ताजमहल के चारों ओर मथुरा ट्रेपेजियम का निर्धारण किया गया है । ट्रेपेजियम क्षेत्र लोंगीट्यूड 77 डिग्री 15 इंच पश्चिम में 77 डिग्री 30 इंच पूरब में एवं उत्तर में लैटीट्यूड 27 डिग्री 45 इंच से 27 डिग्री 30 इंच को जोड़ने वाली रेखायें तथा दक्षिण में लैटीट्यूड 26 डिग्री 45 इंच से 27 डिग्री एन० को जोड़ने वाली रेखाओं से घिरा है । यह क्षेत्र जिसमें आगरा–मथुरा और फिरोजाबाद के कुछ क्षेत्र आते हैं ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि चिन्ता का विषय अवश्य है कि ताजमहल के ऊपर एक कोटिंग हो गयी, वह ह्वाइट नहीं है, बल्कि कुछ पीलापन लिये हुए है, तो मान्यवर, क्या मंत्री जी पर्यावरण विभाग को या किसी और विभाग को निर्देशित करेंगे कि वह दूधियापन वापस हो सकता है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, ताजमहल की इमारत काफी पुरानी हो गयी है और लगभग साढ़े 3 सौ वर्ष से ज्यादा पुरानी हो गयी है, जिस पर वर्षा का भी असर पड़ता है, वैसे राज्य सरकार ने काफी कोशिश की है कि जो संयंत्र चल रहे हैं, उसमें सुधार किया जाय और उस दिशा में सरकार ने काफी ठोस कदम उठाये हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि आस-पास के क्षेत्र को प्रतिबन्धित घोषित किया गया है और प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ऐसे कौन से उद्योग हैं या उद्योगपति हैं, जिन्होंने उक्त क्षेत्र में उद्योग लगाने की अनुमति मांगी है और उनको अनुमति नहीं दी जा रही है और उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। जो ताजमहल के आस-पास का क्षेत्र बताया जा रहा है उससे यह स्पष्ट नहीं है कि कितने रेडियस का क्षेत्र प्रतिबन्धित है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। हमने बाकायदा नोटीफाइड किया है कि इस तरह की फाउन्ड्री जो हैं, उनको वहां पर इजाजत नहीं दी जायेगी, क्योंकि उनसे सर्वाधिक प्रदूषण होता है। इस तरह के उद्योगों को अनुमति नहीं दी जा रही है। इसकी परिधि को मैंने अभी बता दिया है और उसके अन्तर्गत तीन जिले आते हैं जिनका उल्लेख कर दिया गया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मैं निश्चित जानकारी चाहता हूं कि क्या कुछ लोगों ने उद्योग लगाने की अनुमति मांगी है। क्या वह इस परिधि में आते हैं इसका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

यह विस्तार का प्रश्न हैं।

श्री किशोरी श्याम–

जो प्रदूषण का असर हुआ है, क्या उसकी जानकारी वैज्ञानिक को करायी गयी है और उनसे पूछा गया है कि इसका असर कम हो सकता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आप अलग से प्रश्न दे दें।

*4–श्री स्वामी नाथ यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण स्थानान्तरित]

*5–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*6–श्री राम लखन वर्मा–

[9 वें मंगलवार में ता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत हटाया गया]

*7–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

अवध विश्व विद्यालय, फैजाबाद में गम्भीर वित्तिय एवं व्यवहारिक अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग का गठन

*8–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में गम्भीर वित्तीय एवं व्यवहारिक अनियमितताओं की जांच के लिए वर्ष 1985 से वर्ष 1988 के बीच 3 बार जांच आयोगों का गठन किया गया था ? क्या उक्त जांच आयोगों ने वर्ष 1987 से वर्ष 1988 में अपनी जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच आयोग द्वारा दी गयी रिपोर्ट का बिन्दुवार विवरण क्या है और इस बारे में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पवन कुमार पान्डेय–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में गम्भीर वित्तीय एवं व्यवहारिक अनियमितताओं की जांच के लिए वर्ष 1985 से वर्ष 1988 के बीच तीन बार जांच आयोगों का गठन किया गया था और क्या उक्त जांच आयोगों ने वर्ष 1987 और वर्ष 1988 में अपनी जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी थी, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ गया है । यह प्रश्न बहुत पुराना है और नियमावली के तहत ही अस्वीकार किया जा सकता है । जब मूल प्रश्न ही अस्वीकार होने योग्य है तो पूरक प्रश्न कैसे कर सकते हैं ।

बरेली, स्थित रबर बनाने की सिन्थैटिक एण्ड कैमिकल्स लि० को पुनः निर्माण की अनुमति दिये जाने की मांग

*9–डा० दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली, स्थित रबर बनाने की सिन्थैटिक एण्ड कैमिकल्स लि० को कुछ वर्ष पूर्व 20 करोड़ रुपये की डिस्टलरी लगाने की अनुमति दी गयी थी जिसके तहत उन्होंने लगभग 12 करोड़ रु० खर्च करके डिस्टलरी का कुछ निर्माण किया था किन्तु अब उन्हें सरकार ने लाइसेन्स देने को मना कर दिया है ? यदि हां, तो पहले फैक्ट्री को किन परिस्थितियों में डिस्टलरी लगाने की अनुमति दे दी गयी थी जिससे उन्होंने लगभग 12 करोड़ रु० लगा दिया? क्या मुख्य मंत्री बरेली क्षेत्र का हित तथा अनेक लोगों को रोजगार का अवसर, विदेशी मुद्रा अर्जन को देखते हुए डिस्टलरी के निर्माण की अनुमति देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, परिवहन तथा पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

यह सही नहीं है कि मे० सिन्थैटिक एण्ड कैमिकल्स लि० बरेली को केवल डिस्टलरी की स्थापना हेतु अनुमति दी गई थी । उक्त उद्योग द्वारा अपने स्टाइरीन प्लान्ट की क्षमता में विस्तार की योजना प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा सामान्य नीति के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त किये जाने तथा पूर्व आश्वासन के अन्तर्गत उठाई गई अधिकतम अल्कोहल की मात्रा, जो 535 लाख लीटर है, का क्रय/उठान अन्य आसवनियों से पूर्ववत् करते रहने की प्रमुख शर्तों के साथ केवल स्टाइरीन प्लान्ट की विस्तारित क्षमता हेतु 300 लाख लिटर अल्कोहल के उत्पादन हेतु एक कैप्टिव आसवनी की स्थापना के लिए एक वर्षीय आश्वासन दिनांक 23 मार्च, 1989 को प्रदान किया गया था । उक्त उद्योग द्वारा आश्वासन की अवधि बढ़ाये जाने हेतु शासन से अनुरोध करने पर आश्वासन की वैधता अवधि दिनांक 23-9-91 तक बढ़ाई गई परन्तु उक्त उद्योग द्वारा आश्वासन की वैधता अवधि में न तो आश्वासन की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की गयी और न ही स्टाइरीन प्लान्ट के क्षमता विस्तार हेतु भारत सरकार से आशय पत्र प्राप्त किया गया और न निर्माण हेतु कोई कार्यवाही की गई । उन्होंने केवल आसवनी की स्थापना का कार्य बगैर आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश से पी० डी० 33 अनुज्ञापन प्राप्त किये प्रारम्भ कर दिया, जिसे आबकारी आयुक्त ने कतिपय शर्तों के साथ, जिसमें प्रमुख शर्त यह थी कि स्टाईरीन प्लान्ट की क्षमता में वांछित विस्तार कर लेने पर ही अल्कोहल उत्पादन हेतु पी०डी०-2 अनुज्ञापन दिया जायेगा, इस अनधिकृत रूप से आसवनी निर्माण प्रारम्भ करने के अपराध को रुपया 5000 प्रशमन शुल्क आरोपित करके प्रशमित करते हुए दिनांक 4-2-1991 को आसवनी निर्माण हेतु पी०डी०–33 अनुज्ञापन प्रदान किया । उक्त उद्योग द्वारा अन्ततः स्टाइरीन प्लान्ट के विस्तारीकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा आसवनी में अल्कोहल उत्पादन हेतु अनुमति देने के लिए प्रार्थना की गयी ।

शासन की नीतियों, निर्देशों एवं निर्धारित शर्तों के विपरीत आसवनी निर्माण में उक्त उद्योग द्वारा किया गया व्यय उसका निजी मामला है । शासन की नीति व निर्देशों के विपरीत आसवनी में अल्कोहल उत्पादन करने की अनुमति दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, यह प्रश्न बरेली के विकास से भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि आगरा में ऐतिहासिक ताजमहल है वैसे ही यह बरेली की फैक्ट्री है । यह बरेली की फैक्ट्री करोड़ों रूपये की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, इसके साथ बरेली का औद्योगीकरण है और बरेली का विकास भी है । मान्यवर, इसीलिए यह सवाल उठाया गया था । मान्यवर, डिस्टलरी लगाने की अनुज्ञा दी गयी थी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 4-3-91 को पी०डी० 33 के द्वारा अनुमति उसे मिली थी और उसने अल्कोहल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया लेकिन बाद में मंत्री जी ने फिर कहा है कि शासन की नीतियों, निर्देशों एवं निर्धारित शर्तों के विपरीत आसवनी निर्माण में उक्त उद्योग द्वारा किया गया उसका निजी मामला है । तो मान्यवर, पहले तो उनको बनाने की अनुमति दी गयी पीपी 33 फार्म दिया गया और उन्होंने 12-15 करोड़ रुपया लगा दिया, बाद में अनुमति दी नहीं गयी तो एक पत्र इस फैक्ट्री के मालिकों ने लिखा ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इसमें माननीय मंत्री जी ने बड़ा लम्बा जवाब दिया है इसका जस्टीफिकेशन उन्होंने लिखा कि किन कारणों से यह प्लान्ट नहीं लग पाया । उन्होंने कहा अगर 300 लीटर शराब के निर्यात का लाइसेन्स मिल जाय तो इससे विदेशी मुद्रा मिल सकती है । मान्यवर, अगर यह डिस्टलरी लग जाती तो तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती कि इसमें 5-7 सौ लोगों को रोजगार मिल जाता । लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारे मंत्री जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन यह अपने मन से जवाब नहीं दे रहें हैं जो लोगों ने इनको दे रखा है उन्हीं का जवाब दे रहे हैं । तो मान्यवर, मेरा कहना है कि जिस तरह से गाजीपुर और बहेड़ी को दिया गया है उसी तरह से इसको देने में क्या दिक्कत है इसे स्पष्ट कर दें ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया और उसमें आगरा के ताजमहल से बरेली के सिन्थेटिक्स फैक्ट्री को जोड़ा । हमें भी बड़ी खुशी होगी कि वह ताजमहल जैसा बन जाय लेकिन यह बने कैसे ? कोई भी काम हो तो उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं और कुछ कानुन है । कानून के खिलाफ नियमों को तोड़कर न तो ताजमहल बन सकता है और न सिन्थेटिक फैक्ट्री । मान्यवर, 1962 में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की स्टाइरीन व रबर बनाने के लिए 535 लाख लीटर प्रति वर्ष एल्कोहल इनको बाकी आसवनियों से उठाना था । इन्होंने न तो किसी आसवनी से पूरी मात्रा लिया और न उठाया और जो लिया, उसकी मात्रा हर साल घटती चली गयी । इनकी नीयत बदल गयी । इनकी इच्छा थी कि स्टाइरीन प्लान्ट बने या न बने परन्तु शराब बने और विदेशों को उसे निर्यात किया जाय । मैं बताना चाहूंगा और माननीय सदस्य भी समझ लें कि पी०डी०–33 और पी०डी०–2 में बड़ा फर्क है । पी०डी०–33 तो मात्र इसके लिये होता है कि आसवनी का निर्माण किया जा सकता है इन्होंने बिना पी०डी०–33 आसवनी बनाना शुरू कर दिया, गलत काम किया । फिर जुर्माना लेकर पी०डी०–33 दिया गया और शर्तें लगायी गयी कि जब सारी शर्तें पूरी कर लेंगे तब पी०डी०–2 मिलेगा उसके बाद एल्कोहल बनायेंगे । अब पी०डी०–33 की शर्तों के अनुसार आसवनी का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं और स्टाइरीन प्लान्ट की जो क्षमता बढ़ाने का काम था, वह किया नहीं, 535 लाख लीटर जो अन्य आसवनियों से लेना था उसके मुकाबले सिर्फ 185 लाख लीटर लिया । इनकी मंशा बदल गयी । तो यह चाहते हैं कि जिस काम के लिए फैक्ट्री बनी वह न करें बस अल्कोहल बनाने दिया जाय उनके हिसाब से काम नहीं हो सकता कि जैसा वह चाहें उनकी व्यवस्था कर दी जाय।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, ऐसा नहीं है । उन्होंने अपने पत्र मे कहा है कि केन्द्र सरकार से अनुमति समय से नहीं मिल पायी क्योंकि औद्योगिक नीति बदल गयी थी । दूसरे, उन्होंने जो प्लान्ट बनाया वह टेढ़ा हो गया, मानक के अनुसार नहीं बना । उन्होंने 1200 करोड़ रु० लगाया था । ऐसा नहीं है कि वह बनाना नहीं चाहते हैं । पिछले साल उनका रबड़ का उत्पादन, रिकार्ड था । उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि जब तक प्लान्ट ठीक नहीं होता है तब तक निर्यात का लाइसेन्स दे दिया जाय । मैं कहना चाहता हूं कि जब और लोगों को भी लाइसेन्स दे रहे हैं तो शिथिल करके इनको भी दे दें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

सम्मानित सदस्य ने कहा कि पिछले वर्ष उन्होंने रिकार्ड उत्पादन किया । किस चीज का किया, क्या टायर ट्यूब रबड़ का किया । इनको 535 लाख लीटर प्रति वर्ष एल्कोहल उठाना था । वर्ष 1990-91 में केवल 185 लाख लीटर एल्कोहल इन्होंने उठाया तो रिकार्ड उत्पादन कैसे हो जायगा । इन्होंने प्लान्ट को भी पूरा नहीं किया किसी शर्त का पालन नहीं किया । हम चाहते हैं कि उद्योग फले फूले, हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण हो लेकिन जब तक नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, अनुमति नहीं दी जा सकती । हर शर्त को इन्होंने तोड़ा है । जब तक शर्तें पूरी नहीं होंगी कैसे दे सकते हैं ?

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, ऐसा था यह लास्ट इयर की बात नहीं कर रहे हैं यह तो बिफोर लास्ट इयर की बात कर रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि इतना रुपया लगाने के बाद कल को यह डिस्टलरी कहीं दूसरे प्रान्त में न चली जाये और यह हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार उद्योगपतियों को सुविधा नहीं दे पा रही है । हो सकता है कि शिथिलता आपके विभाग से हो रही हो । आप तो मान्यवर, आगरा के रहने वाले हैं बरेली में कभी आकर देखें तो आपको मालूम होगा कि कितना अच्छा काम यह फैक्ट्री कर रही है, कितनी अच्छी यह फैक्ट्री है इसलिए हम उसकी वकालत कर रहे हैं । तो मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कुछ शिथिलता लेनी पड़े, इतना पैसा लगा हुआ है, तो उसको देख लें और जो कुछ शिथिलता आप बरत सकते हैं लाइसेन्स देने में उसको देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी यह विचार करने के लिए अनुरोध है आप विचार कर लें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैंने तो बार-बार कहा और अपने विस्तृत उत्तर में स्थित को पूरी तरह स्पष्ट किया है कि जिन शर्तों के अन्तर्गत उनको आश्वासन दिया गया था, 23-3-89 को एक वर्ष के लिए था, हमने इस उद्योग को डेढ़ वर्षों के लिए आगे भी बढ़ाया केवल इसलिए कि यह जिन्दा रह सके । मान्यवर, हमने मात्र 5 हजार रुपये प्रशमन शुल्क देकर पी०डी०–33 दिया था कि यह पूरा कर लें मगर यह पूरा नहीं कर पाये तो क्या हो सकता है ।

कोई विचार तभी हो सकता है जबकि यह अपनी कमियों को दूर करें तथा नियमों व शर्तों को पूरा कर लें ।

*10–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

कृषकों द्वारा लिए जाने वाले कृषि उपकरणों एवं व्यवसायिक ऋणों पर स्टाम्प शुल्क में विषमता दूर किये जाने की मांग

*11–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मिर्जापुर) (अनुपस्थित)–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि कृषकों द्वारा बीस हजार रुपये से अधिक के कृषि उपकरणों हेतु लिए जाने वाले ऋण पर रु० 62.50 पैसे प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क देय होता है जबकि व्यवसायिक ऋणों पर स्टाम्प शुल्क मात्र दस रुपया है ? यदि हां, तो उक्त विसंगति का क्या कारण है ? सरकार किसानों के हित में उसका निराकरण कब तक कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में वित्त विहीन मान्यता प्राप्त हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट विद्यालयों को वित्तीय मान्यता दिये जाने की मांग

*12–श्री किशोरी लाल यादव (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता प्राप्त है ? क्या इन विद्यालयों में हाई स्कूल एवं इन्टर कक्षाओं की शुल्क दरें समान हैं ? यदि विभिन्न दरें हैं तो क्यों ? यदि पूरे उत्तर प्रदेश में शुल्क की दरें समान हैं, तो कितनी सीमा तक समान हैं ? क्या सरकार उन विद्यालयों की वित्त विहीन मान्यता समाप्त करके वित्तीय मान्यता देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

प्रदेश में हाईस्कूल के 473 तथा इण्टरमीडिएट के 511 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूरे प्रदेश में सभी मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेजों में कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा लागू है, जिसके अन्तर्गत शिक्षण शुल्क माफ है । अन्य सभी शुल्क समान हैं ।

जी नहीं ।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण ।

आयुक्त विक्रीकर, उत्तर प्रदेश के अधीन वरिष्ठ सहायक के पुनरीक्षित वेतनमान के समान आशुलिपिकों के वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने की मांग

*13–श्री रविन्द्र प्रताप–

वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आयुक्त विक्रीकर, उत्तर प्रदेश के अधीन वरिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक पद के पुराने वेतनमान रु० 470-735 को दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1200–2040 प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णयानुसार वरिष्ठ सहायक के वेतनमान को संशोधित कर रु० 1350–2200 देने का आदेश किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वेतनमान रु० 1200–2040 में कार्यरत उक्त आशुलिपिकों को वेतनमान रु० 1350–2200 दिये जाने का आदेश पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

बल्कि आशुलिपिक संवर्ग को केन्द्रीय समकक्षता प्रदान करते हुए संलग्नक में दिए गए वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया जा चुका है । तद्नुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 117 पर)

श्री रविन्द्र प्रताप–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह स्पष्ट नहीं है । मैं आपके माध्यम से वित्त वेतन आयोग के अर्ध शासकीय पत्र संख्या वे०आ०–1-258(1)/दस–101(ए–1)/89–टी०सी०–1, दिनांक 24-1-91 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि 1-1-86 से पूर्व जो पद वेतनमान रु० 470-735 थे तथा जिन्हें रु० 1200-2040 के वेतनमान दिये गये को रु० 1200-2040 के स्थान पर वेतनमान रु० 1350-2200 दे दिया जाय । शासन के उक्त आदेश दिनांक 24-1-91 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी व परगनाधिकारी आदि से सम्बद्ध आशुलिपिको को 1-1-86 से रु० 1350-2200 का वेतनमान देने का शासनादेश संख्या–790-1-4/91-36बी-4/69 दिनांक 12-3-91 को जारी कर दिया गया है, जबकि बिक्रीकर विभाग के आशुलिपिकों के वेतनमान को संशोधित नहीं कियां गया है तथा उपेक्षापूर्ण कार्यवाही की गयी है । बिक्रीकर विभाग में आशुलिपिकों की संख्या 886 है । अनेक विभागों में वेतनमान रु०3000-4500 तथा वेतनमान रुपये 3700-5000 में कार्यरत अधिकारियों से सम्बद्ध आशुलिपिकों को वेतनमान रु० 1200-2040 देने का निर्णय उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपने नये आदेश किये हैं उसके चलते जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, परगनाधिकारी के जो स्टेनों हैं उनको बिक्रीकर के स्टेनों से ज्यादा पैसा मिल रहा है और जो आदेश दिये गये डी०एम०, एस०डी०एम० और ए०डी०एम० को जो मिल रहा है वह कम हो जायेगा, जिससे रोष फैला हुआ है इसलिए शासन पहले इस पर विचार कर ले और जो वेतनमान एक को मिल रहा है वही दूसरे को भी मिले ।

श्री हरद्वार दुबे–

मान्यवर, वैसे तो यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समता समिति ने जो अपनी आख्या सन् 1989 में दी थी, उसके अनुरूप वेतनमानों को निर्धारित किया गया था, जिनका पूर्व वेतनमान 470-735 और 430-685 था, उसको 1200-2040 किया गया था । इस पर विभिन्न विभागों द्वारा इसके सम्बन्ध में विरोध पत्र दिया गया था । बाद में विसंगति समिति ने जब अपना निर्णय दिया तो उसके अनुसार 1350-2200 का वेतनमान निर्धारित किया गया, वरिष्ठ सहायकों जिनका पूर्व का वेतनमान 470-735 था लेकिन केन्द्रीय वेतनमान के अनुरूप आशुलिपिकों

के मामले को लेते हुये उसके अनुसार उनका वेतनमान निर्धारित किया गया, जो संलग्न सूची में माननीय सदस्य देख भी सकते हैं, यह विचाराधीन है, जल्दी ही लागू कर दिया जायगा । जो आशुलिपिक जिस अधिकारी के साथ सम्बद्ध है उसी के वेतन के अनुरूप आशुलिपिक का वेतन निर्धारित केन्द्रीय वेतनमान के अनुसार किया गया है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि आवश्यक आदेश जारी कराये जायेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कब तक लागू हो जायेंगे ?

श्री हरद्वार दुबे–

मान्यवर, शीघ्र ही हो जायेगा ।

आरक्षण के विरोध में रुड़की इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय, रुड़की के विषाक्त वातावरण के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा और अध्ययन की व्यवस्था

*14–श्री बच्चा पाठक, श्री विक्रमाजीत मौर्य तथा श्री संत बक्श रावत (अनुपस्थित)–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आरक्षण विरोध से रुड़की इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय, रुड़की का वातावरण इतना विषाक्त है कि माह अक्टूबर, 1991 में विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द करना पड़ा ? यदि हां, तो विद्यार्थियों की सुरक्षा और निर्विघ्न अध्ययन हेतु कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राजनाथ सिंह–

आरक्षण सम्बन्धी आन्दोलनों के कारण रुड़की विश्वविद्यालय को 3 अक्टूबर, 1991 से अनिश्चित काल के लिए बन्द किया गया एवं 8 अक्टूबर, 1991 से पुनः खोल दिया गया ।

विश्वविद्यालय को 8 अक्टूबर, 1991 को खोल दिया गया तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग एवं विश्वविद्यालय की आन्तरिक सुरक्षा के माध्यम से छात्रों की सुरक्षा एवं निर्विघ्न अध्ययन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई । अन्य व्यवस्था के साथ-साथ अवकाश के दिनों में भी शिक्षण कार्य की व्यवस्था की गयी एवं छात्रों की सेमेस्टर परीक्षायें भी सम्पन्न की गई ।

*15–श्री सुरेन्द्र सिंह–

[13वें मंगलवार में ता० प्र० सं० 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*16–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[दिनांक 13-3-92 को ता०प्र०सं० 1 द्वारा उत्तरित]

*17–श्री राम प्रसाद सिंह–

[9वें शुक्रवार के ता० प्र० सं० 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शिक्षा विभाग के उच्च निदेशालय व अन्य कार्यालयों के वरिष्ठ लिपिकों के पदों के प्रतिशत के समान राजकीय महाविद्यालय के लिपिकों की संख्या किये जाने की मांग

*18–श्री कोविद कुमार सिंह (अनुपस्थित)–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय सहित सभी कार्यालयों में लिपिक वर्ग में वर्ष 1984 से 52 प्रतिशत पद वरिष्ठ लिपिक के वेतनमान में सृजित हैं ? यदि हां, तो राजकीय महाविद्यालयों के लिपिकों के कितने प्रतिशत पद वरिष्ठ लिपिक के हैं ? यह

प्रतिशत 52 क्यों नहीं है ? इस सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? क्या सम्बन्धित व्यक्ति को उक्त वेतनमान स्टापिंग पैटर्न लागू होने की तिथि से दिए जायेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

लिपिकीय वर्ग के पदों में उच्च शिक्षा निदेशालय में 49.2% पद तथा राजकीय महाविद्यालय में 4.8% पद वरिष्ठ लिपिक के हैं ।

राजकीय महाविद्यालयों के कुल 183 लिपिकीय पदों (173 कनिष्ठ लिपिक, 10 वरिष्ठ लिपिक) में 10 पद वरिष्ठ लिपिक के हैं, जो लिपिकीय पद का लगभग 5.4% है ।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

*19–श्री बलराम यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्रावस्ती चीनी मिल्स लि०, नानपारा, बहराइच की डिस्टलरी की गन्दगी से सरयू नदी का प्रदूषित जल एवं शासन द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए की गयी कार्यवाही

*20–श्री बृज राज त्रिपाठी–

क्या शासन के संज्ञान में है कि श्रावस्ती चीनी मिल्स लि०, नानपारा, बहराइच की डिस्टलरी की गन्दगी से सरयू नदी का जल प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो शासन इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही प्रदूषण रोकने के लिए नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां ।

प्रश्नगत उद्योग का उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण जल सहमति अस्वीकृत की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–20 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं थे)

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, इस प्रश्न में मेरी रुचि है, इसको ले लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, चूंकि अभी समय बाकी है, माननीय सदस्य की रुचि भी है, इसको ले लीजिए ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, देवरिया में छोटी गंडक, बस्ती में अमरी और गोरखपुर में फरेंद नाला है, जहां चीनी मिल वाले गंदा पानी उनमें प्रवाहित कर रहे हैं और इससे किसानों को नुकसान हो रहा है, इस सम्बन्ध में प्रदूषण विभाग के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है, करीब-करीब पूरे प्रदेश की यही स्थिति है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो चीनी मिलें अथवा कागज मिलें हैं, जो प्रदूषण फैला रही हैं और सरकार के बार-बार कहने पर भी नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, उन मिलों के खिलाफ राज्य सरकार आम नागरिकों के हित में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित तो नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश के जिन उद्योगों द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है, उस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । जिन उद्योगों ने जल सम्बन्धी प्रदूषण फैलाया है, उनकी जल सहमति समाप्त कर रहे हैं । इसी तरह वायु प्रदूषण वालों की वायु सहमति समाप्त कर रहे हैं । वैसे मान्यवर, इसी विषय पर नियम–51 में वक्तव्य स्वीकार हुआ है, उसमें माननीय सदस्य पूछ लेंगे ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, प्रश्न संख्या–49 परिवहन विभाग से सम्बन्धित है, इस पर प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त हुआ है ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, प्रश्न संख्या–49 नहीं, 48 की बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसके सम्बन्ध में कक्ष में आकर बात कर लीजिएगा ।

डा० दिनेश जौहरी–

प्रश्न संख्या–49 नहीं 48 के सम्बन्ध में कह रहा हूं । इसमें जो जबाब आया है वह गलत है.....

श्री अध्यक्ष–

आप इसके सम्बन्ध में लिख कर दे सकते हैं, इसके लिये नियमों में व्यवस्था है, जो संगत नियम हैं उसमें आप लिख कर देंगे तो मैं उत्तर मांग लूंगा ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैंने शुरू में जानना चाहा था माननीय डा० दिनेश जौहरी के प्रश्न संख्या–49 में लिख दिया गया है इस सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया तो क्या वह निलम्बित हैं या नहीं आपने उनको प्रश्न संख्या–48 पर बुलाया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि यह पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त किया गया है । यह जो छपा है छापे की गलती है वह मैंने पहले ही कह दिया ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मेरा आग्रह है नत्थी (घ) प्रश्न संख्या–1 का पूरे प्रदेश से सम्बन्ध है इस प्रश्न में मेरी रुचि है इसको ले लें यह उपयोगी प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको किसी और दिन के लिये रख देते हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

नहीं मान्यवर, आज ले लें हम लोगों की रुचि है हम लोग उनको समझा देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छी बात है, आप रुचि ले रहे हैं [1]–

1

नोटः–नत्थी 'घ' का ता० प्र० सं० 1 (जो तारांकित प्रश्न संख्या 20 के बाद लिया गया है) के पश्चात प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री शिव लाल मित्तल–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

2–श्री खालिद गौरी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

3–श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

[6ठे सोमवार के लिए स्थगित]

4–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[7वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में ग्राम भाथा से ग्राम पड़ोरहा, ग्राम झंझरीपुरवा से ग्राम गलौली, गलौली से खप्टिहा खुर्द तथा चौडगरा रामपुर से मवई घाट तक सम्पर्क मार्ग को पूरा करके डामरीकृत किये जाने की मांग

5–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में ग्राम भाथा से ग्राम पड़ोरहा तक सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वर्ष 1992-1993 में पूरा करके डामरीकरण कराया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

6–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में ग्राम झंझरी पुरवा से ग्राम गलौली तक के सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वित्तीय वर्ष 1992-1993 से पूरा कराकर डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

7–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में, ग्राम गलौली से ग्राम खप्टिहा खुर्द तक के सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वित्तीय वर्ष 1992-1993 से पूरा कराकर डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

8–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में चौडगरा रामपुर से मवई घाट तक के सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वित्तीय वर्ष 1992-1993 से पूरा कराकर डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

9–डा० दिनेश जौहरी–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

10–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अवध सहकारी बैंक लि०, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ से लिए गये ऋण की अदायगी न किये जाने विषयक बैंक प्रबन्धक का वित्त सचिव आदि को पत्र एवं कार्यवाही

11–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि अवध सहकारी बैंक लि०, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ से लिए गए ऋण की अदायगी न किये जाने के सम्बन्ध में बैंक प्रबन्धक का पत्र दिनांक 17-7-91 मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा वित्त सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ऋण वसूल कराये जाने की दिशा में विभागाध्यक्ष द्वारा क्या कदम उठाये गये ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में श्री जहांगीर अली, एम० एल० ए० का पत्र अप्रैल, 1991 के प्रथम सप्ताह में वित्त सचिव, उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

श्री नरेन्द्र प्रसाद शुक्ल, लेखा परीक्षक द्वारा अवध सहकारी बैंक लि०, लखनऊ से लिये गये ऋण व ब्याज सहित रु० 8,334.65 की वसूली हेतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, लखनऊ को दिनांक 27-7-91 को निर्देश दिये गये । श्री शुक्ल द्वारा दिनांक 14-2-92 तक रु० 800 बैंक में जमा कर दिये गये हैं । शेष धनराशि के लिये श्री शुक्ल के वेतन से रु० 500 प्रति माह की किस्तों में कटौती करके बैंक में जमा करने हेतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बहराइच को निर्देश भेज दिये गये हैं ।

जी हां ।

श्री नरेन्द्र प्रसाद शुक्ल, लेखा परीक्षक द्वारा अवध सहकारी बैंक से लिये गये ऋण की वसूली के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ० प्र०, लखनऊ के अधीन रिक्त पड़े पदों की अवधि एवं रिक्त पदों को भरने विषयक कार्यवाही

12–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ० प्र०, लखनऊ के अधीन विभिन्न संवर्गों के कितने-कितने पद कितनी अवधि से रिक्त पड़े हुए हैं ? इन पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? लम्बी अवधि से रिक्त पदों को न भरने के कारण विभाग की कार्यक्षमता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के सम्बन्ध में क्या कोई कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विवरण संलग्न है ।

पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

विभाग में उपलब्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 118 पर)

13–श्री श्रीराम (जालौन)–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

14–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षित फार्मासिस्टों के समान श्रम कल्याण केन्द्रों पर कार्यरत फार्मासिस्टों को वेतन दिये जाने की राजाज्ञा जारी करने की मांग

15–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग के श्रम कल्याण केन्द्रों पर कार्यरत समस्त पैथी के प्रशिक्षित फार्मासिस्टों को 1200–1800 का वेतनमान दिया गया है जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के हर पैथी के प्रशिक्षित फार्मासिस्टों को 1350–2200 का वेतनमान अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि समता समिति 1989 के प्रतिवेदन के सारांश नामक पुस्तिका के यांत्रिका-संख्या–2 (ख) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के पृष्ठ सं० 21 में यह कहा गया है कि उपरोक्त पदों पर अन्य विभागों में भी यही वेतनमान अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर करके दोनों विभागों में कार्यरत फार्मासिस्टों को एक समान वेतन अनुमन्य कराने हेतु राजाज्ञा जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

श्रम विभाग के श्रम कल्याण केन्द्रों पर कार्यरत समस्त पैथी के प्रशिक्षित फार्मासिस्टों को राजाज्ञा सं०–2784/36–4–125/87 दिनांक 12 नवम्बर, 1991 द्वारा रु० 1350–2200 का वेतनमान दिए जाने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की आबादी की पताई ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आजमगढ़ द्वारा कराया जाना तथा श्रमिकों की मजदूरी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को पत्र एवं कार्यवाही

16–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या ग्रामीण विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मऊ के नत्थूपुर विधान सभा अन्तर्गत सन् 88–89 के बजट में ग्राम धर्मपुर, विशुनपुर, सिसवा, बखरिया तथा नरुल्लाहपुर आदि ग्रामों की आबादी की पताई ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आजमगढ़ द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो उन ग्रामों में ग्राम की पताई में कुल कितने श्रमिक लगे थे ? उक्त श्रमिकों में से कुल कितने श्रमिकों की मजदूरी दे दी गयी है तथा कितने श्रमिकों का भुगतान अभी शेष है ? भुगतान उन्हें न देने का क्या कारण है ?

क्या इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, मऊ ने परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, जनपद मऊ को अपने पत्रांक–392/ग्रा० अ० से०/प्राक्कलन 90–91 दिनांक 12-11-90 के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि कुछ श्रमिकों की मजदूरी बाकी है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 1-10-90 को लिखित सूचना जिला अधिकारी को भी दी थी ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

कुल 2863 श्रमिक लगाये गये थे और उनकी मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है । किसी भी श्रमिक का भुगतान शेष नहीं है ।

जी नहीं । पत्र लिखा गया था परन्तु भुगतान की देयता स्वीकार नहीं की गई ।

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मऊ द्वारा 3.14 लाख रु० की धनराशि मजदूरी के भुगतान हेतु स्वीकृत किया गया था लेकिन बिना स्वीकृति के कार्य करने के कारण गवर्निंग बाडी ने स्वीकृति निरस्त कर दी ।

शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु सरकार के विचाराधीन योजना की जानकारी

17–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु कोई योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

वर्ष 92–93 में संचालित होने वाली योजनाओं की सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'म' आगे पृष्ठ 119 पर)

18–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

बांदा डिपो के अतिरिक्त बांदा को लखनऊ से जोड़ने के लिए विभिन्न डिपों की बसें चलाये जाने की मांग

19–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा डिपो के अतिरिक्त किसी भी डिपो की बसें बांदा से लखनऊ न चलने का क्या कारण है ? क्या निकट भविष्य में लखनऊ डिपो, रायबरेली डिपो, कानपुर डिपो, फतेहपुर डिपो व उन्नाव डिपो की भी बसों को चलाकर बांदा को लखनऊ से जोड़ा जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

बांदा से लखनऊ के मध्य बांदा डिपो के अतिरिक्त फतेहपुर डिपो की भी सेवायें संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में संचालित परिवहन निगम की सेवायें पर्याप्त हैं। सीमित संसाधन एवं बस बेड़े को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्ग पर नवीन सेवायें चलाना सम्भव नहीं है।

राज्य परिवहन की बसों को चेक पोस्ट पर यातायात निरीक्षकों को अन्दर जाकर बसें न चेक करने के कारण दण्डित किये जाने की मांग

20–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि प्रत्येक नगर के बाहर जो राज्य परिवहन की बसें चेक करने हेतु चेक पोस्ट बनाये गये हैं वहां पर बैठे यातायात निरीक्षक कभी भी बसों के अन्दर जाकर बसें नहीं चेक करते बल्कि अपने स्थान पर बैठे-बैठे बसें चेक करते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाकर दोषी यातायात निरीक्षकों को दण्डित किया जावेगा। क्या इसमें कोई सुधार किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

यातायात निरीक्षक बसों के अन्दर जाकर ही बसें चेक करते हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षित बसों का आकस्मिक निरीक्षण कराया जाता है तथा जो निरीक्षक कर्तव्य पालन में शिथिल पाये जाते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

21–श्री विजय सिंह राणा–

[4थे मंगलवार मे अता० प्र० सं०–183 के अन्तर्यत स्थानान्तरित]

जिला योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में बढ़ोत्तरी का विवरण दिये जाने की मांग

22–श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की जिला योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई थी तथा क्या 1991-92 में निर्धारित धनराशि से 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी उक्त वित्तीय वर्ष के लिए की गई ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैदान क्षेत्र के जनपदों से वर्ष 1992-93 की जिला योजना वर्ष 1991-92 के लिये निर्धारित परिव्यय के आधार पर तैयार करायी गयी है, यह परिव्यय की सीमा अनन्तिम है।

लखनऊ दुग्ध संघ में कार्यरत तृतीय श्रेणी श्रमिका श्री एन० डी० श्रीवास्तव को परिवार नियोजन नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता न दिये जाने का कारण तथा समस्त एरियर्स भुगतान किये जाने की मांग

23–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या पशु पालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ दुग्ध संघ में कार्यरत तृतीय श्रेणी श्रमिक श्री एन० डी० श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति के अन्तर्गत छोटे परिवार की अवधारणा को स्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इनकी उम्र 40 वर्ष के ऊपर और दो बच्चे, जिसमें लड़की 25 व लड़का 17 वर्ष का होते हुए भी इन्हें उक्त प्रोत्साहन भत्ता अन्य कर्मचारियों की तरह 1982 से 1988 तक का विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक इनका भुगतान इन्हें कर दिया जायेगा ? क्या उन्हें बच्चों की शिक्षा भत्ता भी देय है ?

पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह)–

जी हां ।

जी हां । श्री श्रीवास्तव निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत वर्ष 1982 से वर्ष 1988 (19-12-88) तक इस प्रोत्साहन भत्ते के पात्र नहीं थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

24–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ दुग्ध संघ में कार्यरत श्री एन० डी० श्रीवास्तव, तृतीय श्रेणी श्रमिक को दिनांक 13-4-88 को सचिव, न्याय विभाग, उ० प्र० शासन की मंत्रणा से मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, जो कि दि० 29-10-87 के हैं, सेवा में इस आधार पर बहाल किया गया है कि वे 1962 से संस्था में लेखाकार सेवा संवर्ग के अच्छे सेवा रिकार्ड के कारण पदोन्नति के पात्र थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनसे कनिष्ठ कर्मचारी राम सिंह व वीरेन्द्र सिंह गबन करने के आरोप में डिसमिस कर दिये गये हैं और एरियर भुगतान हुआ है ? यदि हां, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए श्री श्रीवास्तव के समस्त एरियर्स का भुगतान उन्हें अब तक न करने का औचित्य क्या है ? उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

जी नहीं । श्री एन० डी० श्रीवास्तव लखनऊ दुग्ध संघ के कर्मचारी को उनके लेखाकार सेवा संवर्ग के अच्छे सेवा रिकार्ड के कारण पदोन्नति के पात्र होने के आधार पर बहाल नहीं किया गया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री राम सिंह को प्रशासनिक/वित्तीय अनियमितताओं के कारण डिसमिस किया गया था तथा वे वर्तमान मे माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेशानुसार लखनऊ दुग्ध संघ में कार्यरत हैं किन्तु इनके एरियर का भुगतान नहीं किया गया है ।

श्री श्रीवास्तव को एरियर भुगतान न करने का कारण यह है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध लखनऊ दुग्ध संघ ने मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस० एल० पी० दायर की हुई है ।

श्री प्रयाग नारायण सक्सेना, सेवा निवृत्त ग्राम्य विकास अधिकारी, जिला बाराबंकी की जी० पी० एफ०, पेंशन व अन्य अवशेषों के देयकों के सम्बन्ध में मा० मुख्य मंत्री को श्री देवेन्द्र पाल सिंह, स० वि० सभा का पत्र एवं कार्यवाही

25–श्री गया चरन दिनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रयाग नारायण सक्सेना, सेवा निवृत्त ग्राम्य विकास अधिकारी, जिला बाराबंकी की जी० पी० एफ०, बीमा, पेंशन व अन्य अवशेष देयकों के सम्बन्ध में मा० मुख्य मंत्री जी को देवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 31-7-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? सेवा निवृत्ति के पश्चात् श्री सक्सेना को जीवन-यापन हेतु विगत डेढ़ वर्ष से कोई धनराशि दी गई है ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान किन शासनादेशों तथा नियमों के अंतर्गत नहीं किया गया ? क्या इसमें दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उक्त कार्यवाही न करने के क्या कारण थे तथा इसके लिये कौन दोषी है ? इनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

अपने 31 वर्ष 9 माह 13 दिन के सेवाकाल में श्री प्रयाग नारायण सक्सेना 17 वर्ष 9 माह 27 दिन निलम्बित रहे । विकास खण्ड पूरे डलई, जनपद बाराबंकी में रुपये 3,000 की शासकीय धनराशि के गबन से सम्बन्धित अभियोग में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के निर्णय दिनांक 23-1-1984 के अन्तर्गत इन्हें एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा रुपये 5,000 का अर्थदण्ड दिया गया जिसके विरुद्ध सत्र न्यायालय में इनके द्वारा दायर की गयी अपील दिनांक 6-6-84 को खारिज हो गयी । पुनः इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर अपर न्यायालय के संदर्भित आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया । मामला मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत कर्मचारी के सेवा अभिलेख पूर्ण नहीं होने के कारण इन मदों में वास्तविक अवशेष देयकों का निर्धारण नहीं हो सका है और इसलिए भुगतान नहीं किया गया है जो शीघ्र ही नियमानुसार अनुमन्य दरों पर कर दिया जायेगा ।

इस प्रकरण के निस्तारण में हुए विलम्ब के लिए तीन कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

26–श्री ऊदल–

[4थे मंगलवार मे अता० प्र० सं०–133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला वाराणसी के नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा परीक्षा केन्द्र पर उड़ाका दल पहुंचने पर कापियों, गाइड बुकों को छात्रों द्वारा बाहर फेंका जाना एवं रिजल्ट रोके जाने विषयक जांच तथा पुनः परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की मांग

27–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा जिला वाराणसी को 91-92 में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है और एक फर्जी एवं असत्य आरोप लगाया गया है कि 90-91 की परीक्षा में इस केन्द्र पर उड़ाका दल के पहुंचने पर कापियां एवं गाइड बुक छात्रों ने प्रत्येक कमरों से बाहर फेंका ? यदि हां, तो उड़ाका दल ने कितनी कापियां एवं गाइड बुक अपने कब्जे में लीं और कितने छात्रों को पकड़कर परीक्षा से अलग किया गया ? क्या नेशनल इण्टर कालेज का पूरा परीक्षा फल घोषित किया गया और रिजल्ट रोका नहीं गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच निदेशक, शिक्षा से

करायेगी ? इस संबंध में नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी के प्रार्थना-पत्रों को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ सहायक सचिव, मा० शि० प० पूर्वांचल, वाराणसी तथा उप निदेशक, शिक्षा, पंचम मंडल, वाराणसी को ता० 23-12-91 को दिया गया है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी को परीक्षा केन्द्र बनाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां । परीक्षा के दौरान मण्डलीय सचल दल के नेशनल इण्टर कालेज, पिण्डरा, वाराणसी परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर प्रत्येक कक्ष से पुस्तकें तथा गाइड्स की फेंकाई प्रारम्भ हो गयी और विद्यालय के अध्यापक तथा परिचालक स्वयं उन्हें बाहर फेंकते देखे गये ।

प्रत्येक कक्ष से विषय से संबंधित गाइड बुक, पुस्तकें फेकी गयी तथा तीन परीक्षार्थियों के पास से उड़ाका दल द्वारा अविहित सामग्री पकड़ी गयी ।

परिषद् की 1991 परीक्षाओं में नेशनल इण्टर कालेज, पिण्डरा, वाराणसी केन्द्र पर हाई स्कूल में 412 एवं इण्टरमीडिएट में 340 कुल 752 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए । इनमें से हाई स्कूल परीक्षा में रंगे हाथ पकड़े गये परीक्षार्थियों की संख्या सात एवं सामूहिक नकल के आरोप में आरोपित परीक्षार्थियों की संख्या दो है ।

इण्टरमीडिएट परीक्षा में सामूहिक नकल में आरोपित परीक्षार्थियों की संख्या आठ है । इस प्रकार कुल 17 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल रोके गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

माननीय विधायक के पत्र के साथ प्राप्त प्रधानाचार्य, नेशनल इण्टर कालेज, पिण्डरा, वाराणसी के पत्र के संबंध में विद्यालय की गत वर्षो की ख्याति को दृष्टिगत रखते हुए इसे परीक्षा केन्द्र बनाना उचित नहीं समझा गया ।

जी नहीं ।

परीक्षा संचालन में विद्यालय की ख्याति अच्छी न होने के कारण ।

जनपद बांदा में केन नदी में मत्स्य आखेट हेतु पट्टे दिये जाने वाले व्यक्तियों के नाम एवं पट्टा देने के आधार का विवरण

28-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में मत्स्य आखेट हेतु केन नदी में किन-किन व्यक्तियों के नाम पट्टे दिये हैं तथा पट्टे देने का आधार क्या है ? क्या मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के ही नाम पट्टे दिये जाते हैं ? यदि नहीं, तो पट्टों का विवरण क्या है ? सरकार की मत्स्य जीवी सहकारी समिति बनाने की नीति क्या है ? किस जाति के व्यक्ति मत्स्य जीवी सहकारी समिति में सचिव व सदस्य रह सकते हैं ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह–

राजस्व विभाग द्वारा केन नदी के जल भाग के पट्टे 30-5-92 तक के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को दिये गये :–

नाम	पट्टा	धनराशि
1-श्री सरजू पुत्र ननकई, निवासी चिल्ला	नरी	2,863.00
2-श्री केरा पुत्र रघुनाथ; निवासी-सादी-मदनपुर	दिथवट	206.00
3-श्री छोटक उर्फ छेदिया पुत्र भोला, निवासी पथरी ।	पथरी	1,361.00
	अलौना	2,514.00
4-श्री रामवासी	मरौली	3,561.00
पुत्र मरलिया निवासी-ग्राम–चटगन	चटगन	768.00
	छेहरांव	1,361.00
5-श्री रामगोपाल	कुकुवा	1,477.00
पुत्र ब्रम्ह, निवासी कुकुवा		
6-श्री नत्थू पुत्र मैकू निवासी कुकुवा	अमलौर	556.00
	रेहुटा	279.00
	पड़ोहरा	2,095.00
	सिंघनखुर्द	490.00
7-श्री रामकृपाल पुत्र सेवक निवासी	टुरेंडी	3,910.00
चकवटगन	गुंछा	
	भूरागढ़	5,012.00
	कहला	

शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार पट्टे निर्गत किये गये हैं ।

शासन की नीति के अनुसार मत्स्य पालन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सहकारी समितियों को कार्यरत होने की दशा में प्रथम वरीयता दी जाती है ।

मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि०, चिल्लाघाट एवं जमवारा समिति के ही प्रार्थना-पत्र पट्टे हेतु प्राप्त हुए थे, जिन्हें राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया ।

सहकारिता के माध्यम से मछुवा वर्ग/मत्स्य व्यवसाय के आर्थिक स्तर को बढ़ाने की दृष्टि ।

जाति का कोई बन्धन नहीं है, समिति की साधारण सदस्यता ऐसे व्यक्तियों के लिए खुली है जिसका चरित्र अच्छा, मस्तिष्क स्वस्थ्य और आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो मछली समितियों के कार्यक्षेत्र

में रहता हो और मछली पकड़ने, पालने का कार्य सक्रिय ढंग से करता हो तथा सदस्यता के लिये अधिनियम व नियमों द्वारा निर्धारित अनर्हता न रखता हो ।

29-श्री मोहम्मद आजम खां–

[सदन की सेंवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद मऊ में डिपो खोलने के संबंध में प्रश्नकर्ता का शासन को दिया गया पत्र एवं उस पर कार्यवाही

30-श्री अमरेश चन्द्र पांडेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद मऊ में डिपो खोलने के संबंध में प्रश्नकर्ता ने शासन को दिनांक 8-1-91 को कोई पत्र दिया था, जिसके परिपेक्ष्य में शासन द्वारा श्री एस० के० भट्ट, अति० मुख्य प्रधान प्रबन्धक, परि० मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं०-4179-एम० टी०/ 91-3 आजमगढ़/ 91, दिनांक सितम्बर, 10.1991 को अपने पत्र द्वारा सूचित किया जाता था कि कार्यशाला हेतु यू० पी० एस० आई० डी० सी० द्वारा भूमि आवंटित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या भूमि निगम को हस्तान्तरित हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक भूमि प्राप्त करके डिपो वहां खोल दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां । भूमि अभी आवंटित नहीं हुई है । आवंटन होते ही डिपो खोलने संबंधी कार्यवाही की जायेगी ।

31-डा० दिनेश जौहरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

पर्यावरण निदेशालय के विभिन्न जिलों की यूनिटों में दैनिक दर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के पदों की संख्या एवं नियमित नियुक्ति करने की कार्यवाही

32–श्री सुखबीर सिंह गहलौत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि पर्यावरण निदेशालय के विभिन्न जिलों की यूनिटों में दैनिक दर पर चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? उन कार्यरत कर्मचारियों के नाम एवं शैक्षिक योग्यताएं तथा पद क्या हैं तथा वे किन- किन तिथियों से कार्यरत हैं ? क्या पर्यावरण विभाग के निदेशालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति करने की कोई विभागीय कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

शून्य ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । पर्यावरण निदेशालय तथा संबंधित मण्डलीय कार्यालयों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थान पर नियमित पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

33–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

34-37–श्री दल सिंगार –

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

38–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[4थे मंगल में अता० प्र० सं० 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में दस लाख कुओं की योजनान्तर्गत बनाये गये कुओं का विवरण

39–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में 1990 से अब तक कुल कितने कुएं दस लाख कुओं की योजनान्तर्गत बनाये गए हैं ? इसका विवरण क्या है ? क्या वर्ष 1990-91 में बनाये जाने वाले दस लाख कुओं की योजना में कूप बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब बनायें गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में वर्ष 1990 से अब तक दस लाख कुओं की योजनान्तर्गत बनाये गये कुओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	कार्य/स्थल का नाम	स्वीकृति धनराशि	व्यय की गई धनराशि	की कार्य स्थिति
वर्ष 90-91				
1	सिंचाई कूपडिंगवाही	(एक) 33747.00	33747.00	पूर्ण
2	,, छनेहरा	(एक) 33371.00	33371.00	पूर्ण
3	,, जखैरा	(एक) 35940.00	10000.00	निर्माणाधीन
		योग :– 103058.00	77118.00	
वर्ष 91-92				
1	सिंचाई कूप करहिया	(एक) 36786.00	10,000.00	निर्माणाधीन
2	,, ,, लामा	(एक) 39027.00	- -	तदैव
3	,, ,, करबई	(एक) 40.000.00		,,
4	,, ,, जखौरा	(दो) 80.000.00		,,
		योग :–1.95.813.00	10,000.00	

वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित तीन कूपों के विरुद्ध दो कूपों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और एक कूप का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

विकास अधिकारी के मार्ग-निर्देशन में जी नहीं । कूपों का निर्माण कार्य खण्ड,'विकास खण्ड के अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा तकनीकी देखरेख में कराया जा रहा है ।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम नरजिता ग्राम नरापढ़ आदि ग्राम में पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु पशु अस्पताल खुलवाये जाने की मांग

40–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम नरजिता ग्राम नरापढ़ ग्राम सवादा ग्राम बरहेटा में पशु अस्पताल खुलवाया जायेगा जिससे पशुओं को बीमारी से बचाया जा सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

प्रदेश में पशु चिकित्सालय स्थापित करने का कार्य जिला स्तर पर जिला नियोजन एवं समन्वय समिति के द्वारा किया जाता है । यदि जिला नियोजन एवं समन्वय समिति द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होगा तो तद्नुसार पशु चिकित्सालय की स्थापना पर विचार किया जायेगा ।

उत्तर गोंडा वन प्रभाग, गोण्डा में स्थित प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय भवन के निर्माण में लकड़ियों के मूल्य को टेण्डर में न सम्मिलित किये जाने विषयक अनियमितताओं के लिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

41–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा में स्थित प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया है जिसमें खिड़कियों एवं दरवाजों की लकड़ियों की आपूर्ति रेंज अधिकारी, तुलसीपुर के माध्यम से करायी गयी है ? क्या भवन आगणन में जो लकड़ियों का मूल्य है, वह टेण्डर में सम्मिलित नहीं किया गया ? यदि हां, तो इन अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी कौन है और दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा श्री अरुण प्रकाश अस्थाना, अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी, पचपेड़वा, गोण्डा के विरुद्ध रुपयों के घपले के संबंध में सचिव एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ० प्र० तथा सचिव, पंचायती राज को पत्र एवं कार्यवाही

42–श्री बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि प्रश्नकर्ता ने 23 दिसम्बर, 91 से 31 दिसम्बर, 91 के बीच में कोई शिकायती पत्र श्री अरुण प्रकाश अस्थाना, अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी, पचपेड़वा गोण्डा के विरुद्ध लाखों रुपये के घपले के संबंध में उनको तथा सचिव, ग्राम्य

विकास को एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ० प्र० को तथा सचिव, पंचायती राज को दिया था ? यदि हां, तो जांच किस स्तर के अधिकारी से कराने के आदेश दिये गये और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री अरुण प्रकाश अस्थाना, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं खण्ड विकास अधिकारी, पचपेड़वा, जनपद गोण्डा द्वारा लाखों रुपये का अपहरण एवं अनियमित कार्य शासन स्तर से जांच कराने विषयक माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 23-12-91 जांच हेतु दिनांक 10-2-1992 का प्राप्त हुआ है । शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच जिला विकास अधिकारी द्वारा करायी जा रही है । शिकायती-पत्र में इंगित तथा अनियमित कार्यो एवं धनराशि के अपहरण की विस्तृत जांच में अभी कुछ समय लगेगा । जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित अवर अभियन्ता श्री अस्थाना की मृत्यु दिनांक 4-1-92 को हो गयी है तथा संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री उपाध्याय की सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं की गई है ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी में कूप योजना के अन्तर्गत बने कूपों का विवरण

43–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी में वर्ष 1990-91 से दिसम्बर, 91 तक योजनावार कुल कितने कूप दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत बनाये गये है ? किन-किन गांवों में उक्त कूप बनाये गये हैं ? क्या उक्त वित्तीय वर्ष को छोड़कर पिछली योजना के कूपों का निर्माण ग्रामों में पूर्ण कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी उच्चस्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी में वर्ष 1990-91 से दिसम्बर, 91 तक दस लाख कूप योजनान्तर्गत किसी भी ग्राम में कूप निर्माण का कार्य नहीं कराया गया है ।

विगत वर्षो में सिंचाई कूपों से संबंधित कोई भी योजना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित नहीं की जा रही थी और न ही किसी भी सिंचाई कूप का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

44–श्री खालिद गौरी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

45–श्री भोला शंकर मौर्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

एच० बी० टी० आई०, कानपुर के निदेशक द्वारा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, उत्पीड़न एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जांच तथा कृत कार्यवाही

46–श्री रामदेव आचार्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एच० बी० टी० आई०, कानपुर के निदेशक द्वारा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, उत्पीड़न एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जांच हेतु कोई आदेश दिनांक 20-7-91 को प्रदान किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां । जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ।

जांच आख्या में कुछ अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं ।

47–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बरेली में औद्योगिक विकास हित में किला ब्रिज से परसाखेड़ा नगर पालिका चुंगी चौकी तक सिटी बस चलाने की मांग

48–डा० दिनेश जौहरी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बरेली जनपद में परसाखेड़ा एक पूर्ण औद्योगिक पट्टी के रूप में विकसित हो रहा है ? क्या बरेली नगर से परसाखेड़ा तक सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों के आने जाने हेतु ट्रांसपोर्ट के उचित साधन न होने से उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के हित में किला ब्रिज से परसाखेड़ा नगर महापालिका चुंगी चौकी तक सिटी बस सर्विस चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

जी नहीं । इस मार्ग पर पर्याप्त यातायात सुविधा उपलब्ध है ।

निगम के सीमित संसाधन को देखते हुये किला से परसाखेड़ा के लिये अतिरिक्त सेवायें संचालित करना संभव नहीं है ।

49–डा० दिनेश जौहरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद वाराणसी के राजकीय दीक्षा विद्यालय सारनाथ के भू० पू० सहायक अध्यापक श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल द्वारा जी० पी० एफ० से अनियमित आहरण एवं कार्यवाही न किये जाने का औचित्य

50–श्री विश्वनाथ–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय दीक्षा विद्यालय सारनाथ, जनपद वाराणसी के भू० पू० सहायक अध्यापक श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल ने अपने जी० पी० एफ० लेखा पर्ची में वर्ष 83-84 में 72680.45 रु० के स्थान पर 172680.45 रु० का आहरण किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त सहायक अध्यापक द्वारा की गयी वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जानकारी विभाग को पहले से ही है ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

आहरण में जालसाजी की गयी है ।

जी हां ।

जांच के आदेश दे दिए गए हैं । जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

51–श्री मोहम्मद आजम खां–

[4थे मंगल में अता० प्र० सं० 137 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री कामता प्रसाद सुन्दर लाल, साकेत महा विद्यालय, फैजाबाद में भ्रष्टाचार घपला आदि की जांच विषयक श्री सुधीर कुमार पाण्डेय का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र एवं कार्यवाही

52–श्री राम देव आचार्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कामता प्रसाद सुन्दर लाल, साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचारों, आर्थिक दुर्विनियोगों, घपलों की जांच एवं स्पेशल आडिट कराकर कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कामता प्रसाद सुन्दर लाल, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फैजाबाद के श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, का प्रार्थना पत्र माह दिसम्बर, 1991 में मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

53-54–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

55–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[4थे मंगल में अता० प्र० सं० 134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

56–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

57-58–श्री दलवीर सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

59-61–श्री महराज सिंह यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने की मांग

62–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोई कन्या इण्टर कालेज संचालित है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कोई राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

योजना न होने के कारण नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रमुख वन रक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा राज्य वन सेवा नियमावली, 1952 के संशोधित प्रालेख्य को अनुमोदित करने हेतु शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जाना एवं उस पर शासन द्वारा निर्णय

63–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख वन रक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्र संख्या सं०ई०शा०449/10-3-92, दिनांक 19 नवम्बर, 1990 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा नियमावली, 1952 के संशोधित प्रालेख्य को अनुमोदित करने हेतु शासन की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक इस नियमावली में संशोधन के लिए आदेश जारी होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली 1952 में प्रस्तावित संशोधनों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की सहमति हेतु प्रस्ताव शासन के पत्र संख्या–19181/14-1–88–15/79 टी० सी० दिनांक 3-12-1988 को भेजा गया है । प्रस्ताव अभी आयोग के विचाराधीन है ।

स्व० श्री फिरोज अख्तर जिला संख्याधिकारी, गोण्डा की राजकीय कार्यों के भ्रमण के अवसर पर मृत्यु एवं उनकी विधवा पत्नी को पारिवारिक पेंशन भुगतान किये जाने की मांग

64–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व० श्री फिरोज अख्तर जिला संख्याधिकारी, गोण्डा की राजकीय कार्यों के भ्रमण के अवसर पर दिनांक 22 दिसम्बर, 1964 को मृत्यु होने के बाद अभी तक उनकी विधवा पत्नी को पारिवारिक पेंशन एवं अन्य अवशेष देयों का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या स्व० फिरोज अख्तर के पेंशन आदि के सम्बन्ध में शासन स्तर के उ० प्र० आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशालय के निदेशक ने अपने पत्र संख्या–31741ए-20/65 दिनांक 17 सितम्बर, 1966 द्वारा सचिव, नियोजन विभाग को विस्तृत विवरण भेजते हुए उनकी विधवा श्रीमती जुबेदा खातून को तात्कालिक पेंशन प्रदान करने हेतु भेजा है ? यदि हां, तो 25 वर्षों के व्यतीत होने पर भी अभी तक उसकी स्वीकृति न दिए जाने के कारण क्या हैं ? उक्त कार्य में लापरवाही किस अधिकारी एवं कर्मचारी की है तथा शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त शासकीय सेवाकाल मे मृतक अधिकारी की विधवा को पेंशन स्वीकृत कराने व उन्हें भुगतान कराने की कार्यवाही शीघ्र करने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी नहीं । स्व० श्री फिरोज अख्तर की पारिवारिक पेंशन तत्कालीन यू० पी० रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 के भाग–3 फेमली पेंशन से आच्छादित न होने के कारण शासन द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी थी । श्रीमती जुबेदा खातून पत्नी स्व० श्री फिरोज अख्तर को मृतक आनुतोषिक रू० 3660/- स्वीकृत किया गया था जिसका प्राधिकार पत्र कोषाधिकारी, आजमगढ़ तथा सूचना श्रीमती जुबेदा खातून

को दे दी गई थी । श्रीमती जुबेदा खातून द्वारा भुगतान प्राप्त किये जाने या न किये जाने के संबंध में कोषाधिकारी आजमगढ़ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रकरण अत्यधिक पुराना होने के कारण तद्विषयक रिकार्ड की छान-बीन की जा रही है तथा सूचना प्राप्त होते ही अवगत करा दिया जायेगा ।

जी हां । परन्तु प्रकरण समुचित विचारोपरान्त यू० पी० रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स के 1961 के भाग -3 फैमली पेंशन द्वारा आच्छादित नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । यदि स्व० श्री फिरोज अख्तर की पत्नी द्वारा पुनः इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो वर्तमान रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स के तहत प्रकरण का सम्यक परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मिही लाल पुत्र श्री पन्ना लाल, श्री महेश पुत्र श्री सरवन, निवासीगण ग्राम एटा, जिला फिरोजाबाद को आवासीय भवनों के उपलब्ध कराये जाने के नाम पर ग्राम प्रधान एटा द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षरों से स्वीकृत कर्जे को स्वयं लिये जाना एवं दोनो व्यक्तियों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कर्ज अदायगी के नोटिस का औचित्य

65—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेगे कि श्री मिही लाल पुत्र श्री पन्ना लाल, व श्री महेश पुत्र श्री सरवन, निवासीगण ग्राम-एटा, जिला फिरोजाबाद को ग्राम प्रधान एटा द्वारा निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 2000/- रुपया का ऋण उपलब्ध कराकर, आवासीय भवनों का निर्माण कराया गया है ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त प्रधान ने उपरोक्त व्यक्तियों के फर्जी हस्ताक्षर से उनके नाम से स्वीकृत कर्जे की धनराशि स्वयं हड़प ली है और मौके पर आज भी उनके नाम से कोई आवासीय भवन नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को खण्ड विकास अधिकारी टूण्डला, जनपद फिरोजाबाद द्वारा आवासीय भवनों के कर्जे की अदायगी के नोटिस दिये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

त्रुटिवश नोटिस दी गयी थी, जो दिनांक 7-1-92 को निरस्त कर दी गयी है ।

66-67—श्री स्वामी नाथ यादव तथा श्री हरिवंश सहाय—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

इलाहाबाद मण्डल एवं फतेहपुर कोषागार में चेक प्रणाली को लागू किये जाने की मांग

68—श्री अभिमन्यु सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेगे कि इलाहाबाद मण्डल के अन्तर्गत किन-किन कोषागार में चेक प्रणाली लागू की जा चुकी है ? क्या फतेहपुर कोषागार में उक्त प्रणाली लागू किये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो यह प्रणाली कब से लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इलाहाबाद मण्डल में अब तक केवल कोषागार, इलाहाबाद प्रथम व द्वितीय में चेक प्रणाली लागू है ।

शासन में इस प्रस्ताव का परीक्षण हो रहा है कि प्रदेश के समस्त कोषागारों में इस व्यवस्था को लागू किया जाय ।

अभी से किसी निश्चित तिथि का उल्लेख नहीं किया जा सकता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेंशनरों को सुविधा पहुंचाने हेतु प्रदेश के कोषागारों में टेलर पद्धति लागू किया जाना एवं फतेहपुर कोषागार में यह प्रणाली अब तक न लागू किये जाने का औचित्य

69—श्री अभिमन्यु सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेंशनरों को सुविधा पहुंचाने हेतु प्रदेश के कितने कोषागारों में टेलर पद्धति लागू की जा चुकी है ? फतेहपुर कोषागार में यह प्रणाली अब तक न लागू करने का औचित्य क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वर्तमान में, यह व्यवस्था कानपुर कोषागार में दिनांक 1-4-85 से तथा कोषागार गाजीपुर, इलाहाबाद, अल्मोड़ा झांसी, मेरठ, एवं देहरादून में दिनांक 1-8-86 से लागू है ।

टेलर प्रणाली समस्त कोषागारों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है ।

फतेहपुर कोषागार के अधीन कार्यरत उपकोषागारों हेतु सप्तम/अष्टम वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर निर्मित कराये गये भवनों का उपयोग किया जाना एवं कोषाधिकारी नियुक्त किये जाने की मांग

70—अभिमन्यु सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फितेहपुर कोषागार के अधीन कार्यरत उप कोषागार हेतु सप्तम/अष्टम वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर निर्मित कराये गये भवनों का उपयोग वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इन कोषागारों में वित्त विभाग के विभागीय कोषाधिकारी नियुक्त किये जा चुके है ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जी हां ।

जी नहीं ।

तहसीलदार द्वारा फिलहाल उक्त कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है ।

71—श्री दिनेश चन्द्र सोनकर—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

लखनऊ कानपुर रोड योजना सेक्टर "बी" के व्यवसायिक केन्द्र में पुराने मकान के अवशेष में देशी शराब की चलायी जा रही दुकानों को हटाये जाने की मांग

72—श्री माधव—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ कानपुर रोड योजना सेक्टर "बी" के व्यवसायिक केन्द्र में पुराने मकान के अवशेषों में देशी शराब की दुकान चलाई जा रही है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है और यह किसके आदेश से किया गया है ? क्या सरकार इसको हटाये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल—

लखनऊ कानपुर रोड पर बाराबिरवा नामक देशी शराब की दुकान वर्ष 1990-91 से एक किराये के मकान में नियमानुसार चलायी जा रही है । दुकान के पूरब में खाली जमीन, पश्चिम में कानपुर रोड, उत्तर में कैनाल रोड तथा दक्षिण में बाग है । जिस मकान में उक्त देशी शराब की दुकान चल रही है, वह मकान पुराना किन्तु अच्छी हालत में है । वर्ष 1990-91 में जब ये दुकान खोली गई थी उस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दुकान के दक्षिण स्थित बाग में दुकानों का निर्माण प्रारम्भ किया गया था । उक्त दुकान खोले जाने से लेकर आज तक जनता की ओर से इस दुकान को हटाये जाने के संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । अतः राजस्व हित में प्रश्नगत दुकान को अन्यत्र हटाये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र के विकास खण्डों के लिये स्वीकृत जीपें एवं कुछ विकास खण्डों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे वाहनों की समस्या के निराकरण के उपाय

73—श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मिर्जापुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र के विकास खण्डों में से किन-किन में जीप स्वीकृत है ? क्या इनमें से कुछ विकास खण्डों के वाहन अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और इसके निराकरण के क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद-मिर्जापुर एवं सोनभद्र के समस्त विकास खण्डों में जीपें स्वीकृत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

७४—श्री राम सरन—

[6वें बुधवार में अता० प्र० सं० 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थ नगर में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण हेतु जिला परिषद् बस्ती को दी गई धनराशि तथा सड़कों को निश्चित अवधि में पूर्ण किये जाने की मांग

75—श्री शिव लाल मित्तल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण-सिद्धार्थनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में किन-किन सड़कों को बनाने हेतु कितनी-कितनी अवमुक्त धनराशि जिला परिषद् बस्ती को दी गई ? क्या उन सड़कों का निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उन सड़कों का निर्माण कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

क्या मंत्री जी उन कार्यो को समय से पूरा न किये जाने एवं धन के दुरुपयोग अथवा आहरण एवं अपने पास रोके रहने की जांच उच्चाधिकारी से कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही एवं धन के वसूली की कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 90-91 एवं 91-92 में सड़कों के बनाने हेतु मु०–39.13.867-10 (रुपये उन्तालीस लाख तेरह हजार आठ सौ सरसठ पैसा दस मात्र) की धनराशि जिला परिषद् बस्ती/सिद्धार्थनगर को दी गयी है जिन सड़कों को बनाने हेतु धनराशि दी गयी उन सड़कों की सूची विस्तृत होने के कारण मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

उन सड़कों पर अवमुक्त धनराशि के अनुसार कार्य कराया गया है शेष सड़कों का निर्माण अवशेष धन के अंतर्गत कराया जा रहा है जिसकी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

धन के दुरुपयोग अथवा आहरण की जानकारी होने पर उसकी जांच कराई जाती है दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

अपर परियोजना निदेशक, बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद दुरुपयोग एवं जातिवाद के आरोप संबंधी प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ पत्र एवं कार्यवाही

76–डा० दिनेश जौहरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर परियोजना निदेशक, बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं जातिवाद के आरोप संबंधी कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ अगस्त, 91 के आसपास उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच करायी गई ।

जांचोपरान्त आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

77–श्री चन्द्र भान मौर्य–

[४थे मंगल में अता० प्र० सं० 135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

78–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[4थे बुध में अता० प्र० सं० 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में सूखा राहत निधि के अन्तर्गत ग्राम-चमरहा कोड सं०199 ब्लाक बडोखर खुर्द में आदेशानुसार अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक शाखा, बांदा द्वारा दो हैण्ड पम्प की जगह एक हैण्ड पम्प स्थापित किया जाना एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

79–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में सूखा राहत दैवी आपदा राहत निधि के अन्तर्गत ग्राम-चमरहा कोड सं०–199 ब्लाक बडोखर खुर्द में जिलाधिकारी, बांदा के आदेश संख्या–798/सी० आर० ए० (दि० आ०) बांदा जून, 1991 के अनुसार दो हैण्ड पम्प लगाये जाने थे ? यदि हां, तो क्या दोनों हैण्ड पम्प ग्राम-चमरहा में न लगवा कर बांदा नगर में ही अधिष्ठापित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या संबंधित अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक शाखा, बांदा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी ? क्या अब दो हैण्ड पम्प चमरहा में लगवाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम-चमरहा में एक हैण्ड पम्प लगा दिया गया है । दूसरा ग्रामवासियों के विवाद के कारण नहीं लगाया जा सका था विवाद समाप्त हो गया है । अतः दूसरा हैण्ड पम्प भी शीघ्र लगा दिया जायेगा ।

आंवला जनपद बरेली में डिग्री कालेज खोलने की मांग

80–श्री श्याम बिहारी सिंह, डा० दिनेश जौहरी तथा श्री नन्द राम–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आंवला जनपद बरेली में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग काफी समय से चल रही है और कालेज के लिये भूमि भी दान में मिल चुकी है ? यदि हां, तो उक्त कालेज खोले जाने की अनुमति क्या शीघ्र दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या–5628/15-11-89-2 (37)/79 दिनांक 17-11-1989 द्वारा वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता एवं भूमि/भवन की व्यवस्था होने के बाद कला संकाय में महाविद्यालय खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है । राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

81–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

82–श्री राम गोविन्द चौधरी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

आगरा पश्चिमी के अनुसूचित क्षेत्र में एक महिला बस चलाने व प्रताप नगर जयपुर हाऊस में चलने वाली बस को पुनः चालू किये जाने की मांग

83–श्री किशन गोपाल–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि आगरा पश्चिम में प्रतापनगर, जयपुर हाउस में चलने वाली सिटी बस को बन्द कर दिया गया है ? क्या आगरा पूर्व में एक नई महिला सिटी बस सेवा मंत्री जी द्वारा चलाई गई है ? क्या इसी प्रकार आगरा पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में एक महिला बस चलाने की व प्रताप नगर जयपुर हाउस में चलने वाली सिटी बस जो बन्द कर दी गई है, को पुनः चालू करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

दिनांक 15-8-91 से कमलानगर से शहीदनगर एवं दयालबाग से कम्पनी बाग तक महिलाओं के लिये सिटी बस सेवायें संचालित हैं ।

जी नहीं ।

सीमित संसाधन एवं बस बेड़े का दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत सेवायें चलाना फिलहाल संभव नहीं है ।

94–श्री राम प्रसाद सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जिला इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के इफको कारखाने के गन्दे पानी से कतिपय प्रभावित गांव एवं प्रदूषण की समस्या को दूर किये जाने की मांग

85–श्री विक्रमाजीत मौर्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के ग्राम मलेथुआ, बगेहरा, हैवतपुर व वीरक्राजी जो इफको कारखाने के नाले के गन्दे पानी से प्रभावित है और इन गांवों व आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण की भीषण समस्या व्याप्त हो गयी है, उस प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में सरकार क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित कर लिया गया है तथा उत्प्रवाह को बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर निस्तारित कर रहा है ।

जनपद बांदा में पलटा सम्पर्क मार्ग पर नवनिर्मित पुलिया में लगे घटिया मेटिरियल की जांच एवं दोषी कर्मचारियों को दण्डित किये जाने की मांग

86–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में पैलानी से नये पलटा सम्पर्क मार्ग पर नवनिर्मित नरी के प्रास घटिया किस्म के मेटिरियल के कारण पुलिया का मटेरियल नष्ट हो गया है ? जिससे पुलिया तिरछी होकर खराब हो गई है ? क्या कार्य कराये गये कार्य की टेक्निकल जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत नाम का कोई सम्पर्क मार्ग नहीं है । नरी गांव के निकट तीन ह्यूम पाइप पुलियों का निर्माण किया गया है । कोई भी पुलिया तिरछी नहीं हुई है । केवल एक पुलिया की पैराफिट को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मामूली क्षति पहुंचायी गयी थी । जिसे ठीक कराया जा रहा है ।

पुलिया निर्माण का कार्य विशिष्टियों के अनुसार सही सामग्री का ही उपयोग किया गया है इसके लिये कोई कर्मचारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

87–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[4थे मंगल में अता० प्र० सं० 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

88–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[7वें गुरूवार में अता० प्र० सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद सरयू क्षेत्र के वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत रेंज अधिकारी उतरौला रामपुर/गोण्डा की चरित्र पंजिका में रेंजों को प्रभार पर न रखे जाने का उल्लेख एवं उन्हें हटाने के लिए की गयी कार्यवाही

89—श्री बाला प्रसाद—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग के सरयू क्षेत्र फैजाबाद के अंतर्गत कार्यरत रेंज अधिकारी उतरौला/रामपुर/गोण्डा की चरित्र पंजिका में यह उल्लेख है कि इन्हें रेंजों के प्रभार पर नहीं रखा जा सकता है ? यदि हां, तो सरकार रेंजों के प्रभार से हटाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन प्रभाग के मध्य क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत रेंज अधिकारियों का स्थानान्तरण एवं मा० उच्च न्यायालय के निर्देश के विरुद्ध रेंज का प्रभार न देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

90—श्री बाला प्रसाद—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि वन विभाग के मध्य क्षेत्र लखनऊ के अंतर्गत वर्ष 1987 से 31-12-91 तक किस-किस रेंज के रेज अधिकारी ने स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ इलाहाबाद तथा लखनऊ बेंच से स्थगन आदेश प्राप्त किया है ? उसमें किस-किस रेंज अधिकारियों का स्थानान्तरण आदेश उच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित होने पर रेंजों का प्रभार दिया गया और किस-किस रेज अधिकारियों को उच्च न्यायालय के निर्देश के विरुद्ध रेज का प्रभार नहीं दिया गया ? क्या सरकार उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को दो तरह से मानने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

मध्य क्षेत्र का गठन जुलाई, 1989 में हुआ था । तब से 31-12-91 तक सरयू दूत के उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के तुलसीपुर व भांभर रेजों के रेंज अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेशों पर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेच से स्थगन आदेश संबंधित रेंज अधिकारियों द्वारा प्राप्त किये गये ।

दोंनों रेंज अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए रेंजों का प्रभार दिया गया था । अन्य किसी रेज अधिकारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के किसी निर्देश के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

राजकीय इण्टर कालेज कोटद्वार गढ़वाल से परिचारक के पद से सेवा निवृत्त श्री शंकरानन्द खन्तवाल को प्रान्तीय विद्यालयों के कर्मचारियों/अध्यापकों के समान पेन्शन हेतु अशासकीय सेवा को जोड़े जाने की मांग

91—श्री भारत सिंह रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगे कि राजकीय इण्टर कालेज, कोटद्वार गढ़वाल से दिनांक 31-12-89 को परिचारक के पद से सेवा निवृत्त श्री शंकरानन्द खन्तबाल को प्रान्तीयकृत विद्यालयों के अन्य कर्मचारियों/अध्यापकों के अनुरूप पेंशन स्वीकृति हेतु उनकी अशासकीय सेवा को जोड़ा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि अध्यापकों तथा श्रेणी तीन के कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृति हेतु उनकी अशासकीय सेवा का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो इसी

प्रकार श्रेणी चार के कर्मचारियों को भी लाभ प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो इसमें शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला पिथौरागढ़ के गुरना नामक स्थान पर शिक्षा विभाग की दुर्घटनाग्रस्त जीप एवं जिला विद्यालय निरीक्षक श्री भगवती प्रसाद जोशी के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

92–श्री भारत सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 10 मई, 1989 को जिला पिथौरागढ़ के गुरना नामक स्थान पर शिक्षा विभाग की एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ? यदि हां, तो उक्त दुर्घटना मे मृत जिला विद्यालय निरीक्षक श्री भगवती प्रसाद जोशी के परिवारजनों को श्री जोशी को लभ्य देयों के अतिरिक्त क्या आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत जीप दुर्घटना 10 मई, 1984 को हुई थी ।

स्व० श्री जोशी के परिवारजनों को लभ्य देयों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री सहायता कोष से रु० 2000 की सहायता प्रदान की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को सम्बोधित परिवहन कर्मचारियों से संबंधित एवं चित्रकूट धाम कर्वी में परिवहन निगम का डिपो खोले जाने विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

93–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा दि० 8-7-91 को मुख्य मंत्री को संबोधित परिवहन निगम के कर्मचारियों से संबंधित राज्य परिवहन निगम के एक डिपो चित्रकूट धाम कर्वी में स्थापित करने के संबंध में लिखे गये दो पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

चित्रकूट धाम डिपो विषयक पत्र दिनांक 8-7-91 प्राप्त हुआ है ।

कर्वी में डिपो स्थापित करने के लिए भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही गतिशील है, जिसके लिये रु० 3,46,562.93 का भुगतान भूमि अध्याप्ति अधिकारी बांदा को किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में विकास खण्ड बैतालपुर में हरिजन एवं निर्बल आवास बनाने की स्वीकृति एवं निर्माण एवं निर्मित भवन स्वीकृत मानक के अनुसार न होने के कारण

94–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बैतालपुर, जनपद देवरिया में वित्तीय वर्ष 1986-87, 1987-88 में कितने हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवासों जिला प्रशासन द्वारा निर्माण

हेतु स्वीकृत थे ? कितने आवासों का निर्माण क्रमशः उक्त दोनों वित्तीय वर्षों में प्रारम्भ किया गया ? क्या यह सत्य है कि निर्मित भवन विभागीय स्वीकृत मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

विकास खण्ड बैतालपुर में स्वीकृत आवास इस प्रकार है:–

वर्ष	निर्बल वर्ग आवास सामान्य/अनुसूचित जाति		इन्दिरा आवास
1986-87	5	21	26
1987-88	2	15	14

उक्त सभी आवासों का निर्माण क्रमशः दोनों वित्तीय वर्षों में प्रारम्भ किया गया ।

सभी आवासों का निर्माण विभागीय स्वीकृत मानक के अनुसार कराया गया है ।

जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम सभा मिर्जापुर पोस्ट नीमगांव, ब्लाक बेहजब में खड़ंजा एवं हरिजन कालोनी के निर्माण कार्य एवं लागत के ब्योरे को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

95–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मिर्जापुर पोस्ट नीमगांव, ब्लाक बेहजब, जनपद लखीमपुर खीरी में खड़ंजा एवं हरिजन कालोनी का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब प्रारम्भ कर पूर्ण किया गया ? कार्य की लागत क्या थी तथा कितनी लागत में बनकर तैयार हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया ? क्या इसकी जांच जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी स्वयं करके आख्या सदन पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । खड़न्जा एवं हरिजन आवासों का निर्माण कराया गया है ।

वर्ष 1989-90 के तीन हरिजन आवासों के निर्माण का कार्य माह जून, 1990 में प्रारम्भ कर दिसम्बर, 1990 में पूर्ण किया गया तथा वर्ष 1990-91 के तीन आवासों के निर्माण का कार्य मई, 1991में प्रारम्भ कर अगस्त 1991 में पूर्ण किया गया है ।

ग्रामसभा मिर्जापुर के मजरा कोटरा में 100 मीटर खड़ंजा के निर्माण का कार्य माह मई, 1986 में प्रारम्भ कर माह जून, 1986 में पूर्ण किया गया है ।

वर्ष 1989-90 में स्वीकृत आवासों की लागत रु० 7,000 तथा वर्ष 1990-91 में स्वीकृत आवासों की लागत रु० 8,000 प्रति आवास थी और इसी स्वीकृत लागत पर आवास पूर्ण हुये हैं । खड़न्जा निर्माण हेतु रु० 5,000 की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिससे खड़न्जा निर्मित कराया गया है ।

जी नहीं । निर्माण कार्य कराया गया है ।

उपरोक्त निर्माण कार्यों की जांच आवास विकास अधिकारी द्वारा की जा चुकी है ।

96–श्री सोमांश प्रकाश–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

97–श्री राम प्रसाद सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा/गैसड़ी में अम्बेदकर योजना में चयनित ग्राम सभाओं में प्रथम श्रेणी ईंटों के स्थान पर खराब ईंटों का प्रयोग किये जाने पर विकास खण्ड अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

98–श्री बाला प्रसाद–

क्या ग्राम विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा/गैसड़ी में जिन ग्राम सभाओं को अम्बेदकर योजना में चयनित किया गया था तथा इन ग्राम सभाओं में प्रथम श्रेणी के ईंटों की आपूर्ति खण्ड विकास अधिकारियों को करनी थी परन्तु बिना कुटेशन के तथा बिना टेण्डर के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा खराब ईंटों की आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार शासन स्तर से जांच कराकर भुगतान को रोकेगी और दोषी खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । खण्ड विकास अधिकारी, पचपेड़वा द्वारा कोटेशन लेकर प्रथम श्रेणी की ईंटों की आपूर्ति ली गयी है । खण्ड विकास अधिकारी गैसड़ी द्वारा अभी ईंटों की आपूर्ति नहीं ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

99–श्री राम प्रसाद सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

100–श्री राम औतार शाक्य–

[4 थे मंगल में अला० प्र० सं० 136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वामी विवेकानन्द संस्कृत महाविद्यालय, पुरुषोत्तम पट्टी, बलिया के प्रधानाचार्य द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कार्यवाही की मांग

101–श्री सुधीर राय–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्वामी विवेकानन्द संस्कृत महाविद्यालय, पुरुषोत्तम पट्टी, जनपद बलिया के प्रधानाचार्य श्री शिवानन्द तिवारी की नियुक्ति सन् 1981 में हुई थी ? यदि हां, तो क्या उस समय उनकी शैक्षिक योग्यता मात्र शास्त्री थी जबकि प्रधानाचार्य के लिए आचार्य उत्तीर्ण होना आवश्यक है ? क्या इस संदर्भ में श्री शिवानन्द तिवारी ने आचार्य उत्तीर्ण होने का फर्जी प्रमाण-पत्र विभाग में प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध विभाग को दिए गये आवेदन पत्र के आधार पर जांच हुयी ? क्या उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध उक्त जालसाजी के सम्बन्ध में कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

मामले की जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुद्धिबाल कल्याण परिषद्, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा संचालित संस्था जागृत बिहार में चतुर्थ श्रेणी के पद पर श्रीकान्त दूबे तथा श्री भोला प्रसाद के अवांछनीय अपराध के कारण सेवा से निकाला जाना एवं पुनः सरस्वती विद्यालय कन्या इण्टर कालेज में नियुक्त किये जाने की शिकायत

102–श्री विजयपाल सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बुद्धिबाल कल्याण परिषद्, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा संचालित संस्था जागृत बिहार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर श्रीकान्त दूबे तथा श्री भोला प्रसाद ने कितने दिनों तक कार्य किया ? क्या यह सत्य है कि उक्त दोनों कर्मचारी चोरी जैसे अवांछनीय कार्य करने में पकड़े गये ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों कर्मचारियों को उक्त संस्था से निकाल दिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त दोनों कर्मचारियों को सरस्वती विद्यालय कन्या इण्टर कालेज, नरही, लखनऊ के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर जो टी० सी० प्राप्त करके नियुक्त कर लिया है वह जाली है ? क्या मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ द्वारा नियम संग्रह की धारा 22 के अन्तर्गत उक्त कर्मचारियों का अनुमोदन निरस्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उल्लिखित दोनों कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया नियमानुसार सम्पादित नहीं की गयी है । मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ को मामले में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद आगरा में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विकास खण्ड टूण्डला तथा ऐत्मादपुर में लाभार्थियों को वितरित की गई परिसम्पत्तियां एवं उनका भौतिक सत्यापन कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

103–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड टूण्डला तथा ऐत्मादपुर जनपद आगरा में कितने-कितने लाभार्थियों को परिसम्पत्तियां किन परिस्थितियों में वितरित की गई हैं ? क्या मौके पर इनका सत्यापन किया गया है ? क्या यह सत्य है कि इस कार्यक्रम में भारी अनियमितता की गई है ? यदि हां, तो क्या इन अनियमितताओं की जांच तथा भौतिक सत्यापन किसी उच्च अधिकारी से करने तथा दोषी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 1991-92 में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 457 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराके परिसम्पत्तियां क्रय करायी गयी । विकास खण्ड ऐत्मादपुर जनपद आगरा में वर्ष 1991-92 में उक्त योजना के अंतर्गत 554 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा नगद ऋण वितरण कराकर परिसम्पत्तियां क्रय करायी गयी ।

जी हां ।

जी नहीं ।

विकास खण्ड टूण्डला में लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी परिसम्पत्तियों का स्थलीय सत्यापन सहायक विकास अधिकारी/सेक्टर अधिकारियों से तथा विकास खण्ड ऐत्मादपुर में सत्यापन का कार्य खण्ड विकास अधिकारी से कराया गया । लाभार्थियों को वित्त पोषित कराने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

1 04–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[7वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में ग्राम कनवारा से ग्राम पिपरी पचुल्ला–लुकतरा अलोना, सांडी सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने की मांग

105–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में ग्राम-कनवारा से ग्राम पिपरी पचुल्ला-लुकतरा अलोना, सांडी सम्पर्क मार्ग कब तक बनवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव जिला कार्यान्वयन समिति अथवा ग्राम्य विकास अभिकरण प्रबंधकारिणी द्वारा स्वीकृति नहीं है । नियमानुसार कार्य स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही इन सम्पर्क मार्गो का निर्माण सम्भव हो सकेगा ।

जनपद बांदा में कानाखेड़ा से इछावर तक सम्पर्क मार्ग को पूर्ण करके डामरीकृत किये जाने की मांग

106–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में कानाखेड़ा से इछावर तक सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वर्ष 1992-93 में पूरा करके इसका डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

107–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[7वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

108–श्री स्वामी नाथ यादव–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

109–श्री राम प्रसाद सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में भूटानी नागरिक श्री हरिप्रसाद अधिकारी की प्राध्यापक पद पर नियुक्ति को निरस्त किये जाने की मांग

110–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में भूटानी नागरिक श्री हरिप्रसाद अधिकारी की स्थायी नियुक्ति प्राध्यापक पद पर की गयी है ? यदि हां, तो क्या विदेशी नागरिकों की भारतीय विश्वविद्यालयों में स्थाई रूप से नियुक्ति का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो

क्या उनकी अस्थाई नियुक्ति के लिए भारत सरकार से पूर्वानुमति ले ली गयी है ? यदि नहीं, तो कुलाधिपति ने उक्त विदेशी (भूटानी) प्राध्यापक की नियुक्ति निरस्त करने हेतु क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

उक्त नियुक्ति अभी परिवीक्षा पर की गयी हैं, स्थायी रूप से नहीं ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के परिनियमों में विदेशी नागरिकों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है ।

जी नहीं ।

उक्त मामले में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–68 के अन्तर्गत एक प्रतिवेदन कुलाधिपति महोदय को संदर्भित है जो अभी उनके विचाराधीन है ।

फैजाबाद के टांडा में कौमी इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक श्री राम निहोर लाल को पुनरीक्षित वेतन मान विलम्ब से दिये जाने के कारण

111–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के टांडा में कौमी इण्टर कालेज, टांडा के सहायक अध्यापक श्री राम निहौर लाल को दिनांक 1-1-1986 से पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-कारण से उन्हें अभी तक पुनरीक्षित वेतन नहीं दिया गया ? क्या उक्त स० अ०, श्री लाल, हाईस्कूल, जे० टी० सी० उत्तीर्ण है ? यदि हां, तो कब तक उनका वेतन पुनरीक्षित होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

उल्लिखित विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री राम निहौर लाल को दिनांक 1-1-86 से रु० 1,100-1,710 के पुनरीक्षित वेतनमान के चयन वेतमान रु० 1,250-1,920 में वेतन भुगतान किया जा रहा है, जो सही नहीं है । वेतन संशोधित किये जाने के आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद को दे दिये गये हैं ।

श्री लाल, हाईस्कूल प्रशिक्षित अध्यापक हैं । ऐसी श्रेणी के वेतनमान (400-620) के पुनरीक्षण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

जनपद गाजीपुर में ग्राम सभा विश्वम्भरपुर, पोस्ट भरौली कलां के ग्राम प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन एवं कराये गये कार्यों के विवरण को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

112–श्री राम शरण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा विशम्भरपुर, पोस्ट-भरौलीकलां, जनपद गाजीपुर के ग्राम प्रधान को आवंटित की गयी धनराशि में से कितनी धनराशि ग्राम विकास के कार्यों में उपयोग की गयी है ? कितनी धनराशि अब भी शेष है ? क्या योजना में कराये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा विशम्भरपुर पोस्ट भरौली कलां जनपद गाजीपुर के ग्राम प्रधान को आवंटित की गयी धनराशि में से मु० 70165.00 रुपये की धनराशि ग्राम विकास के कार्यों में उपयोग की गयी है ।

गांव सभा के खाते में कुल रु० 19346.10 तथा प्रधान के पास रु० 219.00 धनराशि शेष है ।

विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग(1)' का उत्तर पीछे 120–121पर)

113-117-श्री स्वामी नाथ यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के प्रभागीय अधिकारी तथा रेंज अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत एवं जांच

118–श्री बाला प्रसाद तथा श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 26 नवम्बर, 91 से 30 नवम्बर, 91 के बीच में विधायक श्री घनश्याम शुक्ल तथा प्रश्नकर्ता ने 23 दिसम्बर, 91 से 31 दिसम्बर, 91 के बीच में आपको सचिव वन महोदया को, प्रमुख वन संरक्षक महोदय को उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी तथा रेंज अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र दिया था जिसकी जांच श्री आर० बी० सक्सेना, वन संरक्षण निदेशक, प्रशिक्षण सेल, उ० प्र० द्वारा कराने के लिए आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो आरोप कौन-कौन थे और किस-किस आरोप में प्रभागीय वनाधिकारी एवं रेज अधिकारी दोषी पाये गये? क्या सरकार इसकी सूचना सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराई जा रही है ।

श्री दिनेश कुमार यादव/श्री अशोक कुमार सिंह, वन रेंजर का उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा से जनपद सुल्तानपुर को स्थानान्तरण व प्रस्थान में अनियमितता के कारण दोषी प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र एवं कार्यवाही

119–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन स्तर से 9 अगस्त, 91 को श्री दिनेश कुमार यादव/श्री अशोक कुमार सिंह, वन रेंजर का उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा से स्थानान्तरण जनपद सुल्तानपुर किया गया था तथा 31 अगस्त, 91 को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया था और 7 दिन के अन्दर जनपद सुल्तानपुर के लिए प्रस्थान नहीं कराया गया था ? क्या 31 अगस्त, 91 के बाद भी स्थानान्तरित वन रेंजरों से विभाग द्वारा कार्य लिया गया जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता ने प्रमाण-पत्र के साथ 3 जनवरी, 92 से 7 जनवरी, 92 के बीच में मंत्री जी को एवं सचिव वन को तथा प्रमुख वन

संरक्षक, उ० प्र० को भेजी है ? यदि हां, तो सरकार दोषी प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराई जा रही है ।

उत्तर प्रदेश वन निगम के प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, गोण्डा तथा विक्रय अधिकारी, तुलसीपुर द्वारा लकड़ियों का परमिट जारी किया जाना एवं ढुलान अलग-अलग दिवसों में एक ही ट्रक द्वारा किये जाने के कारण कार्यवाही की मांग

120–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 तक उत्तर प्रदेश वन निगम के प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, गोण्डा तथा विक्रय अधिकारी, तुलसीपुर ने डिपो तुलसीपुर/बालापुर/पचपेड़वा/वीरपुर में घरेलू प्रयोग हेतु मिश्रित एवं कोमल कास्ट प्रजातियों के जलौनी लकड़ियों का परमिट निर्गत किया है । ढुलाई अलग-अलग दिवस में एक ही ट्रक द्वारा एक ही ठेकेदार द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नही, जलौनी लकड़ी का ढुलान उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनियमित ढंग से दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही

121–श्री बाला प्रसाद–.

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 तक प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा ने नौकरियों पर शासन का प्रतिबन्ध न देखते हुए दैनिक वेतन पर तमाम कर्मचारियों के साथ श्री नरेन्द्र बहादुर लाल, आशुलिपिक, प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय, गोण्डा के सगे रिश्तेदार को भी सेवा पर दैनिक वेतन पर नियुक्त कर लिया है ? यदि हां, तो अनियमित रूप से नियुक्ति करने वाले प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या नियुक्तियों पर सरकारी कोष से हुए व्यय की पूर्ति तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी से सरकार करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये दैनिक पारिश्रमिक पर कुछ कर्मचारी रखे जाते हैं और कार्य समाप्त होने पर उनको हटा दिया जाता है परन्तु कार्यालय के आशुलिपिक के सगे रिश्तेदार को दैनिक वेतन पर नहीं रखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज तुलसीपुर/रामपुर/भांभर के वन सीमा में ईट भट्ठा लगाने के कारण लकड़ी की चोरी हो जाने की जांच की मांग

122–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अक्टूबर, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज तुलसीपुर/रामपुर/भांभर के वन सीमा के तीन कि० मी० के अन्दर भट्ठा मालिकों द्वारा ईट का भट्ठा लगाया गया है और अवैध रूप से वन विभाग से जलौनी की लकड़ी लाखों रुपये की प्रतिदिन चोरी होकर भट्ठे पर आती है और जला दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करा कर वन सम्पदा की चोरी रोकने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

1 अक्टूबर, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के केवल रेंज तुलसीपुर में एक तथा भांभर में दो ईट के भट्ठे वन सीमा से 3 कि० मी० के अन्दर स्थापित किये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

123–श्री अकबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

124–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज बनकटवा/बरहवा/तुलसीपुर/भांभर को विभिन्न योजनाओं हेतु आवंटित धन एवं अनियमितता की जांच विषयक पत्र एवं कार्यवाही की मांग

125–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री को यह जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने 1 नवम्बर, 91/25 नवम्बर, 91 से 30 नवम्बर, 91 के बीच मुख्य मंत्री तथा सचिव वन को एवं प्रमुख वन संरक्षक को इस विषय का पत्र लिखा था कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज बनकटवा/बरहवा/तुलसीपुर/भांभर को वित्तीय वर्ष 1986 से वित्तीय वर्ष 91-92 तक विभिन्न योजनाओं में वृक्षारोपण कार्य हेतु जो धन आवंटित किया गया था, लक्ष्य के विरुद्ध कार्य नहीं कराया गया है ? क्या प्रश्नकर्ता ने शिकायती पत्र में यह मांग की थी कि भौतिक सत्यापन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विभाग से श्री एस० पी० सिंह, मुख्य वन संरक्षक आधुनिक अग्निशमन परियोजना की देखरेख में मुख्य परियोजना निदेशक, देहरादून या श्री के० सी० चौधरी, वन संरक्षक, आधुनिक अग्निशमन परियोजना की देखरेख में कराया जाय ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से करायी गयी और दोषी कौन-कौन लोग पाये गये ? इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान से छानबीन कराई जा रही है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा सचिव वन को एवं प्रमुख वन संरक्षक को उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा में प्रभागीय वनाधिकारी तथा रेंज अधिकारियों द्वारा वन सम्पदा को भारी पैमाने पर क्षति पहुंचाने विषयक पत्र एवं कार्यवाही

126–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 23 दिसम्बर, 91 को उन्हें तथा सचिव, वन को एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश को इस आशय का पत्र लिखा था जिसमें उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा में प्रभागीय वनाधिकारी तथा रेंज अधिकारियों द्वारा वन सम्पदा को भारी पैमाने पर क्षति पहुंचाने तथा अनियमित कार्यों का विवरण था ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से करायी जा रही है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा छानबीन करायी जा रही है ।

गत वर्ष में रोडवेज बसों से उत्तर प्रदेश में हुई दुर्घटनाएं, लोगों की मृत्यु एवं मुआवजा का भुगतान

127–डा० दिनेश जौहरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में रोडवेज बसों से उत्तर प्रदेश में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ? उनमें से कितने लोग मारे गये हैं ? उन्हें कितनी राशि अब तक मुआवजे के रूप में स्वीकृत हुई और कितनी राशि का उसमें से भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से गत वर्ष अर्थात 1-1-91 से 31-12-91 तक की अवधि में कुल 1315 दुर्घटनायें हुयीं । इन दुर्घटनाओं में कुल 496 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी । 496 में से 9 व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा के रूप में रु० 2,36,250.00 की धनराशि स्वीकृत की गयी तथा इस राशि का भुगतान भी कर दिया गया है । शेष मामले न्यायालय में विचाराधीन होने, क्लेम दाखिल न होने अथवा मृतक का नाम व पता अज्ञात होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है । इसके अतिरिक्त मृतकों के आश्रितों को अन्तरिम सहायता के रूप में रु० 1,89,250.00 दिया गया ।

जनपद नैनीताल के राम नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा डिपो व बस अड्डा की स्थापना की मांग

128–डा० दिनेश जौहरी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि रामनगर, जनपद नैनीताल में गत कई वर्षों से बस अड्डा व डिपो बनाए जाने की मांग वहां के भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए वहां पर बस अड्डा व डिपो बनाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां । रामनगर जनपद नैनीताल में बस अड्डा बनाये जाने हेतु परिवहन निगम के पास भूमि उपलब्ध नहीं है । जिलाधिकारी, नैनीताल से बस अड्डे के लिये उपयुक्त भूमि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया । भूमि उपलब्ध होने पर बस अड्डा बनाने पर विचार हो सकेगा । रामनगर में डिपो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

129–130–श्री राम प्रसाद सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद आगरा में विकास खण्ड खन्दौली व विकास खण्ड ऐत्मादपुर में चयनित अम्बेडकर योजना में धौंरा तथा अरेला ग्रामों में जवाहर रोजगार परियोजनाओं में व्यय की गई धनराशि में अनियमितताओं की जांच किये जाने की मांग

131—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड खन्दौली व विकास खण्ड ऐत्मादपुर जनपद आगरा में चयनित अम्बेडकर योजना में धौंरा तथा अरेला ग्रामों में परियोजनाओं के काम निपटाने में मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा किन-किन मदों पर ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इन परियोजनाओं में अनियमिततायें भी की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

व्यय विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	व्यय की धनराशि	
		ग्राम—धौंरा	ग्राम—अरेला
1	आई० आर० डी० पी० (केवल अनुदान)	67.050	75.000
2	खड़ंजा/नाली निर्माण	57.000	--
3	इन्दिरा आवास योजना	80.000	1.08.000
4	निर्बल वर्ग आवास योजना	50.500	8.000
5	स्वच्छ शौचालय योजना	29.254	21.300
6	दस लाख कूप योजना	64.540	1.39.446
7	जवाहर रोजगार योजना	55.000	34.000
	योग :—	4.03.344	3.85.746

क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा अनियमितताओं की शिकायत की गयी है ।

ग्राम—अरेला के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा तथा सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गयी तथा कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

ग्राम—धौंरा के संबंध में जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

132–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड खन्दौली व विकास खण्ड ऐत्मादपुर, जनपद आगरा में मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्राम सभाओं को कितना धन वितरित किया गया है ? क्या प्रचलित निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं का निर्धारण करके तथा चिन्हित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा की गयी है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन परियोजनाओं के लिए किए गये कार्य स्थाई प्रमाणित श्रेणी के नहीं हैं और न ही अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की जनसंख्या लाभान्वित हो रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन सभी अनियमितताओं की जांच टी० ए० सी० से कराने तथा दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड खन्दौली व विकास खण्ड ऐत्मादपुर जनपद आगरा में मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्राम सभाओं की क्रमशः 25.56.020 एवं 27.15.979 धन वितरित किया गया है । जवाहर रोजगार योजना की मार्ग निर्देशिका के अनुसार ग्राम सभाओं के प्रस्तावों के आधार पर 60 प्रतिशत श्रम पर एवं 40 प्रतिशत सामग्री अंश के रूप में धनराशि को कार्यों में व्यय किया जा रहा है तथा प्रगति की समीक्षा समय-समय पर साप्ताहिक एवं मासिक बैठकों में की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में सी० वी० ग्लास वर्क्स, ऐत्मादपुर में श्रमिकों को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उपलब्ध न कराये जाने तथा उनका शोषण किये जाने के संबंध में उच्च अधिकारी से जांच कराये जाने की मांग

133–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या श्रम मंत्री बताने की करेंगे कि सी० वी० ग्लास वर्क्स, ऐत्मादपुर जनपद आगरा में श्रमिकों को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस कारखाने में मजदूरों का भारी शोषण और उत्पीड़न किया जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी से जांच कराकर मजदूरों को राहत दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मेसर्स सी० वी० ग्लास वर्क्स, ऐत्मादपुर, जनपद आगरा के श्रमिकों को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं तथा भारी शोषण एवं उत्पीड़न के संबंध में श्रम विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

134–श्री चन्द्रभान मौर्य–

[4थे मंगल में अता० प्र० सं० 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला आगरा के प्रधान, ग्राम सभा अरेला, विकास खण्ड ऐत्मादपुर को जवाहर योजना मे दी गयी धनराशि तथा व्यय एवं प्रधान द्वारा धनराशि का दुरुपयोग को टी० ए० सी० से जांच कराये जाने की मांग

135–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान ग्राम सभा अरेला, विकास खण्ड ऐत्मादपुर, जिला आगरा को वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 में अब तक जवाहर रोजगार योजना में कितनी किश्तों में कितनी धनराशि दी गयी है ? वह धनराशि किन-किन मदों में खर्च की गई है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस योजना में प्राप्त धनराशि का प्रधान ने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में मौके पर किए गए कार्यो की जांच टी० ए० सी० से कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रधान, ग्राम सभा अरेला, विकास खण्ड ऐत्मादपुर की वर्ष 90-91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत तीन किश्तों में मु० 82,700.00 तथा वर्ष 91-92 में मु० 70,829.00 की धनराशि तीन किश्तों में कुल योग 1,53,529.00 की धनराशि प्रदान की गई है ।

उक्त धनराशि ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रकार व्यय की गई है:–

	रु०
1–वर्ष 91-92	
(1) तीन निर्बल वर्ग आवासों के निर्माण हेतु	12,000.00
(2) सम्पर्क मार्ग 787 मीटर	9,996.00
(3) खड़ंजा निर्माण 963 मी०	60,326.00
योग :–	82,332.00
2–वर्ष 91-92	
(1) सम्पर्क मार्ग 813 मीटर	22,680.00
(2) खड़ंजा निर्माण 212 मी०	10,525.00
योग ..	32,205.00

कुल व्यय 1,14,537.00 शेष धनराशि भी शीघ्र व्यय की जा रही है ।

जी नहीं । प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सहायक अभियंता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

136–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दिनांक 9-3-92 को अ० प्र० सं० 18 द्वारा उत्तरित]

कानपुर, आजमगढ़, घोसी, मझवारा होते हुए बलिया को पहुंचने वाली बस को बन्द किये जाने के कारण एवं पुनः बस चलाये जाने की मांग

137–श्री गंगा बक्श सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सुल्तानपुर, शाहगंज, आजमगढ़ घोसी, मझवारा, बरौली, नगरा होते हुए कोई बस बलिया तक शाम को पहले जाती थी ? यदि हां, तो उसे अकारण बन्द क्यों किया गया है ? इससे सरकार को कितनी आर्थिक हानि हुयी ? क्या जनता की परेशानी को देखते हुए एक बस सुबह तथा एक बस शाम को इन्हीं इंगित स्थानों से होकर अर्थात् कुल दो बसें चलाने की व्यवस्था सरकार तत्काल करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

वर्णित मार्ग पर पूर्व में आजमगढ़ से बलिया के लिये दो सेवायें थीं । एक सेवा प्रातः 6.00 बजे तथा दूसरी 15.00 बजे संचालित होती थी । इन सेवाओं की आय कम होने तथा इन स्थानों को लिंक सेवा द्वारा कानपुर से जुड़ने की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण इन्हें बन्द कर दिया गया ।

वर्तमान में बलिया से घोसी के मध्य निगम की पर्याप्त सेवायें हैं तथा बेल्थरा से घोसी होते हुए कानपुर तक बस सेवा उपलब्ध है ।

कोई हानि नहीं हुयी ।

जी नहीं ।

निगम की वित्तीय स्थिति एवं सीमित बस बेड़े को दृष्टिगत रखते हुए मांग के अनुरूप फिलहाल सेवा का संचालन किया जाना संभव नहीं है ।

चारबाग डिपो, लखनऊ से कानपुर आने-जाने वाली बसों को नवाबगंज (उन्नाव) में रुकवाने का आदेश पारित किये जाने की मांग

138–श्री गंगा भक्त सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि चारबाग डिपो, लखनऊ से उन्नाव कानपुर आने जाने वाली बसों के नवाबगंज (उन्नाव) में रोके जाने के आदेश हैं ? यदि हां, तो उक्त बसें वर्तमान में कहां पर रुकती हैं ? क्या यह सत्य है कि बसें कहीं भी नहीं रुकती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उ० प्र० रा० स० प० नि० की बसों को मूल बस स्टाप जो नवाबगंज के भीतर है, वहां पर रुकवाने का कोई आदेश पारित करेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जी हां ।

बसें नवाबगंज बाईपास पर रुकती हैं ।

जी नहीं ।

इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

एच० बी० टी० आई०, कानपुर के निदेशक, उप कुलसचिव तथा लेखाधिकारी द्वारा वेतन के अतिरिक्त प्रवेश समिति से अलग-अलग वेतन लिया जाना एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही

139–श्री गंगा बक्श सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 में एच० बी० टी० आई०, कानपुर के निदेशक, उप कुलसचिव तथा लेखाधिकारी ने अपने पद के वेतन के अतिरिक्त, प्रवेश समिति से अलग-अलग कितना-कितना वेतन तथा कितना-कितना पारिश्रमिक प्राप्त किया है ? क्या यह प्राप्तियां नियमानुसार हैं ? यदि नहीं, तो इस बारे में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

अधिकारियों द्वारा प्रवेश समिति से कोई वेतन प्राप्त नहीं किया गया है । प्रवेश समिति से लिया गया पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत् है :–

अधिकारी	1989	1990	1991
निदेशक	16.068	45.523	38.592
उप कुलसचिव	18.512	50.306	35.947
लेखाधिकारी	14.091	52.975	35.947

जांच कराई जा रही है ।

जांचोपरान्त ही कार्यवाही किये जाने अथवा न किये जाने का निर्णय लिया जायेगा ।

राजकीय पशु सेवा केन्द्र, बसनिया, गाजीपुर कार्यालय हेतु श्री पुरुषोत्तम साहू का मकान किराये पर लिया जाना एवं मकान किराया न अदा किये जाने के कारण

140–श्री विश्वनाथ–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पशु सेवा केन्द्र, बसनिया, गाजीपुर कार्यालय हेतु श्री पुरुषोत्तम साहू का मकान वर्ष 1988 में किराये पर लिया गया था ? यदि हां, तो क्या मकान मालिक को समस्त किराये की रकम अदा कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो किराये की रकम न अदा करने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में विकास खण्ड खन्दौली व ऐत्मादपुर में निर्बल वर्ग आवास/इन्दिरा आवास योजना में हुई अनियमितताओं की वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराये जाने की मांग

141–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास खण्ड खन्दौली व ऐत्मादपुर, जनपद आगरा में निर्बल वर्ग आवास तथा इन्दिरा आवास योजना में भारी अनियमिततायें की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन अनियमितताओ की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद आगरा के विकास खण्ड खन्दौली की ग्राम सभा धौंरा एवं विकास खण्ड ऐत्मादपुर की ग्राम सभा अरेला के आवासों में अनियमिततायें किये जाने की शिकायतें मा० विधायक एवं स्थानीय जनता से प्राप्त हुई हैं ।

जी हां । शिकायतों की जांच जिला स्तरीय अधिकारी से करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में कुलाधिपति द्वारा दर्शन शास्त्र के अध्येता की अवैधानिक नियुक्ति को निरस्त किये जाने की मांग

142–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगे कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में "तुलनात्मक दर्शन और दर्शन शास्त्र" अलग-अलग विषय हैं ? यदि हां, तो क्या तुलनात्मक दर्शन में प्राध्यापक हेतु दर्शन शास्त्र का अध्येता नियुक्त किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो प्राध्यापक तुलनात्मक दर्शन हेतु दर्शन शास्त्र की अध्येता की नियुक्ति कैसे की गयी ? कुलाधिपति द्वारा पूर्व में भी इसी प्रकार की एक नियुक्ति रद्द किये जाने पर श्री कुलपति द्वारा दुबारा इसी तरह की पुनर्नियुक्ति किस प्रयोजन से की गयी है ? क्या कुलाधिपंति ने उक्त अवैधानिक नियुक्ति को निरस्त करने हेतु कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत पद पाश्चात्य दर्शन में विशिष्टता सहित तुलनात्मक दर्शन का है ।

विश्वविद्यालय के संशोधित परिनियमों के अनुसार नियुक्ति की जा सकती है ।

उक्त संबंध में एक प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अन्तर्गत कुलाधिपति को संदर्भित किया गया है जो अभी उनके विचाराधीन है ।

143-144–श्री राम प्रसाद सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

श्री प्रयाग नारायण, सेवा निवृत्त ग्राम्य विकास अधिकारी का सेवा निवृत्ति के पश्चात् जीवन निर्वाह भत्ते का एरियर, पेंशन, जीवन बीमा, भविष्य निर्वाह निधि अन्य देयकों के भुगतान के संबंध में पत्र एवं कार्यवाही

145–श्री भागवत पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रयाग नारायन, सेवा निवृत्त ग्राम्य विकास अधिकारी का प्रार्थना-पत्र, जो कि उनकी सेवा निवृत्ति के पश्चात् जीवन निर्वाह भत्ते का एरिएर, पेंशन, जीवन बीमा, भविष्य निर्वाह निधि तथा अन्य अवशेष देयकों के भुगतान के संबंध में हैं, दिनांक 20-9-1991 तथा दिनांक 14-11-1991 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना-पत्रों में दिये गये तथ्यों के संबंध में जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या सत्यापित पाये गये तथ्यों के संबंध में मंत्री जी दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

हां ।

हां, कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज तुलसीपुर को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा खैर के पेड़ों को काटने की अनुज्ञा जारी किया जाना एवं दोषी वनाधिकारी व रेंज अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

146–श्री बाला प्रसाद एवं श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज तुलसीपुर में 15 खैर के वृक्ष जो वन सीमा के अन्दर थे, ग्रामीण वन संरक्षण अभिनियम के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी ने परिमिट संख्या-633/90-91, दिनांक 17-5-91 को 5 खैर वृक्षों का पातन अनुमति निर्गत कर दिया और खैर वृक्ष के स्थान पर 15 खैर के वृक्ष वन सीमा के अन्दर काटे गये और इसकी जांच उप प्रभागीय वनाधिकारी, बलरामपुर ने की और अपनी जांच आख्या 1 दिसम्बर 1991 से 31 दिसम्बर, 91 के बीच में वन संरक्षक, सरयू क्षेत्र, फैजाबाद को भेज दी है ? यदि हां, तो सरकार दोषी प्रभागीय वनाधिकारी एवं रेंज अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

परमिट संख्या-633/90-91, दिनांक 17-5-91 द्वारा पांच खैर के निजी पेड़ों को काटने की अनुज्ञा जारी की गयी थी । वन सीमा के अन्दर 15 खैर के वृक्षों का अवैध पातन नहीं किया गया है ।

चूंकि वन सीमा के अन्दर अवैध पातन नहीं हुआ है, अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा में उप प्रभागीय वनाधिकारी, बलरामपुर द्वारा कार्यालय एवं वायरलेस आपरेटर हेतु भवन किराये पर लिया जाना एवं वायरलेस आपरेटर नाम पर विभाग से किराया लेने का औचित्य

147–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा में उप प्रभागीय वनाधिकारी, बलरामपुर ने कार्यालय एवं वायरलेस आपरेटर हेतु सिविल लाइन, बलरामपुर, गोण्डा में कोई भवन किराये पर लिया है ? यदि हां, तो भवन का किराया कितना है ? क्या वायरलेस सेट कार्यालय में लगाया गया है ? यदि नहीं, तो वायरलेस आपरेटर नाम पर विभाग से किराया लेने का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त भवन का किराया रु० 981 प्रतिमाह है ।

जी नहीं, वर्तमान समय में इस कक्ष का प्रयोग स्टोर के रूप में किया जा रहा है ।

उक्त भवन उप प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय हेतु किराये पर लिया गया है और किराये की स्वीकृति भी कार्यालय के लिये दी गई है । वायरलेस आपरेटर के नाम से नहीं ।

148–151–श्री स्वामी नाथ यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद बांदा में ग्राम पिपरोदर बड़ा गांव से मडौली तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने की मांग

152–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में ग्राम पिपरोदर बड़ागांव से मडौली तक सम्पर्क मार्ग वर्ष 1992-1993 में बनवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव जिला कार्यान्वयन समिति अथवा ग्राम विकास अभिकरण प्रबंधकारिणी द्वारा स्वीकृति नहीं है । नियमानुसार स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही इस सम्पर्क मार्ग का निर्माण सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

153-154–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[7वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 178-179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

155–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।

156–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[7वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विभिन्न सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों की रिक्तियों को भरने हेतु आदेश एवं पालन

157–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों को भरने के लिये विशेष अभियान चलाकर नियुक्तियां किए जाने के बारे में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों के नाम संबोधित आदेश माह अगस्त, 1991 में जारी किए गये हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य सचिव द्वारा जारी इस आदेश का अनुपालन पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो प्रदेश में समूह "क", समूह "ख", समूह "ग" और समूह "घ" के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद क्रमशः कितनी-कितनी संख्या में और कब से रिक्त पड़े हैं ? प्रदेश के "राष्ट्रीय एकीकरण विभाग" के आंकड़ों के अनुसार इनकी पृथक-पृथक संख्या और विवरण क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

158-160–श्री राम प्रसाद सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ।

161–डा० दिनेश जौहरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला कानपुर देहात के नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र एवं गलत अंक तालिका के कारण दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किये जाने की मांग

162–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, शाहजहांपुर, जिला कानपुर देहात के वर्ष 1989-90 की हाई स्कूल परीक्षा में ऐसे कितने लड़के व लड़कियां हैं जिन्होंने पूरी परीक्षा दी है और उत्तीर्ण भी हैं किन्तु अंकतालिका में गलत नाम अंकित हो जाने के कारण उनको अंकतालिका 31-12-91 तक नहीं दी गई है ? इस विलम्ब के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा ऐसे छात्र/छात्राओं को अंकतालिका सरकार कब तक उपलब्ध करा देगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, शाहजहांपुर, जिला कानपुर देहात के वर्ष 1989-90 की सम्पूर्ण हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित तथा उत्तीर्ण केवल दो परीक्षार्थियों के नाम अशुद्ध होने के कारण अंक-तालिका दिनांक 31-12-91 तक नहीं दी गयी है ।

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रण में त्रुटि होने के कारण कोई अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है ।

उपर्युक्त दोनों परीक्षार्थियों के नाम में संशोधन करके संशोधित प्रमाण पत्र एवं सादे अंक पत्र दिनांक 28-2-1992 द्वारा संबंधित प्रधानाचार्य को भेज दिये गये हैं ।

इटावा में मौजा ज्ञानपुर इमाम अली, परगना औरैया में गाटा संख्या-42 एवं उसके समीपवर्ती भूमि के विक्रय हेतु प्राप्त की गयी स्टैम्प पंजीयन शुल्क की दरें

163-श्री राममूर्ति सिंह–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौजा ज्ञानपुर इमामअली, परगना औरैया, इटावा में गाटा संख्या–42 एवं उसके समीपवर्ती भूमि के विक्रय हेतु स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित बाजार मूल्य प्रति वर्ग फीट क्या है ? इस क्षेत्र में वर्ष 1989-90 तथा 1991 में विक्रय की गयी भूमि पर स्टैम्प पंजीयन शुल्क की दरें क्या प्राप्त की गयीं ? क्या ये दरें निर्धारित बाजार मूल्य के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वर्ष 1989 में 12 से 15 रुपये तथा 1990-91 में 25-30 रुपये प्रतिवर्ग फीट निर्धारित थी ।

विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 122–123 पर)

164–श्री राम प्रसाद सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

परिवहन निगम, वाराणसी की बसों का ब्रेक डाउन होकर रास्ते में पड़े रहना एवं इन्हें पुनः संचालन किये जाने की मांग

165–श्री ऊदल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम, वाराणसी की सैकड़ों बसें पिछले जनवरी, 1991 से लेकर दिसम्बर, 1991 तक ब्रेक डाउन होकर रास्ते में ही पड़ी रही हैं ? यदि हां, तो सरकार जनवरी से लेकर दिसम्बर तक बसों का ब्रेक डाउन की प्रत्येक मास की रिपोर्ट मंगायेगी ? क्या सरकार इसके सुधार की भी व्यवस्था करायेगी ? क्या यह सही है कि जनवरी 8. सन् 92 से भी रोजाना बड़े पैमाने पर बसों का ब्रेक डाउन हुआ है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माह जनवरी 91 से लेकर दिसम्बर 91 तक वाराणसी क्षेत्र में औसतन प्रतिमाह ब्रेक डाउन की संख्या 106 रही । यह वाहन रास्ते में पड़े नहीं रहे और इन्हें शीघ्र ही पुनः संचालन योग्य बनाया गया ।

ब्रेक डाउन में कमी लाने हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं ।

जी नहीं ।

166–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[7वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में ग्राम जौहरपुर से ग्राम पदारथपुर-भवानीपुर-दोहतरा सम्पर्क मार्ग को बनवाये जाने की मांग

167–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में ग्राम-जौहरपुर से ग्राम पदारथपुर-भवानीपुर-दोहतरा सम्पर्क मार्ग को बनवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

शासी निकाय द्वारा उक्त प्रस्ताव के अनुमोदित होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

ग्राम जौहरपुर से पदारथपुर तक मिट्टी का कार्य करा दिया गया है । शेष कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा की शासी निकाय द्वारा कार्य के अनुमोदन पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

168–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[7वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

169--170–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

171–श्री विजय सिंह राणा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

वाराणसी में डी० आर० डी० ए० से नाली की खुदाई, पुलियों एवं ड्रेनों के निर्माण हेतु लिया गया धन एवं कतिपय ब्लाकों में पुलियों, ड्रेनों के बनाने हेतु धन की मांग

172–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में डी० आर० डी० ए० से कितना धन सिंचाई खण्ड, जौनपुर के नालों की खुदाई तथा पुलियों एवं नयी ड्रेनों के निर्माण हेतु वर्ष 89-90 व 90-91 में मच्छाताल, वाही नेवादा ताल, कठिरांव ताल व पिंडराड्रेन महराज कोट पिंडरा ड्रेन, मच्छाताल ड्रेन तथा मच्छाताल के बीचोबीच नई ड्रेन बाढ़ योजना में बनाने हेतु दिया गया ? क्या यह सही है कि महराज कोट पिंडरा ड्रेन में मानापुर पिंडरा ब्लाक, पिंडरा में एक पुल तथा दवेचुंआ नहर में दवेचुआ गांव बी० ब्लाक, बड़ागांव, वाराणसी में एक पुल व गांव हमीरापुर, ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी में एक साइफन बावतपुर राजबहा के नीचे बनाने की आवश्यकता है ? क्या सरकार उपरोक्त कार्यों हेतु धन की व्यवस्था करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरिहर महादेव इण्टर कालेज, देवचन्दपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में प्रोवेशन पर रखे गये अध्यापक, लाल बहादुर सिंह को मैनेजमेंट कमेटी द्वारा हटाया जाना एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिये गये वेतन को वसूल किये जाने की मांग

173–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिहर महादेव इण्टर कालेज, देवचन्दपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में प्रोवेशन में रखे गये अध्यापक लाल बहादुर सिंह को मैनेजमेंट कमेटी ने एक वर्ष के अन्दर ही हटा दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मैनेजमेंट की अपील हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सात वर्ष से निस्तारण उप निदेशक, शिक्षा के यहां से इसलिये नहीं हो पायी कि उक्त फाइल ही गायब कर दी गयी है और लाल बहादुर सिंह को जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी तनख्वाह शुरू से देते चले जा रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दिये हुए करीब दो लाख से ज्यादा रकम को वसूल करायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त अध्यापक श्री लाल बहादुर सिंह की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को अनुमोदन हेतु दिनांक 28-12-81 को भेजा गया था जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 24-12-82 को अननुमोदित कर दिया । सम्प्रति श्री सिंह को वेतन आदि का भुगतान हो रहा है । प्रबन्धतन्त्र की अपील पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा 26-2-90 को निर्णय दिया गया । अपील अब मंडलीय उप शिक्षा निदेशक के यहां विचाराधीन है ।

मृतक सरकारी कर्मचारी के देयकों का निस्तारण तथा भुगतान एवं अनावश्यक विलम्ब के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड का प्राविधान

174–श्री लाल जी वर्मा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक सरकारी कर्मचारी के देयकों/पावनाओं के भुगतान के लिए कोई समयावधि नियत है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दीर्घावधि के अनावश्यक विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्ड का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मृतक सरकारी कर्मचारी के देयकों का निस्तारण तथा भुगतान प्राथमिकता पर करने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक अथवा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के देयकों के निस्तारण और भुगतान में विलम्ब के लिए उत्तरदायी कार्मिकों को कर्तव्यों के उल्लंघन के लिये विभागीय कार्यवाही करके दण्डित करने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जवाहर इण्टर कालेज, मोहन जिला जालौन के प्रधानाचार्य द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता एवं विद्यालय के धन का गबन एवं मुकदमा दर्ज कराये जाने की मांग

175–श्री लाल जी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 89 से दिसम्बर, 91 तक किन-किन तिथियों में कहां-कहां विद्यालय के काम से श्री जवाहर इण्टर कालेज, मोहन जिला जालौन के प्रधानाचार्य गये और कितना यात्रा व्यय तथा यात्रा भत्ता विद्यालय से चार्ज किया ? जिन कार्यों के लिए बाहर जाना दर्शाया गया है क्या वे कार्य विद्यालय से संबंधित थे और उनके लिए जाना विद्यालय के हित में आवश्यक था ? क्या यह कार्य लिपिकों या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से होना संभव न था ? क्या विद्यालय के कार्यों को दिखाकर स्वयं के निजी कार्य किए गये जिससे विद्यालय के धन का गबन व दुरुपयोग किया गया ? क्या इनके विरुद्ध विद्यालय के धन के दुरुपयोग का मुकदमा चलाया जायेगा ? यदि हां, तो कैसे और कब ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रधानाचार्य, श्री जवाहर इण्टर कालेज, मोहन (जालौन) द्वारा उल्लिखित अवधि में की गई यात्राओं का विवरण जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है । ये यात्रायें विद्यालय हित में प्रबन्ध की अनुमति से की गई थीं । दिनांक 5-1-89 से 6-6-90 तक की अवधि का कुल यात्रा व्यय 912.67 का भुगतान प्रबन्ध समिति फण्ड से प्रधानाचार्य को किया गया है । दिनांक 7-6-90 से दिनांक 27-12-91 तक की अवधि का कोई यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया गया है ।

176–श्री बाला प्रसाद–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा में उत्तर प्रदेश वन निगम के कतिपय डिपो द्वारा ग्रामीणों/ईंट भट्ठों हेतु लकड़ियों का आवंटन एवं उनका सत्यापन कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

177–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 के बीच में उत्तर प्रदेश वन निगम के डिपो तुलसीपुर/बालापुर/पचपेड़वा वीरपुर जनपद-गोण्डा में घरेलू प्रयोग हेतु कितने क्यूबिक मीटर जलौनी की लकड़ी मिश्रित/कोमल काष्ठ किस-किस ग्राम सभा के किस-किस व्यक्ति को आवंटित की गयी ? क्या आवंटित जलौनी (ईंधन) लकड़ियों की स्थानीय ईंट भट्ठों पर आपूर्ति की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार सत्यापन करायेगी और दोषी डिपो अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वन निगम के तुलसीपुर, बालापुर, पचपेड़वा तथा वीरपुर डिपो में प्रश्नगत अवधि में कुल 6847.3 घन मीटर जलौनी की आपूर्ति की गयी है । गांव एवं उपभोक्ताओं की विवरण की सूची संलग्न† है ।

जी नहीं जलौनी सीधे उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा में ट्रकों के अभिवहन पास ट्रांजिट फीस लेकर गोण्डा सीमा के अन्दर एवं बाहर निर्गत किया जाना एवं ई-3 की रसीद एक बार देने के लिए आशुलिपिक एवं वनाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

178–श्री बाला प्रसाद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1985 से 31 मई, 1990 तक दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा में कितने ट्रकों का अभिवहन पास ट्रांजिट फीस लेकर जनपद-गोण्डा के सीमा के अंदर निर्गत किया गया तथा कितने ट्रकों का अभिवहन पास जनपद गोण्डा के बाहर के लिए निर्गत किया गया ? क्या ट्रांजिट फीस दो बार लिया गया और ई-3 की रसीद एक बार काटी गयी दोनों बार ई-3 की रसीद निर्गत न करने से गबन बनता है ? यदि हां, तो दोषी आशुलिपिक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

1 जनवरी, 1985 से 31 मई, 1990 तक दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में 231.5 ट्रकों (.5 ट्रक का अभिप्राय आधी ट्रक माल से है) का अभिवहन पास ट्रांजिट फीस लेकर जनपद गोण्डा की सीमा के अन्दर निर्गत किया गया तथा 1291.5 ट्रकों का अभिवहन पास जनपद गोण्डा के बाहर के लिये निर्गत किया गया । दो बार ट्रांजिट फीस नहीं ली गई है, बल्कि एक बार ट्रांजिट फीस लेकर ई-3 रसीद काटी गई है । जब एक बार ट्रांजिट फीस लेकर ई-3 रसीद काटी गई है तो गबन का प्रश्न नहीं उठता है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

जनपद गोण्डा में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा पचपेड़वा डिपो तोड़ कर गुरुचेहवा डिपो पुनः स्थापित किया जाना

179—श्री बाला प्रसाद—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वन निगम ने जनपद गोण्डा मे पहले गुरुचेहवा डिपो स्थापित किया था जो वन क्षेत्र के निकट था और डिपो तक लकड़ियों को लाने में ढुलाई का भाड़ा कम पड़ता था और चोरी की संभावना भी नहीं थी ? क्या यह सही है कि अब रेंजर भांभर की लकड़ियों को पचपेड़वा डिपो में लाने के लिए ढुलान का भाड़ा भी वन निगम को अधिक देना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में पचपेड़वा डिपो तोड़कर वन निगम के हित में गुरुचेहवा डिपो पुनः स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तों क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

जी हां, पचपेड़वा डिपो में प्रकाष्ठ ढुलान करने पर निगम के थोड़ा अधिक व्यय करना पड़ता है जिसे नीलाम में रखे प्रकाष्ठ की बिक्री से वसूल कर लिया जाता है ।

भांभर रेंज के अधिकतर क्षेत्र अब वन्य जन्तु विहार में सम्मिलित होने के कारण उक्त क्षेत्र में विदोहित होने वाली प्रकाष्ठ की मात्रा काफी कम हो गया है जिसके दृष्टिगत गुरुचेहवा डिपो को पुनः स्थापित किया जाना निगम के हित मे नहीं है ।

प्रश्नकर्ता का रेंज तुलसीपुर/भांभर में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वन सीमा के अन्दर एवं बाहर वृक्षारोपण का कार्य न कराये जाने के संबंध में वन मंत्री एवं अन्य अधिकारियों को संबोधित पत्र एवं कार्यवाही

180—श्री बाला प्रसाद—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 8 जनवरी, 1992 को उन्हें तथा सचिव वन को एवं प्रमुख वन संरक्षक को /वनसंरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई उ० प्र० लखनऊ को तथा संयुक्त सचिव वन अनुभाग 2 को इस आशय का शिकायती पत्र भेजा है कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा के रेज बरहवा में वित्तीय वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92 तथा रेज तुलसीपुर/भांभर में वित्तीय वर्ष 1990-91, 91-92 में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वन सीमा के अन्दर तथा वन सीमा के बाहर वृक्षारोपण का कार्य नहीं कराया गया ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । शिकायतों की जांच अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई द्वारा करायी गई । उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के बरहवा, वनकटवा तुलसीपुर एवं भांभर रेंजों के वर्ष 1986-87 से 1990-91 तक के कुल 250 वृक्षारोपण स्थलों में से 120 वृक्षारोपण स्थलों का भौतिक सत्यापन में रेण्डम सैम्पलिंग के आधार पर सभी 120 वृक्षारोपण स्थलों में वृक्षारोपण कार्य पाया गया तथा क्षेत्र की सफलता संतोषजनक पायी गई ।

जनपद बांदा में भूमि संरक्षण इकाई, बांदा द्वारा जवाहर रोजगार योजना एवं डी० पी० ए० पी० व दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत ग्रामों में तालाबों का बनवाया जाना । मानव श्रम का कार्य ट्रैक्टर द्वारा कराये जाने की जांच एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग

181-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में भूमि संरक्षण इकाई, बांदा द्वारा जवाहर रोजगार योजना व डी० पी० ए० पी० योजना व दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में तालाब बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी बतायेंगे कि ग्राम चमराहा व ग्राम खपटिहा कला में जो तालाब बनवाये जा रहे हैं, उनमें मानव श्रम का कार्य ट्रैक्टर द्वारा किस नियम के तहत कराया जा रहा

है ? क्या सरकार इसकी विशेष जांच करायेगी और इस प्रकार सरकार धन के गबन हेतु दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

डी० प्री० ए० पी० योजनान्तर्गत ग्राम चमराहा खपटिहा कलां, रामपुर, परसौडा में तालाब बनवाये गये हैं । जवाहर रोजगार योजना एवं दस लाख कुओं की योजनान्तर्गत कोई तालाब नहीं बनाया गया है ।

ग्राम चमराहा व खपटिहा कलां में तालाबों की खुदाई का कार्य श्रमिकों द्वारा कराया गया है । कम्पेशन का कार्य ही ट्रैक्टरों द्वारा कराया गया है ।

निर्माण कार्य विभागीय नियमानुसार श्रमिकों से कराया गया है । सरकारी धन का दुरुपयोग/गबन नहीं हुआ है । किसी को दण्डित करने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

182–श्री राम औतार शाक्य–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं० 130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

183–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

183 (अ)–श्री दीनानाथ सिंह यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

184–श्री गंगा बख्श सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई के श्री नरपति सिंह इण्टर कालेज, माधोगंज के सेवा निवृत्त प्रधानचार्य श्री नत्थू सिंह चन्देल की पेंशन का अन्तिम निर्धारण किये जाने की मांग

185–श्री राम लखन वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के श्री नरपति सिंह इण्टर कालेज, माधोगंज के सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य श्री नत्थू सिंह चन्देल की पेंशन का अंतिम निर्धारण अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि प्रबन्धक द्वारा लगाये गये फर्जी आरोपों की जांच करके ज़िला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आरोप निराधार पाये जाने की सूचना भी पत्रांक पेंशन 1178/91-92, दिनांक 4-4-91 द्वारा भेज दी गयी है ? क्या प्रधानचार्य एवं अध्यक्ष प्रबन्ध समिति द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र भी जारी किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो प्रबन्धक द्वारा अनावश्यक परेशान किये जाने पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? श्री चन्देल की पेंशन का अंतिम निर्धारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री नत्थू सिंह चन्देल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य को 1 जुलाई, 1988 से रू० 1103/– प्रतिमाह की दर से अनन्तिम पेंशन स्वीकृति की जा चुकी है । विद्यालय प्रबन्धक ने श्री चन्देल पर महत्वपूर्ण अभिलेख एवं धनराशि अवशेष बताते हुए अदेय प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया है जिसके फलस्वरूप उन्हें अन्तिम

पेंशन स्वीकृति नहीं हुई है । जिला विद्यालय निरीक्षक के दिनांक 4 अप्रैल, 91 के पत्र द्वारा भेजी गयी आख्या स्पष्ट नहीं है । इसलिये स्पष्ट जांच आख्या भेजने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उ० प्र० के मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा किये जाने की मांग

186-श्री रामेश्वर नाथ चौब़े–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के समस्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया है, वहां जब तक आवश्यक कोटा पूरा न कर दिया जावे तब तक दूसरे व्यक्तियों की नियुक्ति न किये जाने का शासन से आदेश हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के किन विद्यालय में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है ? मोती लाल विद्या मंदिर इण्टर कालेज, तहसील जलालपुर फैजाबाद में हिन्दी के प्रवक्ता पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को न रखने का क्या कारण है जबकि उक्त विद्यालय में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ? क्या शासन संबंधित नियुक्ति को निरस्त कर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को नियुक्ति दिलाने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अलीगढ़ ग्रामीण बैंक में उ० प्र० सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के नाम एवं कर्तव्य एवं आवास विकास अधिकारी को जांच कार्य सौंपने का औचित्य

187–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ ग्रामीण बैंक (प्रवर्तक-केनरा बैंक) अलीगढ़ के निदेशक मण्डल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के नाम क्या हैं ? निदेशकों के कर्तव्य व उत्तरदायित्व क्या-क्या निर्धारित हैं ? क्या यह सही है कि अलीगढ़ ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसियेशन की मांग पर निदेशक, श्री पी० के० मोहन्ती ने आवास विकास अधिकारी अलीगढ़ श्री शिशु पाल सिंह को कतिपय मामलों की जांच कर कार्य सौंपा था ? यदि हां, तो जांच के बिन्दु क्या हैं तथा आवास विकास अधिकारी को बैंक के किन नियमों के अंतर्गत जांच कार्य सौंपा गया ? क्या उ० प्र० सरकार द्वारा उक्त बैंक के क्रियाकलापों में आवास-विकास अधिकारी की कोई भूमिका निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो उनको इस अनुचित हस्ताक्षेप के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अलीगढ़ ग्रामीण बैंक में उ० प्र० सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के नाम निम्न हैं:–

(अ) श्री पी० के० मोहन्ती, मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़

(ब) श्री ए० पी० श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, 16- विधान सभा मार्ग, लखनऊ ।

निदेशकों के कर्तव्य व अधिकारों के विषय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अंतर्गत संचालकों की एजेंसी वाइज संख्या, कार्यकाल की अवधि, अयोग्यताओं तथा ऐसी दशा जिसमें संचालकों

का पद रिक्त समझा जायेगा, के अतिरिक्त अन्य कोई विवरण नहीं दिया गया है । भारत सरकार द्वारा संचालकों के लिये करने योग्य तथा न करने योग्य कार्यों की सूची निर्धारित की गयी है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

ग्रामीण बैंक अलीगढ़ के अध्यक्ष से प्राप्त सूचना के अनुसार अलीगढ़ ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसियेशन की मांग पर निदेशक श्री पी० के० मोहन्ती ने आवास विकास अधिकारी, अलीगढ़ श्री शिशुपाल सिंह को कतिपय मामलों की जांच का कार्य सौंपा था । उक्त एसोसियेशन की मांग पर ग्रामीण बैंक अलीगढ़ के वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक) के विरुद्ध कथित उत्पीड़नकारी, शोषणकारी तथा विघटनकारी कृत्य जांच के मुख्य बिन्दु थे ।

बैंक में कार्यरत अधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी को जांच का कार्य सौंपना बैंक के नियमों के अन्तर्गत नहीं है । परन्तु एसोसियेशन ने इसकी मांग की थी कि मुख्य विकास अधिकारी हस्तक्षेप करें (अध्यक्ष के अलावा) अतः जांच कार्य श्री पी० के० मोहन्ती को सौंपा गया जिन्होंने यह कार्य आवास विकास अधिकारी को सौंपा ।

ग्रामीण बैंक के क्रियाकलापों में नामित संचालकों की ही भूमिका निर्धारित है । मुख्य विकास अधिकारी श्री पी० के मोहन्ती द्वारा आवास विकास अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह को जांच के लिये अधिकृत करना नियमानुकूल नहीं था । राज्य सरकार जिला स्तर के नामित संचालकों को भविष्य में इस प्रकार के कार्य न करने के लिये निर्देश जारी करेगी ।

(देखिये नत्थ्यी 'ङ' आगे पृष्ठ 124–125 पर)

188–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

[5वें सोम० के लिए स्थगित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम सभा बालासौड़, विकास क्षेत्र दुगड्डा को शासन द्वारा आवंटित धनराशि एवं प्रधान ग्राम सभा-बाला सौड़ द्वारा धनराशि का दुरुपयोग एवं सरकार द्वारा जांच कराये जाने की मांग

189–श्री कृष्ण चन्द्र –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा बालासौड़ विकास क्षेत्र दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल को शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? इसमें से 21 मार्च, 1991 तक कितनी धनराशि व्यय की गई थी ? क्या यह सत्य है कि प्रधान, ग्राम सभा-बालासौड़ द्वारा अपने निजी खाते में दि० 1-1-90, को 40 हजार रुपये मिनी बैंक सहकारी समिति, सुखरो देवी में जमा किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इसी वित्तीय वर्ष 90-91 में इसी खाते में एक लाख रु० जमा हुए थे ? यदि नहीं, तो कुल धनराशि कितनी जमा हुई है ? क्या प्रधान द्वारा ग्राम सभा के नाम पर स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1990-91 में कुल 203017.42 रु० आवंटित किये गये थे । 21 मार्च तक कोई लेखा तैयार नहीं किया जाता है दिनांक 31 मार्च, 91 तक स्वीकृत राशि में से 185043.69 व्यय हुआ ।

जी नहीं ।

जी नहीं । वर्ष 1990-91 में कोई भी धनराशि इस खाते में जमा नहीं हुई ।

जी नहीं । जांच में कोई दुरुपयोग नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी के शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का वर्षवार बकाया वेतन एवं भुगतान करने के आदेश तथा आदेशों का कार्यान्वयन न करने पर विद्यालय प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही

190–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी की किन-किन शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का वर्ष 1974 से वर्ष 1980 तक का प्रत्येक वर्ष का कितना-कितना वेतन बकाया है ? इनके लिए शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से वर्ष 1984 में प्राप्त धन को भुगतान करने हेतु, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद ने दिनांक 1-1-84 से दिनांक 30-9-91 तक कितनी बार और कब अधिकारियों को आदेश दिए हैं ? क्या इन आदेशों तथा पत्र संख्या शि० सं०/8568/72/90-91, दिनांक 2-1-91 द्वारा दिए गये आदेशों का कार्यान्वन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विद्यालय प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत इंटरमीडिएट व हायर सेकेण्डरी स्कूल से संबद्ध प्राइमरी अनुभागों की अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रबन्ध समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत निकाला जाना

191–श्री ऊदल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इण्टरमीडिएट एवं हायर सेकेन्ड्री स्कूल से संबद्ध प्राइमरी अनुभागों में विद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्ति/निष्कासित/अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए क्या जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को नियुक्ति अथवा निष्कासन का अनुमोदन देने का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो वाराणसी मण्डल में ऐसे कितने इण्टरमीडिएट व हायर सेकेन्ड्री स्कूल से संबद्ध प्राइमरी अनुभागों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं को प्रबन्ध समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए विद्यालय सेवा से निष्कासन किया गया ? विद्यालयों के नाम, पूर्णपता सहित तथा निष्कासित अध्यापक/अध्यापिकाओं के नाम व निष्कासन की तिथि बताते हुए क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

शून्य ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रबन्ध समिति के निश्चयानुसार प्राइमरी अनुभागों की निष्कासित अध्यापक/अध्यापिकाओं को न्यायालय आदेशों के अन्तर्गत वेतन भुगतान किये जा रहे अध्यापक/अध्यापिकाओं के विवरण एवं संबंधित अधिकारियों से वेतन वसूल करने की मांग

192–श्री ऊदल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रबन्ध समिति के निश्चयानुसार प्राइमरी अनुभागों की कितनी निष्कासित अध्यापक/अध्यापिकाओं को विभाग बगैर किसी न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत, वेतन दे रहा है ? यदि हां, तो क्या अध्यापक/अध्यापिकाओं के विवरण सरकार देने की कृपा करेगी ? यदि नही, तो क्यों ? इण्टरमीडिएट एवं हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स से संबद्ध प्राइमरी अनुभागों से निष्कासित अध्यापक/अध्यापिकाओं को यदि विभाग वेतन दे रहा है, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारियों से वेतन वसूल करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

193–श्री ऊदल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद फैजाबाद के आदर्श जनता इण्टर कालेज टाण्डा के सहायक अध्यापक निरप्रसाद शर्मा द्वारा के० बी० महाविद्यालय अकबरपुर, फैजाबाद से संस्थागत छात्र के रुप में बी० एड० की परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने पर कार्यवाही किये जाने की मांग

194–श्री लाल जी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक बिना अवैतनिक अवकाश लिए हुए किसी विद्यालय में प्रवेश लेकर बी० एड० की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या आदर्श जनता इण्टर कालेज टाण्डा, जनपद फैजाबाद के सहायक अध्यापक निरप्रसाद शर्मा ने वर्ष 89-90 में के० बी० महाविद्यालय अकबरपुर, फैजाबाद से संस्थागत छात्र के रूप में बी० एड० की परीक्षा उत्तीर्ण की है ? यदि हां, तो क्या उक्त अध्यापक तथा अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

उल्लिखित विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री निरप्रसाद शर्मा ने संस्थागत छात्र के रूप में बी० एड० परीक्षा उत्तीर्ण की है । इस संबंध में विभागीय जांच के आदेश दिये गये हैं । मामले में नियमान्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में अशासकीय मान्यता प्राप्त महिला महाविद्यालय एवं राजाज्ञा द्वारा महाविद्यालयों के लिए भूमि विषयक मानक निर्धारित किया जाना

195–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने अशासकीय महिला महाविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं ? इन महाविद्यालयों के पास कितनी भूमि है ? राजाज्ञा संख्या 4557/15-62/11/3130/90, दिनांक 14 मार्च, 1984 के द्वारा क्या महिला तथा पुरुष महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त करने के लिए भूमि की सीमा बढ़ा दी गई है ? यदि हां, तो क्या महिला महाविद्यालय के लिए भूमि की सीमा पहले से चौगुनी कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इस समय प्रदेश में 86 अशासकीय महिला महाविद्यालय संबद्धता प्राप्त है ।

प्रश्नगत राजाज्ञा द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालयों के लिए भूमि विषयक मानक निर्धारित किए गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा द्वारा जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बभनान गोण्डा की जांच आख्या उच्च अधिकारियों को भेजा जाना एवं उक्त जांच आख्या में अध्यापकों की सूची की समीक्षा किया जाना

196–श्री विश्वनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 30 अगस्त, 1986 को जि० वि० नि०, गोण्डा ने जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, गोण्डा की जांच आख्या उच्च अधिकारियों को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उक्त जांच आख्या क्या थी ? जांच आख्या में मान्य अध्यापकों की सूची प्रकाशित करके उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई है क्या वह सही है ? क्या यह सत्य है कि उक्त सूची में राजनैतिक प्रभाव के कारण प्रबन्धक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा द्वारा परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मार्च, 1991 तक उन अध्यापकों का वेतन भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा द्वारा सूची में संशोधन किया जा रहा है ?

श्री राजनाथ सिंह–

उल्लिखित विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा द्वारा जांच आख्या 30 अगस्त, 1986 को उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गयी थी । उक्त जांच आख्या में उल्लिखित 23 मान्य आध्यापकों की सूची सही नहीं है । इस सूची की समीक्षा जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा द्वारा की जा रही है ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, गोण्डा का उप शिक्षा निदेशक फैजाबाद द्वारा स्पेशल आडिट कराया जाना एवं उस पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही

197–श्री विश्वनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, गोण्डा का उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा वर्ष 1986 में स्पेशल आडिट कराया गया था ? यदि हां, तो क्या लगभग 15 लाख रुपये का गबन संस्थाधिकारियों द्वारा किया जाना प्रकाश में लाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए शासन को वर्ष-1986 से लेकर वर्ष 1989 तक अनेकों शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो उक्त आडिट रिपोर्ट पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

उल्लिखित विद्यालय का स्पेशल आडिट कराया गया था जिसमें विभिन्न मदों के व्यय में 12,33,349.00 रूपये की धनराशि की अनियमिततायें प्रकाश में आयी थीं । सहायक लेखाधिकारी मण्डलीय आडिट इकाई कार्यालय उप शिक्षा निदेशक, नवम् मण्डल फैजाबाद की आख्यानुसार उक्त राशि के विरुद्ध 4,05,200.00 रूपये की धनराशि गबन से संबंधित है । आडिट रिपोर्ट में पायी गई अनियमितताओं के बारे में शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुये थे जिस पर शिक्षा निदेशक को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 घ का औचित्य का परीक्षण कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

198–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[दिनांक 23-3-92 को अता० प्र० सं० 68 द्वारा उत्तरित]

199–श्री बी० आर० वर्मा–

[स्पटीकरण हेतु हटाया गया]

"सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटवा मोहम्मदपुर, फैजाबाद " की विभिन्न समस्याओं के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

200–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटवा मोहम्मदपुर, अकबरपुर, फैजाबाद" की विभिन्न समस्याओं के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 2-8-91 संलग्नकों सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र को कार्यवाही हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उठायी गयी समस्याओं और तत्सम्बन्धित संलग्नकों के बारे में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ था जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद को दिनांक 6-3-92 को नियमान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेज दिया गया है ।

201–श्री बी० आर० वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, बांदा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित की गयी धनराशि एवं उससे निर्मित कार्यों का विवरण

202–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड बांदा को वित्तीय वर्ष 1990-91 व 91-92 में कुल कितनी धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित की गयी है ? आवंटित धनराशि में से निर्मित कार्यों का विवरण क्या है ? क्या अलग-अलग निर्मित कार्यों में व्यय धनराशि का उपभोग ठेकेदारों के माध्यम से किया गया ? यदि हां, तो ठेकेदार का नाम, बाण्ड, वर्क आर्डर, सप्लाई आर्डर सहित व्यय विवरण क्या है ? क्या टी० आई० द्वारा धनराशि का उपभोग किया गया है ? यदि हां, तो अलग-अलग कार्य के विवरण सहित भुगतान वाउचर नम्बर व धनराशि क्या है ? क्या ब्लाक, जिला परिषद् या ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों पर ही प्रान्तीय खण्ड-बांदा द्वारा जवाहर रोजगार योजना से आवंटित धनराशि व्यय की गई है ? यदि हां, तो क्या संबंधित अनुमान पत्रों में पुराने कार्य का लेखा-जोखा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फिरोजाबाद की उप तहसील टुण्डला की कतिपय ग्राम सभाओं को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि विभिन्न मदों पर हुआ व्यय, दुरुपयोग एवं इसकी जांच टी० ए० सी० से कराये जाने की मांग

203–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद की उप तहसील टुण्डला की ग्राम सभा पचोखरा देवखेड़ा, छिकामऊ, तथा पवारी को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में अब तक कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है तथा वह किन-किन मदों में

खर्च की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त धनराशि का बड़े पेमाने पर दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच टी० ए० सी० से कराने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद फिरोजाबाद की उप तहसील टुण्डला की प्रश्नगत ग्राम सभाओं को निम्नवत् धनराशि का आवंटन किया गया:–

ग्राम सभा कां नाम	आवंटित धनराशि वर्ष 90-91	आवंटित धनराशि वर्ष 91-92
1–पचोखरा	1.65.608.00	1.48.407.00
2–देवखेड़ा	1.41.838.00	1.27.106.00
3–छिका मऊ	36.693.00	32.881.00
4-पवा री	1.50.656.00	1.35.008.00

उक्त आवंटित धनराशि मुख्य रूप से खड़ंजा निर्माण, सम्पर्क मार्ग, निर्बल वर्ग आवास निर्माण, कूप निर्माण एवं प्रशासनिक मद आदि पर व्यय की गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

204–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड पचपेड़वा की कतिपय ग्राम सभाओं में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि, फर्जी बिल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके धन का निकाला जाना एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

205-श्री बाला प्रसाद –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अंतर्गत विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम सभा अवरहवा फरेंदी, बसन्तपुर, परसाबिजुआ, सगरामपुर, कटैया भारो, गौरा भारो घनखरपुर हाटी, अचकबापुर, को वित्तीय वर्ष 1987-88, 88-89, 89-90, 90-91, 91-92 में रूपपत्र-7 पर जवाहर रोजगार योजना की धनराशि आवंटित की गयी थी ? क्या निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या फर्जी बिल प्रमाण-पत्र, खण्ड विकास अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करके, धन को निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सत्यापन कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जवाहर रोजगार योजना वर्ष 1989-90 से प्रारम्भ हुई है । उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नगत ग्राम सभाओं को वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92 में धनावंटन किया गया है ।

कराये गये कार्यों का सत्यापन कराया जा रहा है ।

जी नहीं ।

कार्यों का सत्यापन एवं मूल्यांकन कराया जा रहा है । सत्यापन/मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

206–श्री घुरहू –

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

207–श्री अकबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद देवरिया विकास खण्ड भटनी के ग्राम सभा खजुरी करौता में ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यों में अनियमितता हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

208–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया विकास खंड भटनी के ग्राम सभा खजुरी करौता में ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गांव में कितने खड़ंजा तथा कितने पक्की नाबदान की नालियां एवं कितने कच्चे मिट्टी के कार्य 1989-90 एवं 1990-91 में कराये गये हैं ? क्या उक्त कार्य की वर्षवार जांच जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर करायेंगे ? क्या निर्माण कार्यों में अनियमितता हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह

जनपद देवरिया विकास खण्ड भटनी के ग्राम सभा करौता में ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में कराये गये प्रश्नगत कार्यों का विवरण निम्नवत् है:–

क्रमांक	कराये गये कार्य	वर्ष 89-90, 90-91		
1	खड़ंजा निर्माण	--	–	-
2	प्राइमरी पाठशाला की मरम्मत व पक्की नाली का निर्माण--	1	-	–
3	कच्चे मिट्टी का कार्य	8	4	1

उक्त कराये गये कार्यों की वर्षवार जांच अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा देवरिया द्वारा करायी जा रही है ।

जांचोपरान्त निर्माण कार्यों में अनियमितता पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

बांदा जिले के लिए बुन्देलखण्ड विकास निधि से जन संख्या के अनुपात में धनराशि दिये जाने की मांग

209–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेगें कि बुन्देलखण्ड विकास निधि में जो 71/2 करोड़ रुपये दिया गया है उसमें से प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है ? क्या बांदा जिले को दी गई धनराशि जनसंख्या के अनुसार सही अनुपात में है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? क्या भविष्य

में यह धनराशि इस निधि से बांदा जिले की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

बुन्देलखण्ड के पांचों जनपदों को निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई हैं:–

झांसी	95.00 लाख
बांदा	145.75 लाख
हमीरपुर	120.00 लाख
जालौन	95.00 लाख
ललितपुर	75.00 लाख

जी नहीं ।

निधि नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–301 की सूचनाएं ले रहा हूं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कहिये क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25-3-92 के उपवेशन में लोक सभा में माननीय सुलेमान सेठ जी ने व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में.

श्री अध्यक्ष–

लोक सभा में क्या होता है क्या नहीं इसकी बात नहीं है ?

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, अध्यक्ष लोक सभा ने व्यवस्था दी कि शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । क्या यहां इसका अनुसरण किया जायेगा ? कुछ तो व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

लोक सभा की परम्पराओं के आधार पर यहां बात नहीं होगी ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

संविधान के अनुसार लोक सभा चलती है और विधान सभा भी ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । नियम–301 में कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से सात सूचनाएं स्वीकार की गई । पहली सूचना पर श्री मातवर सिंह कंडारी, दूसरी पर श्री गया चरन दिनकर व तीसरी सूचना पर श्री गिरधारी लाल अनुपस्थित हैं । चौथी सूचना श्री लाखी राम जोशी की जनपद टिहरी गढ़वाल में चम्बा–मंसूरी फलपट्टी योजना के अन्तर्गत उद्यानों का आवंटन निर्धारित शर्तों पर करने के संबंध में है । पांचवी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में है । छठी सूचना श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की जनपद बांदा के कई गांवों में पाठशालाएं खुलवाने एवं भवन विहीन पाठशालाओं के भवन बनवाने के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के ग्राम पेलानी में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्मित कराने के संबंध में है । प्रतीक्षा सूची की दोनों सूचनाओं को लिया जाता हैं क्योंकि शलाका में तीन माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं । प्रतीक्षा सूची में पहली सूचना श्री ज्ञानचन्द की वर्ष 1991-92 की बजट धनराशि का 50% से भी कम जनपद उत्तरकाशी की जिला सेक्टर योजना को आवंटित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना डा० दिनेश जौहरी की बरेली में आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मण्डलीय अस्पताल बनवाने के संबंध में है । शलाका की चार और प्रतीक्षा सूची की दोनों सूचनाएं शासन को प्रेषित की जा रही है । इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

(श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय के खड़े होने पर)

आपकी भी सूचना है । क्या आप इसके अतिरिक्त दूसरे विषय पर बोलना चाहते हैं.....

(व्यवधान)

(सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)

जनपद टिहरी गढ़वाल में चम्बा-मंसूरी फल पट्टी योजना के अन्तर्गत उद्यानों का आवंटन निर्धारित शर्तो पर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाखी राम जोशी–

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल में चम्बा-मंसूरी फल पट्टी योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा तैयार उद्यानों का आवंटन निर्धारित शर्तो पर अविलम्ब करने की कार्यवाही करने की कृपा करें]

जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं जहां कुल 10 (दस) इण्टरमीडिएट कालेज हैं । इस निर्वाचन क्षेत्र के बालक एवं बालिकाओं के उच्च शिक्षा हेतु कोई महाविद्यालय नहीं है जिससे अन्य कहीं दूर जाकर

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, जिसमें छात्र एवं छात्राओं के साथ-साथ अभिभावकों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है । इस प्रकार यह क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त कमजोर एवं पिछड़ा हुआ है ।

अतः लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करता हूं कि इस पर शासन की स्थिति स्पष्ट कराने का कष्ट करें ।]

जनपद बांदा के कतिपय गांवों में पाठशालायें खुलवाने एवं भवन विहीन पाठशालाओं के भवन बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

[मान्यवर, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि बांदा जनपद के निम्नलिखित ग्रामों में या तो विद्यालय का भवन नहीं और कहीं-कहीं विद्यालय हीं नहीं है और बच्चे 3 किमी० से 5 किमी० तक पढ़ने जाते हैं । छोटे बच्चे होने के कारण अनेकों ग्रामों के बच्चों की दुर्घटनाओं से मृत्यु हो गई है या फिर अपाहिज हो गये हैं । उदाहरण के लिए डडियन पुरवा के विजय सिंह के पुरवा ग्राम सभा महोखर के लक्ष्मी नाम के पांच वर्ष के अनुसूचित जाति के बच्चे की स्कूल जाते समय ट्रक से टक्कर हो गयी और बच्चे की टांगें टूट गईं तथा बच्चा अपाहिज हो गया । मान्यवर, यह हमारे जिले की गंभीर समस्या है । अतः आप निम्नलिखित ग्रामों में उचित शिक्षण व्यवस्था करने हेतु सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें । ग्राम डडियन पुरवा ग्राम सभा महोखर (2) ग्राम ददरिया ग्राम सभा जौरही (3) भज्जू का पुरवा ग्राम सभा गुरेह (4) केसर के सामने व बांधा पुरवा से पहले सभी तिन्दवारी के पुरवे (सभी ब्लाक बडोखर खुर्द के हैं) व अनुसूचित जाति के हैं । (5) इकौना में भवन नहीं है (6) रसूल पुर (7) बिसन्डा रूरर के सभी पुरवा (8) ग्राम लामेहटा के प्रा० पा० भवन नहीं है । (सभी ब्लाक बिसन्डा) (9) गोविन्दपुर (10) कन्या जू० हा० स्कूल बडोखर बुजुर्ग (11) झाड़िन का पुरवा ग्राम सभा बडोखर बुजुर्ग (12) नगनेधी में जू० हा० स्कूल (13) भग्गू का पुरवा ग्राम सभा नगनेधी (14) ग्राम मनीपुर में जू० हा० स्कूल की स्थापना (सभी ब्लाक मुहुआ) ।]

जनपद बांदा के ग्राम पैलानी में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्मित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जनपद बांदा के ग्राम पैलानी में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिरहार क्षेत्र के लिए एक मात्र राजकीय विद्यालय है । विगत कई वर्षो से यह विद्यालय पुरानी तहसील के जर्जर भवन में चल रहा है जिससे प्रत्येक क्षण विशेष कर वर्षा ऋतु में सैकड़ों छात्रों का जीवन खतरे में रहता है ।

उक्त विद्यालय के लिए ग्राम सभा की ओर से यथेष्ट जमीन दे दी गई है और समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं । अतः मेरी मांग है कि अविलम्ब वित्तीय वर्ष 1992-93 में ही उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाय ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद उत्तरकाशी की जिला सेक्टर योजना को बजट की अत्यंत कम धनराशि आवंटित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ज्ञानचन्द्र–

[मान्यवर, जनपद उत्तर काशी का जिला सेक्टर योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 का बजट कुल धनराशि 13.61.85.000/-रुपये है किन्तु अभी तक स्वीकृत धनराशि में माह फरवरी, 1992 तक कुल जिले को 6.04.35.000/-रुपये ही दिये जा सके हैं । जो कि 50% से भी कम हैं । समय से जिले को धनराशि न दिये जाने के कारण कई लोक महत्व के कार्य ठप्प पड़े हैं । जिससे आम व्यक्ति का हक मारा जा रहा है । इस संदर्भ में शासन को निर्देश कर 31 मार्च, 1992 से पहले जिला सेक्टर योजना की पूर्ण धनराशि दिलाने का कष्ट करें ।]

बरेली में आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मण्डलीय अस्पताल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० दिनेश जौहरी–

[मान्यवर, बरेली चिकित्सा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ मण्डल है बरेली हीं नहीं साथ में लगे पर्वतीय क्षेत्र व नैपाल के भी गंभीर मरीज यहां आते हैं । किन्तु उचित चिकित्सा अस्पताल न होने के कारण उन्हें दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मेरठ आदि ले जाना पड़ता है बरेली मण्डल से जो पहले रुहेलखण्ड मण्डल का मेडिकल कालेज भी नहीं बन सका । प्रदेश सरकार ने फैसला किया हुआ है वहां 500 बिस्तर के आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त मण्डलीय अस्पताल बनायें जायेंगे किन्तु भूमि उपलब्ध होने के बाद भी अभी तक अस्पताल नहीं बनाया गया ।

कुछ माह पूर्व बरेली के मण्डलीय अस्पताल बनाने के लिये प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव उक्त अस्पताल के लिये 38 करोड़ की विदेशी (ओ प क से) सहायता प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है । जिसकी सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं ।

मैं मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्र सरकार के माध्यम से यथाशीघ्र विदेशी सहायता प्राप्त कर 500 बिस्तर के आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मण्डलीय अस्पताल का निर्माण करावे ।]

अयोध्या में मंदिरों को तोड़े जाने के संबंध में चर्चा की मांग

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, अभी दो दिन पूर्व जब सदन चल रहा था और यह बजट सत्र है । हमारे विपक्ष के जो नेता हैं.....

श्री अध्यक्ष–

मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट: [ ] गत अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

श्रीमन् एक मिनट सुन लें ।

इस महत्वपूर्ण बजट पर हमारे प्रतिपक्ष का एक भी नेता उपस्थित नहीं है । बजट सत्र चल रहा है यह बहुत ही दुखद बात है । यह लोग क्यों निलम्बित हुए यह तो सभी जानते हैं । मान्यवर, कांग्रेस विधान मंडल दल की एक समिति अयोध्या गई थी वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं भाजपा की सरकार राम मंदिर के नाम पर आई थी और मंदिरों को [x x x] मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी के नेतृत्व में 6 कांग्रेस के विधायक वहां गये थे । पेपर पढ़कर यह सूचना प्रदेश की जनता को मिली यह सच बात है वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं । यह पूजा विधेयक लाकर असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं । इसमें पुनः चर्चा कराई जाये । यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । पूरे प्रदेश की जनता की निगाह अयोध्या पर लगी है । श्रीमन् मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको आवश्यक नहीं समझ रहा हूं । 24 तारीख को इसमें काफी विचार विमर्श हुआ ।

श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, आपने आश्वासन दिया था कि प्रश्नकाल के बाद सुनेंगे इसलिये आपसे अनुरोध है कि अयोध्या पर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

जब विभाग की मांगों और अनुदानों पर चर्चा होगी तो आप चर्चा कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

* श्री लीला राम वर्मा–

आपने कहा था कि प्रश्नकाल खत्म होने पर सुनूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया एक दो सूचनायें जो स्वीकृत की गई हैं उनको ले लेने दें ।

(व्यवधान)

नियम 300 में अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की पहली सूचना है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

सम्मानित सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया आज बजट पर चर्चा होनी है और सारा विपक्ष अनुपस्थित है यह सम्मानित सदस्यों के जो अधिकार हैं उसका हनन है, जो पूजा विधेयक लाया गया है जो सरकार राम के नाम पर सत्ता में आई है इन्होंने मंदिर और मूर्ति जिसकी स्थापना प्राण-प्रतिष्ठा के द्वारा की जाती है उसे अतिरिक्त फोर्स लगाकर...

(व्यवधान)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आज यह विधेयक नहीं है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, सारे सदन में कोई विपक्ष का सम्मानित नेता नहीं है सब निलम्बित कर दिए गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

निलम्बन वापस हो गया है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मैं चाहता हूं कि पूजा विधेयक लाकर इस तरह से पूजा स्थलों की तोड़फोड़ की जा रही है इस पर आप सरकार को निर्देशित करें । इस तरह से साम्प्रदायिक बातें न फैलाई जाएं । सम्मानित सदस्यों को इस तरह निलम्बित कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों का निलम्बन वापस हो चुका है ।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय–

आपने निलम्बन तो वापस ले लिया दो दिन हो गए कोई अपने क्षेत्र में है कोई कहीं है आज आप सूचना दे रहे हैं कि निलम्बन वापस ले लिया यह कोई औचित्य नहीं है । श्रीमन्, इस पर चर्चा कराई जाए । अगर चर्चा कराने के आदेश नहीं देते हैं तो मैं और मेरा दल आज के पूरे दिन की कार्यवाही से वाक आउट कर रहा है ।

(श्री अमरेश चन्द्र पांडेय ने अपने दल के सदस्यों के साथ वाक आउट किया ।)

श्री लीला राम शर्मा–

आपने कहा था कि बाद में सुन लूंगा मैं अपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी है ।

श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार को मंदिर या मस्जिद तोड़ने का अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री लीला राम शर्मा–

[x x x]

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री लीला राम शर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है । आपने अपनी बात कह दी है ।

श्री लीला राम शर्मा–

[x x x]

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम कुमार शुक्ला–

मान्यवर, इनकी सरकार केन्द्र में थी उस समय काश्मीर में सैकड़ों मंदिर तोड़े गये हैं । इनके नेता सत्ता में थे उस वक्त आप क्या कर रहे थे ? अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । मंदिर के बारे में पता नहीं है और । [x x x] की बातें हाउस में कहकर समय खराब कर रहे हैं ।

निलंबित सदस्यों का निलम्बन वापस किये जाने हेतु संसदीय कार्य मंत्री को श्री अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये जाने के संबंध में जानकारी

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् हम लोग निलंबित किये गये थे और निलंबन को समाप्त किया गया है । हम क्यों निलंबित किये गये थे मैं उसमें जाना नहीं चाहता । निलंबन करने की जो प्रक्रिया अपनायी गयी मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं । अभी जब एक दिन पहले सदन का उपवेशन चल रहा था तो मा० लालजी वर्मा और माननीय उदल जी ने, तमाम विपक्ष के नेताओं ने प्रस्ताव रखा था निलंबन के वापस करने के बारे में, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस समय कहा था कि यदि माननीय अध्यक्ष जी निर्देशित करें, माननीय अध्यक्ष जी कहेंगे तो निलंबन वापस होगा । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कोई निर्देश दिया जिससे निलंबन वापस हुआ या सरकार के चित्त में यह सदाशयता कैसे आ गयी, कैसे कृपा हुई जिससे यह निलंबन वापस लिया गया । मान्यवर, आप जानते हैं कि जो निलम्बित सदस्य हैं वह अपने-अपने क्षेत्रों में गये हैं । मान्यवर, मुझे जानकारी हो जाय कि क्यों निलंबन वापस किया गया है तो मेरा ज्ञान वर्धन होगा ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं ज्ञान वर्धन किये देता हूं । मान्यवर, दीक्षित जी मेरे बड़े पुराने साथी हैं, उन्होंने एक जिज्ञासा रखी कि सरकार के मन में कौन सी बात पैदा हुई जिससे प्रस्ताव निलंबन की वापसी का किया गया । मैं आदरणीय दीक्षित जी के दर्शन नहीं कर पा रहा था मेरे मन में उत्कंठा हुई कि मैं दीक्षित जी के दर्शन लाभ प्राप्त करूं इसलिये मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और आदरणीय सदन की उस पर सहमति मिली और मैं दीक्षित जी का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहा हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, क्या आपने कोई निर्देश दिया था, क्योंकि उस दिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि आपका आदेश हो तो वापस ले लें । एक जिज्ञासा है, क्या आपने निर्देशित किया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्पष्ट कर देता हूं । 24 मार्च को जिस समय निलम्बन का प्रस्ताव आया था, उसके पहले मैंने माननीय सदस्यों को इंगित किया था, प्रक्रिया नियमावली के अनुसार और उसके पहले भी मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सचेत कर दिया था, चूंकि मुझे कुछ माननीय सदस्यों के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वे मेरे निर्देशों का पालन करेंगे । मैंने कहा था कि यदि इंगित करूं तो प्रस्ताव लाने के लिये तत्पर रहें । इसके पश्चात् इंगित किया और संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया और जिसे सदन ने स्वीकार किया । जब सदन का निर्णय हो गया, उसके बाद मैं कैसे अकेले उस निर्णय को बदल देता । चूंकि 25 मार्च को माननीय सदस्य यदुनाथ सिंह जी, ऊदल जी ने प्रस्ताव किया और विचार हो रहा था, उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय निर्णय दे दें, उस समय भी मैंने कहा था कि चूंकि सदन का निर्णय है, इसलिये सदन के निर्देशों के अनुसार ही निर्णय ले सकूंगा । आज माननीय राम लखन जी ने सदन के सामने यह मामला उठाया और निलम्बन वापस लेने का प्रस्ताव किया । अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका भावार्थ मैं हिन्दी में दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान हो सकता है, कभी भी वाइजर हो सकता है, इसलिये आज के वातावरण को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि प्रस्ताव लाया जाय । चूंकि निर्णय सदन का था इसलिये उस प्रस्ताव को निरस्त करके आज की शेष अवधि के लिये उनका निलंबन निरस्त कर दिया गया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, क्या आप उनको निर्देशित कर सकते थे ।

श्री अध्यक्ष–

निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं थी । एक प्रस्ताव आया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उसको स्वीकार करके प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम तो आपके दर्शन के लिये व्याकुल थे ।

अयोध्या में मंदिर निर्माण विषयक सदन में दिये गये उत्तेजनात्मक भाषण अंश का कार्यवाही से निकाले जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि 24 तारीख का सभी विपक्ष के नेताओं ने सारे नियमों को निलम्बित करके अयोध्या के विषय में काफी कुछ कहा, लेकिन उसके बाद सुनियोजित ढंग से मुख्य मंत्री जी को नहीं सुनना चाहा, ताकि प्रदेश की जनता और अखबारों तक उनकी बात न पहुंच सके, उस दिन रात 8 बजे तक यही स्थिति चलती रही । एक नेता ने तो जो व्यक्ति सन् 47 में भारत वर्ष के विभाजन के लिये जिम्मेदार थे उसे आदरणीय सदन में एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत कर दिया । ऐसे शब्दों को नहीं लिखा जाना चाहिए । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश जौहरी की इस भावना के संबंध में मैंने स्वयं उन भाषणों के संबंध में कहा था कि कार्यवाही देख लूंगा और कोई भी ऐसी आपत्तिजनक भाषा या शब्द होगा जिससे प्रदेश का साम्प्रदायिक सौहार्द्र बदले, कार्यवाही से निकाल दूंगा । इसके अनुसार डा० जौहरी की नियम 300 की सूचना को अस्वीकार करता हूं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, 24 मार्च के उपवेशन में मंदिर तोड़े जाने के प्रकरण पर सारे नेताओं के भाषण मैंने बड़े गौर से सुने । माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी नेता सजपा ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जिस समय श्री राम चन्द्र जी थे, उस समय इस्लाम धर्म भारत वर्ष में नहीं था । मान्यवर, उनके इस भाषण से मुसलमानों की गरिमा न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि दुनिया में गिरी है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । व्यवस्था का प्रश्न इस सदन की कार्यवाही से संबंधित होना चाहिए, जो तत्काल चल रही हो । यह तो आप अन्य विषय उठा रहे हैं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मैं इसको कार्यवाही से निकालने की मांग करता हूं ।

मान्यवर, उनके इस बयान को कार्यवाही से निकाल दिया जाय । मैं यह कह रहा हूं कि यह कौन सा धर्म नया है और कौन सा धर्म पुराना है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अभी डा० दिनेश जौहरी के प्रश्न पर कह दिया था कि जो भी आपत्तिजनक चीज होगी, उसे निकलवा दूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण [illegible] पुर्नवीक्षण [illegible] किया ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, कौन सा धर्म पुराना है और कौन सा धर्म नया है ? यह सब जानते हैं संसार की सृष्टि के समय आदम हव्वा आये थे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जायं ।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

श्रीमन्, मैंने सदन के गत उपवेशन में नियम 56 में यह मामला उठाया था, जिसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी । इसमें मान्यवर, मंत्रि परिषद् के सदस्य माननीय अनिल तिवारी, राज्य मंत्री ने भी इनके खिलाफ भी मुख्य मंत्री जी को लिख कर दिया और यहां तक लिखा कि सत्यनिष्ठा संदिग्ध है । श्रीमन्, ये भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देकर एक साथ दो-दो पदों पर बनाये रखकर लूट-खसोट का मौका दिये जाने का मामला है । श्रीमन्, यह दोनों ही अधिकारी ऐसे हैं, जिनका विभाग नेता सदन के पास है, स्वास्थ्य और ग्राम्य विकास इसलिए माननीय नेता सदन अर्थात् माननीय मुख्य मंत्री जी को ही कार्यवाही करनी है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मुझे ठीक स्मरण है, मैंने कहा था कि जो बिन्दु माननीय सदस्य ने उठाया था, उस पर अवश्य कार्यवाही की जाय । जो-जो शिकायतें माननीय सदस्य ने की थीं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर, प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कार्यवाही की जायगी । अगर मान्यवर, आश्वासन मैंने दिया, तो यह आश्वासन बन गया । इसमें नियम 300 और 311 का कोई प्रश्न आता नहीं है ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, उन्हें लूट-खसोट का पूरा मौका दिया गया । उन्हें एक ही पद पर कर दिया जाय । वह दोनों पदों पर रह कर जांच के समय अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तमाम प्रूफ वह गायब कर रहे हैं । जो पदोन्नति के रूप में कार्यवाहक पद दिये गये हैं, उन्हें वापस लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अभी पुनः कहा कि उस पर कार्यवाही हो रही है । इसको निरस्त किया जाता है ।

नियम 311 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा की एक सूचना प्राप्त हुई है । श्री वर्मा जी उपस्थित नहीं हैं, इसलिये इसको निरस्त किया जाता है ।

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (जारी)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 मार्च, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 30 मार्च, 1992 से 7 मई, 1992 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं–

(1) दिनांक 1 अप्रैल, 1992 को वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा रखी जाये तथा उस दिन नियम 56, नियम 300 तथा नियम 311 की सूचनाएं न ली जायें ।

(2) दिनांक 2 अप्रैल, 1992 को वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों पर विचार एवं मतदान रखा जाय और उस दिन भी नियम 56, नियम 300 तथा नियम 311 की सूचनाये न ली जायें ।

(3) सदन का दिनांक 30 मार्च, 1992 से 7 मई, 1992 तक के तिथिवार अनुमोदित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

<u>मार्च, 1992</u>	
30 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा, 2-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।
31 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा, 2-उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।
<u>अप्रैल, 1992</u>	
1 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
2 गुरुवार 3 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
4 शनिवार 5 रविवार 6 सोमवार	बैठक नहीं होगी ।
7 मंगलवार 8 बुधवार 9 गुरुवार 10 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

11 शनिवार	
12 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
13 सोमवार	

14 मंगलवार		
15 बुधवार	बैठक	(डॉ० अम्बेदकर का जन्म दिवस का अवकाश)
16 गुरुवार	नहीं	(महाबीर जयन्ती का अवकाश)
17 शुक्रवार	होगी	(गुड फ्राइडे का अवकाश)
18 शनिवार		
19 रविवार		

श्री राम कुमार शुक्ला–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

परम्परा यह रही है कि यह सर्वसम्मति से पास होता है । इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं पढ़ चुका हूं, तब मंत्री जी प्रस्ताव लाते हैं । कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के बारे में हमेशा ऐसा नहीं है । मैं पढ़ लूं । सिफारिशें तो पढ़ लूं ।

20 सोमवार	
21 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
22 बुधवार	
23 गुरूवार	
24 शुक्रवार	

25 शनिवार	
26 रविवार	बैठक नहीं होगी ।

27 सोमवार	
28 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
29 बुधवार	
30 गुरुवार	

<u>मई, 1992</u>

1 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
2 शनिवार 3 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
4 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
5 मंगलवार	1- वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2- 4.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थगन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
6 बुधवार 7 गुरुवार	असरकारी दिवस ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं पर पुनर्विचार करने का अनुरोध

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं निवेदन कर रहा था कि नियम 300 के अन्तर्गत ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लेते हैं जिसमें भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों जिनका विधान सभा की कार्यवाही से संबंध है, 300 किसी भी समय उठ सकता है, ऐसा प्रस्ताव उस समय भी आ सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे स्पष्ट कर दूं, इसमें सिफारिशें हैं कि सूचना उस दिन नहीं ली जायेगी, अर्थात् लिखित सूचना नहीं लग सकेगी लेकिन औचित्य का प्रश्न तो उठ ही सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

चूंकि कार्य-मंत्रणा समिति में माननीय सदस्य नहीं रह पाये इसलिए मैं आपकी अनुमति से..

श्री अध्यक्ष–

कुछ लोग उपस्थित नहीं रह पाये थे लेकिन कुछ लोग थे, कोरम पूरा था ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, 300 के निलम्बन पर विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह सिफारिश है कि सूचना नहीं ली जायेगी लेकिन विचार-विमर्श करते समय कोई औचित्य का प्रश्न आ गया तो उसमें कोई रोक नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, पहले से जानकारी नहीं थी आप 300 पर पुनर्विचार कर लें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी पुराने सदस्य हैं और नियमों के भी जानकार हैं । आज बजट पर सामान्य चर्चा है, चाहे जो विषय दिल खोलकर उठायें, किसी विषय को उठाने से अपने को वंचित न समझें ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (क्रमागत)

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-7, नियम 56 में पहली सूचना श्री अमरेश चंद्र पाण्डेय, दूसरी श्री अशोक कुमार, तीसरी श्री गिरधारी लाल की है ।

(संदर्भित मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

ये तीनों सूचनाएं निरस्त हुईं ।

अब मद संख्या-8 लेते हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह रहा है कि माननीय नेता, विरोधी दल इसे प्रस्तुत करते ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा पहले से जारी है, यदि आप कुछ कहना चाहते हों तो कहें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

हम लोग लगातार दो दिन से सदन से बाहर हैं ।

श्री अध्यक्ष–

सम्पूर्ण विपक्ष निलम्बित नहीं था, 200 के करीब माननीय सदस्य हैं, कुछ लोग बोल चुके हैं, अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी ने विचार व्यक्त किये थे ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा †

* श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, वित्त मंत्री जी के द्वारा जो 1992-93 का बजट पेश किया गया है, अगर इसे वास्तविक ढंग से पढ़ा जाय तो लगेगा कि यह सर्वांगीण है तथा विकासोन्मुख है । जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी तो जो घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें प्रमुख रूप से दो बातें कही थीं । एक तो राम जन्म भूमि पर मन्दिर का निर्माण करना और दूसरा जो हमारे पहले से ही नारे थे कि गांव, गरीब किसान, चौपाल की शान, परेशान नौजवान और महिलाओं का सम्मान । अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको छोड़ा गया हो इसलिये कहूंगा कि बजट विकासोन्मुख है । आज हमारे सम्मानित प्रतिपक्ष के सदस्य अगर यहां होते तो उनके सामने कुछ बातें रखने में अच्छा होता लेकिन वे आज सदन से बाहर हैं ।

नेता विरोधी दल व अन्य दलों के नेताओं की अनुपस्थित के कारण बजट पर सामान्य चर्चा के स्थगन की मांग

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

नेता विरोधी दल, श्री प्रमोद तिवारी जी और हमारे दल के नेता भी आज उपस्थित नहीं हैं । जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको भी कठिनाई आ रही है । इस चर्चा को 4 दिन आगे और बढ़ा दें । आज स्थगित करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ही यह चर्चा । अप्रैल तक के लिये बढ़ा दी गयी है । अगर आज विपक्ष के माननीय सदस्य बहिष्कार कर गये हैं या उपस्थित नहीं हैं तो इस आधार पर इस चर्चा को स्थगित कराने का तो कोई औचित्य नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यह चर्चा एक तरफा हो जायगी । जब तक माननीय नेता, विरोधी दल की बात न आ जाय, कैसे बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मान लीजिए किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नेता, विरोधी दल नहीं आ पाये तो चर्चा स्थगित करने में कठिनाई हो जायगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अगर चर्चा स्थगित नहीं होती है जब तक बड़े नेता बोल नहीं लेते हैं, वित्त मंत्री जी के विचार आये, हमने सुना, उसीं के समर्थन में माननीय सदस्य बोलने खड़े हो गये, हमें पता नहीं था कि आज निलम्बन वापस हो जायगा । जो सदस्य बहिगर्मन कर गये हैं, वे भी स्वेच्छा से नहीं गये हैं ।

तो यह चर्चा स्थगित कराकर अन्य विषय ले लें तो यह ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं चर्चा को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं समझता हूं ।

---

† देखिये दिनांक 12 मार्च, 1992 की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चर्चा स्थगित करायी जाये क्योंकि अभी तक माननीय नेता विरोधी दल का भाषण नहीं हुआ है । मान्यवर, इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी बोल लें उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल अपना भाषण देते हैं लेकिन माननीय नेता विरोधी दल को चूंकि निलम्बित किया गया है इसलिये उनका भाषण नहीं हो पाया है । चूंकि आज निलम्बन वापस हो गया है परन्तु इसकी सूचना अभी संबंधित सदस्यों को नहीं हो पायी है इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह चर्चा स्थगित कर दी जाये । मान्यवर, आप चर्चा स्थगित नहीं कर रहे हैं इसलिये मेरे यहां बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है इसलिये मैं चूंकि और दलों के माननीय सदस्य व नेतागण यहां पर नहीं हैं, इसके विरोध में आज के शेष दिन के लिए सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित सदन त्याग कर चले गये)

श्री ऊदल–

मान्यवर, आज कुछ निर्णय इस तरह के हुए हैं, यह सुझाव भी हम लोगों ने रखा था कि आज के दिन अपने आप निलम्बन समाप्त हो जायेगा पर पता नहीं कैसे एक प्रस्ताव आ गया और निलम्बन वापस भी हो गया । उस दिन भी मैंने यह प्रस्ताव रखा था परन्तु उसको अस्वीकार कर दिया गया इसलिये जब तक माननीय नेता विरोधी दल के विचार इस पूरे बजट के बारे में न आ जायें तब तक मैं समझता हूं कि चर्चा का आधार नहीं रहेगा और इससे कोई लाभ भी होने वाला नहीं है । इसलिये श्रीमन्, मैं इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता हूं और मैं सदन से वाक आउट कर रहा हूं ।

(श्री ऊदल व श्री दीनानाथ यादव सदन त्याग कर चले गये)

(इस समय 12 बजकर 36 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, आज सदन में कोई भी प्रतिपक्ष का नेता नहीं है और आज सदन में एक तरफा कार्यवाही करके निलम्बन वापस ले लिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, माननीय सदस्यों का निलम्बन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया है और यह अपेक्षा की जाती है कि जो भी सदस्य सदन में हैं वह सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे इसलिये चर्चा जारी रहने दें ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मेरी बात तो सुन लें । मान्यवर, यह जो निलम्बन का प्रस्ताव पास हुआ है वह सर्वसम्मति से नहीं हुआ है । चूंकि यहां पर विपक्ष के लोग नहीं हैं और आप बहुमत के आधार पर वहां बैठे हुए हैं इसलिये आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं । यह सरकार असंवैधानिक कार्य कर रही है, बहुमत का दुरुपयोग कर रही है इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री हरि शंकर तिवारी सदन त्याग कर चले गये)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, जब कभी किसी सरकार का बजट आता है तो उसके अन्दर तर्क प्रमुख चीज होती है । तो इसमें एक यह तर्क दिया गया है कि कैसे प्रदेश का विकास हो और दूसरा उसके अन्दर यह तर्क दिया गया कि प्रदेश के नागरिकों को क्या सुख सुविधायें दी जायें और कैसे उन्हें समृद्धिशाली बनाया जाये । अगर आप बजट को देखें तो आप पायेंगे कि इसमें दोनों दृष्टियों पर सम्पूर्ण विचार किया गया

है । प्रदेश के सवाल को अगर आप देखें छोटे उद्योग धन्धे हैं, कृषि भी एक उद्योग है, इन तीनों के लिये बड़े विस्तृत रूप में हमारी सरकार ने प्राविधान किये हैं । बड़े उद्योगों के लिये कुछ ऐसी सुविधायें प्रदान की गयी हैं, जिससे हमारे प्रदेश के ये उद्योग धन्धे बाहर न जाने पायें और वह हमारे प्रदेश में ही रहें, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सके । मान्यवर, मैं अपने सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो छोटे उद्योग धन्धे हैं, उनको भी बढ़ाने का पूरा प्रयास इस बजट में किया गया है, जिससे बेरोजगारी समाप्त हो सके । मान्यवर, बजट में आप देखें, हमारे बुनकरों के लिये भी सुविधायें प्रदान की गयी हैं, उनको आवास बनाने के लिये 5 हजार रुपया देने का भी प्राविधान किया गया है । इसके अलावा हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति के बन्धु हैं, जो ड्राइविंग जानते हैं, उनको वाहन खरीदने के लिये भी बजट में प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, यदि प्रदेश के अन्दर देखा जाय, तो सबसे बड़ा उद्योग कृषि उद्योग के अन्दर हमारे प्रदेश की 84 प्रतिशत जनता निर्भर करती है । मैं अपने माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि कृषि के मामले में भी बहुत सी सुविधायें जुटाने का प्राविधान इस बजट में किया गया है, हमारे वित्त मंत्री जी ने अनेक प्राविधान इसमें रखे हैं, तमाम उपकरण जो कृषि कार्य में उपयोग किये जाते हैं, उनके ऊपर छूट प्रदान की गयी है, जिससे किसान इनको आसानी से खरीद सके और अपना उत्पादन बढ़ा सके । इसी तरह मान्यवर, सिचाई हेतु 20 हजार नलकूपों का विद्युतीकरण किया गया और अब 350 राजकीय नलकूपों को लगाने की व्यवस्था इस बजट में की गयी है, इसके साथ ही 25 ग्रामों में बीज ग्राम योजना क्रियान्वित करने का प्राविधान किया गया है, जिससे किसानों को बीज मिलने में सुविधा हो सके । वास्तव में देखा जाय तो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में गन्ने का उत्पादन किया जाता है और गन्ना उत्पादकों की बहुत सी कठिनाइयां थीं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा प्रयास किया गया है । इन गन्ना उत्पादक किसानों का बहुत सा पैसा चीनी मिल मालिकों पर बकाया था । सरकार ने उस पैसे का भुगतान कराने के लिये 80 करोड़ रुपये देकर मिलों को चलाने का काम किया है । अभी तक मिलों में ढाई लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई हो रही थी, इस वर्ष सरकार द्वारा साढ़े 3 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई का प्राविधान किया गया है । हमारी सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि कैसे गन्ना किसानों को अधिकाधिक लाभ मिले, इस हेतु सरकार द्वारा बिना किसी मांग के 4 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया गया है, इस तरह से देखा जाय, प्रदेश के विकास के लिये कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिसे इस बजट के अन्दर छोड़ा गया हो । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी बजट के अन्दर, उस प्रदेश के नागरिक कैसे सुखी और समृद्धशाली हों, इस बात का पूरा प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाय, जिससे हमारा नौजवान जब पढ़ कर बाहर निकले; तो उसे रोजगार उपलब्ध हो सके, इसी के तहत हमारी सरकार ने ढाई लाख नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का इस बजट में प्राविधान किया है । मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जो शिक्षा संस्थायें हैं, जिनमें आजादी के 44 सालों में पेड़ों के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ा करते थे, अब सरकार ने ऐसा प्राविधान किया है कि कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा, जिसमें कम से कम दो कमरे ही न हों । जिससे कि बच्चे छाया में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकें । चौथी आवश्यकता है चिकित्सा की । बजट में जो सबसे पहले प्राविधान किया गया है, वह यह है कि जितने भी स्थान रिक्त हैं, उन सारे स्थानों को तुरन्त भर दिया जायेगा 1100 राजकीय अस्पताल स्थापित करने का प्राविधान भी इस बजट में है और साथ ही 1300 के आसपास उप केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।

हर अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध हों, इसकी व्यवस्था भी इस बजट में की गई है । हमने गांव-गरीब का जो नारा दिया है, उसके किसी भी पहलू को हमने छोड़ा नहीं है, हर एक चीज के लिए बजट में प्राविधान किया गया है । जो निराश्रित व विधवा महिलायें हैं, उनके लिए निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था इस बजट में की गई है ।

भंगी मुक्ति योजना के अंतर्गत दो करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ताकि उनका विकास किया जा सके । निर्बल वर्ग के लोगों के लिए एक लाख आवासों के निर्माण की योजना भी इस बजट में है । अम्बेदकर योजना के तहत गांवों में जो टूटी-फूटी नालियां हैं, उनकी मरम्मत हेतु भी इस बजट में पैसा आवंटित किया गया है ताकि गांवों में जो पानी भर जाता है, वह न होने पाये । अनुसूचित जाति व जन जाति के नव युवकों के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं । जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, जिसे इस सरकार ने छुआ न हो । गांवों के विकास के लिए बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा रखा गया है । गांवों में 84 प्रतिशत जनता रहती है और शहरों में मात्र 16 प्रतिशत जनता रहती है, परन्तु विगत 44 सालों में गांवों को दुर्लक्ष्य किया गया था, परन्तु यह पहला अवसर है जब ग्रामोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया गया है ।

माननीय सदस्यों का ध्यान मैं इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि अब एक न्याय पंचायत के अंदर एक किसान सेवा केन्द्र खोला जायेगा, जिससे सरकार की सारी सुविधाओं की जानकारी हो सके ताकि प्रगति के मार्ग को वह प्रशस्त कर सकें । पत्रकार बन्धुओं को भी एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्राविधान इस बजट में किया गया है और क्षतिपूर्ति हेतु 1 लाख 30 हजार रुपये का प्राविधान भी इस बजट में किया गया है । कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, जिसे पेंशन की सुविधा न दी गई हो । चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वह मिलिट्री से रिटायर्ड सैनिक हो और चाहे वह कर्मचारी हो ।

अन्त में मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि हम जिस आधार पर चुनाव लड़कर आये थे, वह है राम जन्म भूमि का नारा । मंदिर निर्माण का नारा देकर हम यहां पर आये हैं और जिन लोगों ने उसका विरोध किया है, वे आज विरोध पक्ष में बैठे हैं । यदि आगे भी वह इसका विरोध करते रहे, चाहे वह कुंवर रेवती रमण सिंह जी हों, चाहे वह श्री कैलाशनाथ सिंह यादव जी हों, चाहे वह श्री प्रमोद तिवारी जी हों, चाहे वह श्री मुलायम सिंह जी हों, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आज तो वह उधर बैठे हैं, परन्तु कल वह वहां भी नहीं बैठने पायेंगे ।

भगवान राम की जन्मभूमि के लिये हमने नारा लगाया था जिसके आधार पर हमें जनादेश मिला है । यह कहते हैं हम हनुमान भक्त हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय शुक्ला जी, जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं उनका नाम लेना उचित नहीं है ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

हमारे माननीय सदस्य जो उधर बैठते हैं कहते हैं हम हनुमान भक्त हैं तो उस हनुमान जी की मूर्ति के नीचे जब बच्चों पर गोलियां चलाई गयीं और पूरे प्रदेश की ट्रेनों के रास्ते बदल दिये गये जो लोग हनुमान जी के दर्शन के लिये आ रहे थे उनको रोक दिया गया, जो महिलायें वहां स्नान कर रही थीं उन नंगी महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया और पूरे प्रदेश की हदबंदी कर दी गयी तो वह हनुमान भक्त उस वक्त कहां गये ? जब कुठारी बच्चों को राइफल और बंदूकों से मार दिया गया उस समय यह हनुमान भक्त कहां गये । एक राजेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति को 36 गोलियां लगी थीं जिसके शरीर के

चिथड़े हो गये थे तो वह कहां गये थे ? आज वह राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं। जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा जब तक वह वहां जाकर नहीं कहेंगे कि राम लला हम आये हैं मंदिर यही बनायेंगे तब तक उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बजट को ध्यान से पढ़ें तो यह बजट चहुमुखी विकास का बजट है, सर्वागीण विकास का बजट है। मैं माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वह इस बजट को पारित करें।

श्री मोहम्मद रिजवानुल् हक–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे ही विपक्ष के माननीय सदस्य सदन के बाहर हैं जिस कारण उनका भाषण बजट पर नहीं हो सका है। बजट पर विपक्ष के नेता का भाषण नहीं हुआ इसलिये यह जो कार्यवाही चल रही है यह परम्पराओं के खिलाफ है।

श्री उपाध्यक्ष–

बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है यदि आप चर्चा में बोलना चाहते हैं तो आप बोलें अन्यथा दूसरों को बोलने दें।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं, नेता विरोधी दल बाहर हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

स्वेच्छा से कोई माननीय सदस्य न बैठे तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, स्वेच्छा से नहीं गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

निलम्बन वापस लिया जा चुका है, उसका प्रस्ताव आया है प्रश्नकाल से पूर्व सर्वसम्मति से निलम्बन वापस लेने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसलिये माननीय सदस्यों की इच्छा है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग लें या न लें। वह बाध्य नहीं हैं।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, आज सारा प्रदेश राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मसले पर चल रहा है, बेइन्तिहा साम्प्रदायिकता फैली हुई है। मान्यवर, कोई भी प्रदेश का मुखिया हो जाय, मुख्य मंत्री हो जाय सब का हो जाता है। अगर सरकार में मुस्लिम सम्प्रदाय के कुछ मंत्री शामिल कर लिये जाते तो भाजपा के लोगों से उनके प्रति नफरत कुछ कम हो जाती। मान्यवर, यह तंग दिली का नतीजा है कि वह नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में कोई और धर्म पनपे।

श्री राम सिंह–

एजाज रिजवी साहब हैं।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, एक हजार साल का इतिहास देख लें जिन बादशाहों को लुटेरा कहा गया है उन्होंने इस हिन्दुस्तान का निर्माण किया था ।

वह सारी रात इबादत करते थे और सुबह उठ करके....

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, यह सामान्य चर्चा पर बोल रहे हैं या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं । मैं सोच रहा था कि आप सामान्य चर्चा में बोल रहे हैं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मैं व्यवस्था पर ही बोल रहा था

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था पर अनुमति तो मैंने दी नहीं है । सामान्य चर्चा में आप बोल रहे हैं इसलिये मैंने आपको अनुमति दी । व्यवस्था के लिये अनुमति नहीं दी है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

ठीक है तो बजट पर सामान्य चर्चा ही सही । मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि मुसलमान हुकमरान रात भर खुदा से दुआ करते थे कि ऐ परवरदिगार आलम मेरी रियाया खुशहाल रहे । कहीं कोई भूखा न सोये । आज इस बात की किसी को फुर्सत नहीं है । यह राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद प्रकरण न्यायालय में लम्बित है । मान्यवर, 500 साल पहले मस्जिद बनी थी और झगड़ा आज हो रहा है यह कोई अच्छी बात नहीं है । लोग आज भी अंग्रेजी हुकूमत को याद करते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छी तो अंग्रेजी हुकूमत थी । उसमें कम से कम इन्साफ तो था । मान्यवर, आज ला एण्ड आर्डर की पोजीशन इतनी खराब है जितनी कभी नहीं थी । इतनी हत्याएं हो रही हैं जिसका उदाहरण नहीं है । आप हर जिले का स्टेटमेंट मंगवा कर देख लें । कत्ल, डकैती, राहजनी, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं । बीस साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। जनपद मुरादाबाद में 9 महीने में अनगिनत हत्याएं हुई हैं । ब्लाइन्ड मर्डर्स में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पकड़ा जा रहा है । उन्हें बन्द किया जा रहा है । उनका उत्पीड़न हो रहा है । मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि मंदिर विवादित भूमि को छोड़कर बना लें, गर्भ गृह की बात खत्म कर दें । मैं भी कार सेवा में चलने के लिये तैयार हूं । डोनेशन देने के लिये तैयार हूं । कम से कम दिल में इतनी गुन्जाइश तो होनी चाहिए कि कब्रिस्तान जो मुसलमानों के लिये काबिले एहतिराम होता है । मान्यवर, मेरा एक सुझाव सरकार मान लें कि वहां पर जो कब्रिस्तान है लोहे की सलाखों से उसको महफूज कर दें । मान्यवर, जितने पदाधिकारी राम जन्म भूमि मुक्ति महा यज्ञ समिति अथवा बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी के हैं वह खुद ही बने हैं । जनता ने उन्हें नहीं बनाया है । सरकार उन्हीं को महत्व देती । मान्यवर, ऐसी व्यवस्था की जाय कि हर वर्ग के जिम्मेदार लोगों को बुला लिया जाय और बैठकर मामलों का कोई हल निकाला जाय । आज आतंकवाद का जमाना है । आतंकवाद बेइन्तिहा फैल रहा है । उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक में आतंकवाद से निपटने के लिये बहुत बड़ी धनराशि

का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, जब हम टी० वी० पर देखते हैं बिलखती हुई महिलाओं को बच्चों को तो दुख बहुत होता है । एक ही समाचार आता है कि एक ही परिवार के 20 लोग मार दिये गये । सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए वह नहीं लेती है । मान्यवर, यह चिन्ता सबसे बड़ी सरकार को होनी चाहिए । पूरी तराई में आतंकवाद फैला हुआ है । धीरे-धीरे पनपता जा रहा है । आतंकवाद से निपटने के प्रयास करने चाहिए । मान्यवर, आज हम और आप कोई भी सुरक्षित नहीं हैं । सब लोगों के सिरों पर मौत मंडरा रही है । मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं, मैं दिल का मरीज हूं मुझे बहुत सदमे लग चुके हैं, मैं काबलियत में इनसे कम नहीं हूं जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं । मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं फिजिक्स, कैमेस्ट्री और मैथमैटिक्स लेकर पढ़ा था । यह लोग बीच में टीका टिप्पणी करने लगते हैं, मेरा सुझाव यह माने या न माने [x x x] मैं तीसरी बार चुनकर आया हूं । स्व० रियासत हुसैन को 1985 में 6 हजार वोटों से हराकर मैं आया था, मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि यह टीका टिप्पणी करने लगते हैं । मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । नेता विरोधी दल ने अपना भाषण नहीं दिया है और आप आय-व्ययक पर चर्चा करा रहे हैं इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रिजवानुल हक सदन त्याग कर चले गये ।)

डा० सोमनाथ शुक्ला–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,, मैं आपके माध्यम से भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो बजट में प्राविधान किए गये हैं उनके संबंध में और जो बजट की प्रस्तुति माननीय वित्त मंत्री जी ने की है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं, लेकिन किन्हीं औपचारिक कारणों से नहीं, बल्कि में कहना चाहता हूं कि मैंने बजट का पूर्ण अध्ययन किया है उसकी बारीकी को समझा है और उसी के आधार पर सदन में निवेदन करने जा रहा हूं । 19वीं शताब्दी में सामन्तवाद था 20वीं शताब्दी के पूर्वाह्न में उपनिवेशवाद हो गया, लेकिन बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब स्वतन्त्रता मिली थी बजट औपनिवेशक-सामंती हो गया । मान्यवर, 44 वर्षों की स्वतन्त्रता के पश्चात् सामंती प्रवृत्तियां फिर उभरने लगीं । इस बजट में क्रांतिकारी मांगों को प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बजट में पृष्ठ-68 पर ऋग्वेद के एक मंत्र का उद्धरण है । ऋग्वेद की रचना कब हुई, इसकी रचना हुए शताब्दियां बीत चुकी हैं । ऋग्वेद का जो मंत्र है उसका अर्थ बता रहा हूं "हे मनुष्यों, तुम-लोग साथ-साथ चलो, एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार करो । इसके पूर्व भी एक मंत्र है जिसके आधार पर कैसे प्रजा राजा को संबोधित करता है ? उसमें है कि हे राजन जिससे कल्याण हो उसको आप राज्य में चलने देना चाहिए, जिससे राज्य का अहित होता हो उसको नहीं चलने देना चाहिए ।" उसके उत्तर में है कि " हे मनुष्यों तुम लोग साथ-साथ चलो, एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार करो, तुम लोगों के मन एक रूप हो जाएं जिस प्रकार पुरातन देवगण एक मत होकर हविर्भाग ग्रहण करते थे उसी प्रकार तुम लोग भी एक मत होकर अपना भाग स्वीकार करो ।"

इस आर्थिक चिंतन के साथ बजट का संधान किया गया है । बजट में जिन बातों का समावेश किया गया है उसको देखकर कहा जा सकता है कि यह क्रांतिकारी बजट है । गुणात्मक परिवर्तन का बजट है ।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, प्रतिपक्ष में बैठे हुये लोग भूल गये हैं । एक भ्रम उत्पन्न हो गया है । राम जन्म भूमि के प्रसंग को लेकर कहा गया, हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा हुयी है । मेरा कहना है मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा का कोई कार्य नहीं किया जाता है विरोध पक्ष का कोई सदस्य उनको बता देता तो अच्छा होता । मैं बताना चाहता हूं कि मत्स्य पुराण के 264 और 266 तथा अग्निपुराण के 60/66/67/103 अध्यायों में मूर्ति की स्थापना के बारे में व्यवस्था दी गयी है । इस संदर्भ में देव. प्रतिष्ठा ग्रन्थ हैं । मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है बल्कि मंदिर वे होते हैं जिनमें देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हुआ करती है । इन्हीं पुराणों के आधार पर विर्णय सिन्धु–धर्म-सिन्धु देखे । धर्म शास्त्र का जो इतिहास है उसको देखें । मैं निवेदन करता हूं कि डा० बामन करणे की पुस्तक धर्म शास्त्र का इतिहास के 26 वें अध्याय में यह प्रसंग है । अगर इस प्रसंग को समझे होते तो संभवतः उनसे यह भूल न होती । मैं इस बजट के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं । मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं । एक यूरोपियन कहावत है, जो गलत बजट बनाते हैं वह विपक्ष में बैठा करते हैं । यह जो बजट बनाया गया यह सही बजट बनाया गया है । जो प्रतिपक्ष मैं बैठे हैं उन्होंने निश्चित रूप से गलत बजट बनाया है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1987-88 में जो तत्कालीन जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने जो बजट बनाया है उसको उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री को समर्पित किया है । यह चाटुकारिता है । चारण वृत्ति है । लोकतांत्रिक संदर्भ में नहीं । हमने जो बजट बनाया है उसको सर्वहारा, अभाव ग्रस्त, अन्याय ग्रस्त पद दलित को समर्पित किया है । हमने इस बजट को उन लोगों को समर्पित किया है जिनको इसकी आवश्यकता है । आज आजादी मिले 44 साल हो गये हैं, खेद की बात है कि प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पायी है । मेरा निर्वाचन क्षेत्र गंगा के किनारे है, मुझे देखकर बहुत पीड़ा हुई कि आज स्वतन्त्रता के 44 साल बीत जाने के बाद भी वहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी है । मान्यवर, जल मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है । मनुष्य का विकास, सभ्यता का विकास जल के अभाव में नहीं हो सकता । मैं विश्वास करता हूं कि इस बजट द्वारा एक नये भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का संकल्प लिया गया है । इस बजट द्वारा अभाव ग्रस्त, अन्याय ग्रस्त, लोगों को निश्चित रूप से सही दिशा मिलेगी ।

मान्यवर, में कहना चाहता हूं कि एक जर्जर आर्थिक व्यवस्था हमें विरासत में मिली है । उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों की जो पर कैपिटा इन्कम है उसके आंकड़े मेरे पास हैं । यह आंकड़े पुराने हो सकते हैं लेकिन यह आंकड़े सही हैं । उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इन्कम 870 है, मध्य प्रदेश में 895 है, उड़ीसा में 918 है, आसाम में 960 है, आंध्र प्रदेश में 1006 है, जम्मू कश्मीर की 1100 है, राजस्थान की 1127 है, केरल की 1162 है, तमिलनाडु की 1165 है, कर्नाटक की 1202 है, हिमांचल प्रदेश की 1230 है, हरियाणा की 1885 है तथा पंजाब की 2250 है.। उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसका कारण यह है कि यहां 44 वर्षो में गलत बजट बनते रहे । बजट जनोन्मुखी न होकर राज्योन्मुखी होते रहे जैसे कि राज्य कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान हों । यह सौभाग्य की बात है, यह सदन का सौभाग्य है कि पहली बार लोकोन्मुखी बजट, विकासोन्मुखी ग्रामोन्मुखी बजट बना और इस बजट से निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा । मैं इसके आर्थिक तथ्यों की ओर अभी नहीं जाना चाहता लेकिन हमारे जो नेता सदन हैं उन्होंने जुलाई, 1985 में जो सदन में कहा था उसका उद्धरण देना चाहता हूं । हमारे माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी ने इसी सदन में जुलाई, 1985 में कहा था कि विकासोन्मुखी हमारा बजट हो, विकास के आंकड़ों का अंकगणित नहीं, विकास का व्यवहार गणित हो । विकास के आंकड़ों का जंगल नहीं है । जन कल्याण का मंगल है । इसी जनकल्याणकारी भावना के साथ सर्वहारा को समर्पित बजट के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक एतिहासिक आर्थिक अभिलेख के रूप में, वित्तीय इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ प्रस्तुत किया है । धन्यवाद ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जब राज्यपाल का भाषण हुआ था, उसी समय पता चल गया था कि हमारा बजट कैसा होगा । मान्यवर, उस राज्यपाल के अभिभाषण में 4 लाइने थीं "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् ।।" बजट का लक्ष्य था कि ऐसा बजट हो जिससे प्रदेश में सभी लोगों का भला हो, चाहे गांव का रहने वाल/ हो या शहर का, गरीब मजदूर हो या व्यापारी, नौकरी करने वाला हो या दलित हो । पंहले भी हमारे मुख्य मंत्री जब- जब पिछले सदन में थे, पिछले 42-44 सालों के बजट में हमारी पार्टी के नेताओं की जितनी भी प्रतिक्रियाएं थीं, उनको ध्यान में रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर, पिछले भाषणों पर हमारे नेतागण हमेशा जन कल्याण संबंधित आलोचनाएं करते थे और सोचते थे कि जब कभी समय आएगा और हमारी सरकार बनेगी, हम अपने सपनों को साकार करेंगे । पिछले 44 साल में जितने सपने हमने देखे थे, उन सबको हमने इस बजट में समाहित करने की कोशिश की है ।

मान्यवर, यह छिपा नहीं है कि जितनी भी आर्थिक योजनाएं देश और प्रदेश की रही होंगी, उन अनुचित योजनाओं, यथार्थ से दूर योजनाओं के कारण आज हमारा प्रदेश और देश पिछड़ा है । बजट ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लायमेंट ओरिएंटेड हो । हमने देखा कि पिछली सरकारों की कथनी और करनी में अंतर था । हमने देखा कि वे पश्चिम की अंधाधुंध नकल करते थे । जबकि उनकी और हमारी समस्याओं में भिन्नता है । पश्चिम देशों में मैन पावर कम है और उनकी समास्या है कि बिना आदमियों के उद्योग कैसे चलें । हमारी समस्या है कि हमारे पास मैन पावर बहुत ज्यादा है और मैन पावर को खपायें कैसे । जो मानव शक्ति हमारे पास है, उसको लेकर उद्योग बढ़ाएं, हमें यह सोचना है । पिछली सरकारों ने पश्चिम की अंधाधुंध नकल की । अब भाजपा की सरकार पहली बार आयी है । पहले अमरीका, जर्मनी और जापान की नकल होती थी, लेकिन उनकी समस्या से हमारी समस्या भिन्न है । इसलिये हमारे दल ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें प्रयास किया है कि उद्योगों का केन्द्रीयकरण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण कैसे हो ? हमने सरकारी करण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई है । इससे इम्प्लायमेंट ओरिएंटेड स्कीमें बढ़ती हैं ।

अभी थोड़े दिन पहले हमारी सरकार आने के पहले प्रदेश की स्थिति खराब थी । पिछली सरकारों की कथनी-करनी में अंतर होता था । बड़े लम्बे चौड़े भाषण दिये जाते थे और नतीजा कुछ और होता था । आज पूरे प्रदेश में हालत यह है कि हजारों की संख्या में शिलान्यास हो गया है, लेकिन भवन और विद्यालय नहीं बने हैं । चुनाव के दिनों में लम्बी चौड़ी बातें होती थीं, बड़े-बड़े शिलान्यास होते थे, सरकारें बन जाती थीं, लेकिन फिर 5 साल कुछ नहीं करती थीं, सिवा अपने दल के लोगों का भला करने के । लेकिन अब यह स्थिति नहीं है । जो भी मुद्दे बजट में आए हैं, उन्हीं पर खर्च होगा । पूरे आंकड़े दिये गये हैं । चाहे श्रम शक्ति हो या और कोई व्यय हो, सब पर समान व्यय होगा । मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी सरकार सूरज की तरह से होती है । उसकी नीतियां सूरज की रोशनी की तरह से होती है । सूरज की रोशनी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती । वह शहर, गांव, अमीर गरीब, हिन्दू, मुसलमान किसी में भेद-नहीं करती । मैं कहना चाहूंगा कि अब आप सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं देखेंगे और स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार सूरज की तरह से है । उसकी नीतियां सूरज की रोशनी की तरह से हैं जिसके कारण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता । हमने देखा है कि दूसरी सरकारें रहती थी तो पूरे प्रदेश में अंधकार का वातावरण रहता था । पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर का 800

करोड़ का बजट था । उसमें अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर, मैं बाराबंकी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूं ।

किसी कंस्टीट्एंसी में 800 करोड़ किसी कंस्टीट्एंसी में 900 करोड़ का बजट होता है, बाकी जिलों का बजट केवल दो- चार, दस लाख में रह जाता है । इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी सरकारें रही हैं, टार्च की रोशनी की तरह रही हैं । इससे प्रदेश में विषमता बढ़ी है ।

हमारी सरकार तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करती, जबकि पिछली सरकारें केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाती रही हैं । पिछली सरकारों में उन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता था, जहां मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री जी रहते थे । अब हमारी सरकार समान रूप से पूरे प्रदेश के विकास पर ध्यान देगी । मैं प्रदेश के मुसलमान भाइयों को तथा इस सदन को बताना चाहता हूं कि अयोध्या के मंदिर के विषय में विवादित कहने का अधिकार न तो कुरान देता है, न इस्लाम देता है, न मोहम्मद साहब ने कहा था । यह इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि मोहम्मद साहब के समय में मदीने में एक आलीशान मस्जिद बनाई गयी और मोहम्मद साहब को उसके उद्घाटन के लिए बुलाया गया । मोहम्मद साहब पैगम्बर थे, असलियत जानते थे और उन्होंने आदेश दिया कि यह मस्जिद गिरा दी जाय । लोगों ने मस्जिद गिरा दी और उसके बाद पूछा कि आप तो मस्जिद बनवाने का आदेश दे रहे हैं, परन्तु आज मस्जिद गिरवाने का आदेश क्यों दिया उसी समय मोहम्मद साहब ने तीन विशेष निर्देश मस्जिद के विषय में दिये थे । पहली बात यह कही थी कि यह इबादत गाह नहीं, पनाहगाह है, क्योंकि उस मस्जिद की वास्तविकता थी कि लोग दिन में पनाह लेते थे, रात में अपराध करते थे । आज पूरे हिन्दुस्तान में आधे से अधिक मस्जिद हैं, जो इबादत गाह नहीं, पनाहगाह बनकर रह गयी हैं, परन्तु इस पर कोई मुसलमान नहीं कहता कि इस्लाम धर्म का पालन होना चाहिए । दूसरी बात मोहम्मद साहब ने कही थी कि नाजायज पैसे से बनी हुई मस्जिद में पढ़ी हुई नमाज का अल्ला ताला कबूल नहीं करते । इस विषय में मैं स्पष्ट करता हूं कि जब बाबर की फौज दिल्ली से अयोध्या की ओर चली होगी, रास्ते में कत्लेआम, बलात्कार और लूट-पाट करती हुई अयोध्या पहुंची होगी, उस समय इस नाजायज पैसे से यदि मस्जिद भी बनाई गयी हो, तो वह इस्लाम, कुरान और मोहम्मद साहब के खिलाफ है और इस पर मुसलमान भाइयों को ध्यान नहीं देना चाहिए तीसरी बात मोहम्मद साहब ने कही थी कि पराई जमीन पर यदि मस्जिद बनाई गयी हो, तो उसका या तो माकूल पैसा दिया जाय या जमीन का आदमी उसे माफ कर दे । यदि ये दोनों चीजें नहीं हैं, तो इस मस्जिद को गिरा देनी चाहिए । मान्यवर, आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि इतनी बड़ी फौज अयोध्या में पहुंचने के पश्चात् क्या किसी गरीब आदमी से हाथ फैलाकार मस्जिद के लिए जमीन मांगी होगी और कहा होगा कि मस्जिद बनाने के लिए जमीन मुझे दे दो ? निश्चित है, ऐसा नहीं हुआ, न जमीन यह खरीदी गयी है और न माफ की गयी है । इसलिये भी इस मंदिर के बारे में मुसलमानों का बात करना उन्हीं के धर्म के विरुद्ध है ।

सभी मुसलमान साम्प्रदायिक नहीं है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रदेश के सबसे अधिक मुसलमान वोटर हैं, जिनकी संख्या एक लाख है और मैं 10 हजार वोट से जीता हूं, जब कि कांग्रेस से अल्प संख्यक सम्प्रदाय का ही उम्मीदवार था, उसे मात्र 8 हजार वोट मिले और जमानत जब्त हो गयी । इससे साफ जाहिर है कि मेरे प्रदेश का 90 प्रतिशत मुसलमान मंदिर-मस्जिद प्रकरण पर ध्यान ही नहीं देता है और वह जानता है कि यह कुछ मुसलमानों की नाजायज मांग है । लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में सरकार आने वाली नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत मुसलमान देश के प्रति प्यार रखते हैं,

उनकी रक्षा सरकार जरूर करेगी । लेकिन जो लोग साम्प्रदायिकता भड़काने की बात करते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जायेगी ।

मान्यवर, पहले भी कहा जा चुका है कि शिक्षा का स्तर गिरा है । आज होता क्या है कि पूरे स्कूल में एक मास्टर होता है । वह बैठा रहता है और कक्षा का एक लड़का गिनती गिनाता है और भूगोल पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है, तो शिक्षा का स्तर किस प्रकार से उठेगा । लड़कों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है और परीक्षाओं का समय जब आता है तो लड़के नकल पर निर्भर होते हैं इसी कारण नकल को प्रोत्साहन मिला है । जब स्कूलों में कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा ? हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वह वहां जाकर पढ़ेगा और अच्छा नागरिक बनेगा । जब पढ़ाई नहीं होता है, तो बच्चा नकल करके पास होने का प्रयास करता है । मान्यवर, मैं भी गांव का हूं । मैं बाराबंकी का हूं और जब अपनें गांव जाता हूं और जिस स्कूल में 44 साल पहले पढ़ता था, उस स्कूल को देखता हूं तो उसकी स्थिति ज्यों की ज्यों ही है । उस समय 60 लड़के थे और 800 लड़के हैं । उस समय भी स्कूल में दो कमरे थे और आज भी दो कमरे हैं । तो स्थिति यह है । तो किस प्रकार से शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा ? छात्रों के न बैठने की व्यवस्था है और न खेलने की व्यवस्था है, न विद्यालय का भवन है और न कोई व्यवस्था है । तो क्या इसी प्रकार से शिक्षा की उन्नति होगी ? यही शिक्षा की उन्नति का प्रतीक कहा जायेगा ।

मान्यवर, समान शिक्षा की बात कही जाती है । मान्यवर, यह किस प्रकार से हो सकता है ? जिन विद्यालयों का स्तर बढ़ा है, उन विद्यालयों की तरह ही अन्य विद्यालयों को लाया जाये । समान शिक्षा के नाम पर आन्दोलन किये जाते हैं । मान्यवर, आजादी के पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और जब यह देश आजाद हुआ तो यह सोंचा जाने लगा कि हमारा देश फिर सोने की चिड़िया हो जायेगा, लेकिन वाह रे भ्रष्टाचार, हमारे देश को उन्नति के बजाय पीछे ढकेल दिया । हमारा देश आजाद हुआ था तो केवल गरीबी के मामले में हम जब आजाद हुये थे, तो गरीबी के मामले में हमारा स्थान दुनिया में 50 वां था और उसके बाद अब 123 वां हो गया है । हमने गरीबी में उन्नति की है और किसी चीज में नहीं की है । इस तरह से राम राज्य आने वाला नहीं है । लेकिन अभी सरकार आयी है और मामला सामान्य हुआ है और सरकार के प्रयास से समग्र उन्नति होगी । मान्यवर, अब पढ़ाई के बिना कोई अशिक्षित नहीं रह जायेगा, इसीलिए 5 साल का लक्ष्य रखा गया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं 5 साल में इस प्रदेश में कोई अंगूठा लगाने वाला नहीं रह जायेगा । आज 44 साल के बाद भी सरकारी आकड़ें 56 प्रतिशत बताते हैं लेकिन 70 प्रतिशत लोग आज भी अंगूठा लगाते हैं । हम कहते हैं कि हम इक्कीसवीं शताब्दी में जा रहे हैं तो चाहे कोई अंगूठा लगाये या हस्ताक्षर करे इक्कीसवीं शताब्दी तो आनी ही आनी है । इस 44 साल में जो लोग अब भी अंगूठा लगा रहे हैं उससे हमारी सरकार को, हमारे दल के लोगों को दर्द है कि इस देश में 44 साल बाद भी लोग अंगूठा लगा रहे हैं । इसलिए इस सरकार ने 5 साल का लक्ष्य रखा है 5 साल के बाद हमारे प्रदेश में अंगूठा लगाने वाले बड़ी मुश्किल से मिलेंगे और सरकार इस लक्ष्य को 5 साल में पूरा करेगी । इसके अलावा कुछ संस्थाओं तक हम सीमित न रहकर विद्यालयों में जाते हैं और यह कहते हैं कि हर आदमी एक आदमी को शिक्षित करे । मान्यवर, हमारा दल, हमारी सरकार के लोग इसके प्रति प्रतिबद्ध है ।

मान्यवर, आज तक यह जो पूरा बजट है जिन्होंने दीनदयाल जी का साहित्य देखा होगा, दीनदयाल जी ने कहा है जिसके पैर में बिवाई नहीं जाती है वह दूसरो का दर्द नहीं समझता है । इसी तरह से जिन्होंने गरीबी नहीं देखी है वह नहीं जानते हैं कि गरीबी का दर्द क्या होता है ? मान्यवर, गरीबी की

तो इन्तिहा होती है पूर्वी जिलों में तो यह स्थिति है कि जाड़े के दिनों में लोग आलू खरीदते है और खरीदने के बाद उस आलू को उबालकर बेच देते हैं और उस उबले हुए पानी को पीते हैं उनको हफ्तों अनाज खाने को नहीं मिलता है तो क्या सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं था कि वह गरीबी को दूर करती । मान्यवर, हमने देखा है कि जब किसी के यहां दावत होती है तो यह गरीब परिवार बड़ा जश्न मनाते हैं कि कम से कम अनाज तो खाने को मिलेगा । गरीबी की इन्तिहा तो इतनी हो गयी है 100 में से 80 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कपड़ा तो खरीदा होगा लेकिन उसके फटने तक उनके पास पैसा नहीं होता है कि उस कपड़े को धोने के लिए साबुन खरीद सकें और कपड़ा फट जाता है । उसको धोने के लिए साबुन नहीं ले पाते हैं ।

मान्यवर, 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जूता नहीं पहना है, यह गरीबी की इन्तहा है, इस दर्द को भी हमारी सरकार जानती है । मान्यवर, 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहाने का साबुन नहीं लगाया होगा और हम नारा दे रहे हैं कि गरीबी हटायेंगे लेकिन पिछली सरकार की खूबियां ऐसी रही कि गरीबी बढ़ती गयी । तो हमारी सरकार ऐसे गरीबों को, जो दलित हैं, हरिजन हैं, जिनके घर में पढ़ाई का पैसा नहीं है, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देगी । आज 13-14 साल के लड़के मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज 12 साल का बच्चा दुकानों पर काम करता है, होटलों में काम करता है, मोटर साइकिल की दुकानों पर काम करता है इसका दर्द हमारे दल की ओर हमारी सरकार ने बजट रखा है उससे हम इस प्रदेश को रामराज्य की ओर ले जायेंगे । इसलिए मैं अपनी सरकार द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । यह जब बजट छपा था तो लोग पूछ रहे थे कि वास्तव में सही में टैक्स कम हुआ है, चीजें सस्ती हुई हैं, वास्तव में क्या यह सही है कि यह घाटे का बजट नहीं है ? अबकी पहली बार ऐसा हुआ है कि घाटे का बजट भी नहीं है और टैक्स घटाये गये हैं । केवल अकेले लखनऊ में सिनेमा हाल वही हैं दर्शक वही हैं लेकिन मनोरंजन कर डेढ़ गुना हो गया है । इस तरह से हमारी सरकार भ्रष्टाचार दूर करने में लगी है । अब घाटे का बजट और करों का बोझ लादने की जरूरत नहीं पड़ेगी । इसी के साथ में वित्त मंत्री जी के भाषण का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इससे राम राज्य आयेगा ।

श्री बिजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, लगभग 9 माह पूर्व राम राज्य की कल्पना लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आयी । कैसा था राम राज्य

दैहिक दैविक भौतिक तापा,

राम राज्य काहू नहिं व्यापा ।

इस भावना से ओत-प्रोत होकर सरकार सत्तारूढ़ हुई । माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है वह रामराज्य की परिकल्पना के आधार पर है । गांव, गरीबी और किसान, झोपड़ी का इन्सान, महिलाओं का सम्मान, दलित शोषित और दुखियों का कल्याण के लिए बनाया गया यह बजट वास्तव में स्वागत योग्य है । इसका स्वागत होना चाहिए । भारतवर्ष गांवों में निवास करने वाले लोगों का देश है, बहुसंख्यक जनता ग्रामों में रहती है, गांव उठेगा, देश उठेगा, इस प्रकार की मान्यता थी, उसी के अनुरूप इस बजट का निर्माण हुआ है । विद्युत के क्षेत्र में अब तक अनेक योजनायें बनी हैं लेकिन वास्तव में पिछली बार जो विद्युत की समस्या प्रदेश में रही, वे योजनायें बड़ी-बड़ी योजनायें इस समय फेल होने के कगार पर आ गयी हैं । कैपटिव माइक्रो प्लाण्ट के द्वारा जो फ्रांस की नयी तकनीक है, उसके द्वारा छोटे-

छोटे प्लाण्ट नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, जहां पानी प्रवाहित होता है, इस प्रकार के प्लाण्ट लगाये सकते हैं और उनके द्वारा जो बिजली की लागत आयेगी, वह 60 पैसे प्रति यूनिट आयेगी, गांव और किसान के लिए 24 घण्टे बिजली की उपलब्धता रहेगी । इस बजट में मैं समझता हूं कि इस प्रकार की योजनाओं पर ध्यान दिया जायेग्रा ।

सिंचाई के क्षेत्र में इस बार किसानों के लिए नलकूप लगाने की योजना है । एक सरकारी नलकूप पर लगभग 10 लाख रु० का खर्चा आता है । शासन की मंशा है कि अधिक भूमि का सिंचन हो और लेागों को लाभ हो । उसके लिए एक तो सरकारी ट्यूबवेल की अपेक्षा प्राइवेट ट्यूबवेल 20 हजार रु० में तैयार हो जाता है । इस तरह एक सरकारी नलकूप के बदले में 50 नलकूप लग सकते हैं । उनकी कमाण्ड निश्चित की जाय । जैसी बजट में व्यवस्था है कि किसानों की भागीदारी नलकूपों में की जायेगी लेकिन जब एक ट्यूबवेल पर 10 लाख रु० खर्च होगा, उसी में किसानों के 50 ट्यूबवेल लगवा दिये जायें और पैसा बिना ब्याज के 10 वर्ष में वसूल किया जाय तो जो एक सरकारी ट्यूबवेल सिंचाई करता है, उससे कई गुनी अधिक सिंचाई होगी । तथा सरकार का जो रख-रखाव औरउसकी व्यवस्था पर पैसा खर्च होता है, फिर भी अधिकतर ट्यूबवेल बन्द रहते हैं, उस समस्या से भी निजात मिलेगी । मान्यवर, कृषि के लिए, किसान के लिए इस बजट में बड़ी सुविधायें दी गयीं हैं । जो किसान गांव से आकर तहसील आदि में मारे-मारे घूमते थे, किसान सेवा केन्द्र हर न्याय पंचायत क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके द्वारा जो किसानों की स्थानीय समस्यायें हैं, जिला स्तर की समस्यायें हैं उनका समाधान ग्राम के स्तर पर हो जायेगा वह किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

मान्यवर, कृषि एवं पशु यह गांव के आधार हैं जिन योजनाओं का प्राविधान इस बजट में किया गया है यह किसान और गांव के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही फलदायी योजना है इस तरह के प्राविधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजट में पहली बार किये गये हैं । दीन दयाल डेरी योजना, कुटीर उद्योगों से संबंधित योजना स्थानीय जो उत्पादन हैं, यह कुटीर उद्योग वहां के स्थानीय जो उत्पादन हैं उसके आधार पर लगाना इससे निश्चित रूप से गांवों का विकास होगा । अनेक चीजें जैसे अलीगढ़ का ताला उद्योग है, जलेसर का घुंघरू उद्योग है, इसी तरह से मथुरा जनपद के अन्दर जो लाखों लाख लोग लोहे-गिलट की पायल व घुंघरू बनाने के गृह उद्योग से जुड़े हैं उसमें सारा काम हाथ से होता है अतः कुटीर उद्योग के रूप में इसे योजना का इसमें समावेश किया जायेगा इससे एक तहसील के लोगों का ही नहीं बल्कि लाखों लोगों का बहुता बड़ा कल्याण होगा । मान्यवर, प्रदेश के अन्दर शिक्षा की जो दुर्दशा अनेक वर्षो से हुई है वह किसी से छिपी नहीं है । अनेक जूनियर हाई स्कूल इण्टरमीडिएट कालेज ऐसे हैं, जिनमें 10 साल से कोई क्लास नहीं लगती, अध्यापक ट्यूशन करते हैं । इस बार परीक्षाओं में नकल रोकने का जो प्रयास किया गया है वह एक सराहनीय कार्य है । इसी के साथ-साथ विद्यार्थियों को पढ़ाने की सुव्यवस्था भी हो, आगे के समय में नकल को रोकने की जो व्यवस्था की गयी है उसको प्रभावी बनाने के साथ-साथ उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी, ऐसा विश्वास है । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि देश के अन्दर मुस्लिम शासक प्रजा के लिए दुआऐं किया करते थे । शायद उन्हें ज्ञान नहीं है वह दुआयें किया करते थे मीना बाजार लगवाने के लिए जहां से हिन्दू ललनाओं को उठाकर के उनके चरित्र के साथ खिलवाड़ किया करते थे । वह दुआयें किया करते थे कि इस देश के बच्चों को दीवालों से चुनवाने के लिए, वे दुआयें किया करते थे लोगों को गर्म कड़ाहों में डलवाके मारने के लिए यह माननीय सदस्य को शायद स्मरण नहीं होगा कि उनकी दुआयें इस देश को सभी प्रकार से बर्बाद करने के लिए हुआ करती थीं । मान्यवर, आज राम मंदिर, राम जन्म भूमि का जो मसला है प्रदेश की जनता और देश की जनता यह चाह रही है कि इसका

निर्माण हो । लेकिन कुर्सी के भूखे भेड़िये जिनकी राजनीति केवल जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाकर करने की है ऐसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं । जनता में इसका कोई विरोध नहीं है । राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रतिबद्धता थी और आज उसी के अनुरूप यह कार्य हो रहा है । यह लोग जो सदन में हुल्लड़ करते हैं जनता के बीच में जाकर उनकी हिम्मत नहीं है कि इस राम जन्म भूमि का और राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर सकें । आज जो हमारा बजट आया है वह वास्तव में गांव और गरीब किसानों के उत्थान का बजट है, मजदूर, व्यापारी और श्रमिकों के उत्थान का बजट है इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जिसमें विकास की प्रक्रिया सम्मिलित न हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं ।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, ऐसी आर्थिक विपन्न परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कर रहित बजट पेश किया है यह न केवल ऐतिहासिक है बल्कि इस बजट को क्रान्तिकारी भी कहा जा सकता है । मान्यवर, जहां पूरे प्रदेश की जनता आशंकित थी कि न जाने ऐसी विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार कितने करों से उसे लादेगी लेकिन बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को और माननीय वित्त मंत्री जी को जिन्होंने न केवल जनोपयोगी वस्तुओं को पूरी तरह से मुक्त किया अपितु मान्यवर, गरीब किसान और झोपड़ी के इन्सान के अन्दर नयी आस्था का संचार किया । मान्यवर, अनेक ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुओं से जैसे दवाइयां, खाद्य वस्तुयें और महिलाओं के काम में आने वाली वस्तुएं ऐसी तमाम वस्तुओं से कर जिस तरह से हटाया गया और जिस तरीके से इस प्रदेश के अन्दर कर रहित बजट पेश करके इस प्रदेश की जनता को राहत दी गयी, मान्यवर,, मैं समझता हूं कि इस बजट से पूरे प्रदेश के बीच जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की छबि मजबूत हुई है उससे सम्पूर्ण विपक्ष में बौखलाहट पैदा हो गयी है । मान्यवर, महिलाओं को तमाम रोजगार देने की योजना, पत्रकारों को पेंशन और उनके उत्तराधिकारी को एक लाख बीस हजार रुपये की योजना और पचास लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की योजनायें हैं, जो इस सरकार ने शुरू की हैं, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, जिस तरह से उत्तरांचल प्रदेश बनाने की प्रतिबद्धता इस सरकार ने जाहिर किया है, मान्यवर, 44 सालों की आजादी के बाद से आज तक किसी ने उसके विकास के लिए इस प्रकार का कार्य नहीं किया है ।

जो भावनायें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरांचल की जनता के प्रति दिखायी हैं, जो उन्होंने उत्तरांचल की जनता की छटपटाहट को समझा है उनकी भावनाओं को समझा है, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती प्रदान की है । आज जो उत्तरांचल की जनता ने उन्हें जनादेश दिया है उसी के अनुरूप प्रथम सत्र में न केवल उत्तरांचल का प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजा बल्कि 405 करोड़ रुपये का प्राविधान अनेक योजनाओं के लिए कर रखा है मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र में तमाम ऐसे छोटे-छोटे गांव हैं, जहां आज भी न तो यातायात की सुविधा है, न कोई सड़कें हैं और न कोई स्कूल है, न चिकित्सालय है और पेयजल की तो यह स्थिति है कि बड़ी दूर-दूर से महिलायें पानी लेकर आती हैं, इन्हीं लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को राजनीतिक रंग देकर इनसे पहले खिलवाड़ किया जाता रहा है । मान्यवर, आप जानते हैं कि उत्तरांचल क्षेत्र की जनता ने इस देश की एकता और अखण्डता के लिए दोनों पंक्तियों में लड़ाई लड़ी है । एक ओर जहां उसके युवा ने धरती मां के बेटे ने अपने प्राणों को हथेली पर रखकर देश की एकता अखण्डता के लिए लड़ाई लड़ी है, वहीं दूसरी ओर वहां की महिलाओं ने जो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और रात 12 बजे तक काम करते हुए हिमालय को बचाया है, ऐसी स्थिति में

भी महिला विकास की पिछले समय में कोई योजनार्थ नहीं बनीं । मान्यवर, वर्तमान सरकार ने उनकी इसी पीड़ा को महसूस किया है और अनेक प्रकार की योजनाओं का इस बजट में प्राविधान किया है ।

मान्यवर, जोशीमठ में शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्र, पिथौरागढ़, गोचर में हवाई पट्टी का निर्माण, पौड़ी में पर्यटन केन्द्र की स्थापना आदि अनेक नई योजनाओं को इस बजट में रखा गया है, मैं इसके लिए उत्तरांचल की जनता की ओर से इस सरकार को बधाई देता हूं । मान्यवर, हमको बड़ा कष्ट है कि जब उत्तरांचल के विकास के लिए तड़प रही जनता, जिसने देश की एकता व अखण्डता के लिए तमाम काम किया है, इस भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भावनाओं को देखते हुए पृथक उत्तरांचल राज्य की स्थापना के लिए अपना एक प्रस्ताव केन्द्र में भेजा और जब केन्द्र सरकार इस पर गम्भीरता से विचार भी कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी का कहना कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण है । मान्यवर, हम सब इस वक्तव्य से विक्षुब्ध हैं । मैं तो सोचता हूं कि इस देश की एकता और अखण्डता की यदि कोई कल्पना करनी है, तो संविधान के अनुसार उत्तरांचल क्षेत्र के विकास के लिए, प्रगति के लिए उसे पृथक प्रदेश के रूप में दर्जा दिया ही जाना चाहिए । मान्यवर, मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जिसने वहां की जन भावनाओं के अनुरूप श्री राम जन्म भूमि पर श्री राम मंदिर के निर्माण की कल्पना की है और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है । मान्यवर, किसी भी यज्ञ की पूर्ति में पूर्णाहुति जरूरी होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन कहा कि यदि श्री राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपनी पूर्णाहुति भी देनी पड़ी, तो सरकार इसमें तनिक भी संकोच नहीं करेगी, यह पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है । लेकिन मान्यवर, जो लोग देश की एकता और अखण्डता की बात करते हैं, उन्हें अपने अन्दर थोड़ा सा विचार करना चाहिए, वहीं लोग अपनी कथनी और करनी में अन्तर करते हैं, वहीं जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद की भावनाओं को फैला रहे हैं और देश को कहीं न कहीं खण्डित करने का यत्न कर रहे हैं । हम तो कहते हैं कि–

"कथनी करनी एक ही होती, काश पूर्ण यदि तुम होते ।
सभी प्रेरणा लेते तुमसे, हृदय हजारों न रोते ।।"

मान्यवर, हम लोग तो इस देश की एकता और अखण्डता के लिए पूर्णाहुति तक देने को तैयार हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति के अनुनायक और परिचायक हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि–

"सैकड़ों मस्तक चढ़े मां, मैं भी उनमें एक हूं ।
चाहता हूं वन्दनीय मां क्षण व कण प्रत्येक दूं ।।"

मान्यवर, हम लोग केवल देश की एकता व अखण्डता की बात ही नहीं करते, बल्कि उसकी पूजा करते हैं और कभी भी देश को खण्डित करने की कल्पना तक नहीं करते । अभी एक माननीय सदस्य ने एक बात कही । मुझे बहुत कष्ट हुआ है । बाबर एक आक्रान्ता के रूप में यहां आया और यहां आकर उसने हमारी मां बहिनों की अस्मिता लूटने के लिए मीना बाजार जैसी चीजों का निर्माण कराया । परन्तु आज विरोध पक्ष के माननीय सदस्य जिस तरह से उस आक्रान्ता और देशद्रोही की वकालत करते हैं, मेरी समझ में ऐसे लोग देशभक्त हो ही नहीं सकते । हमारे यहां तैंतीस करोड़ देवता हैं, कोई राम को मानता है, कोई श्याम को मानता है तो कोई भगवान को मानता है । कोई आस्तिक हैं तो कोई नास्तिक है । मगर वे सब हिन्दू हैं । हमारा विशाल दर्शन है । हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं । मंदिर का निर्माण हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है, राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय संस्कृति है और राष्ट्रीय

जनविश्वास है । इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं । जो लोग विदेशी आक्रान्ता की यहां पर वकालत कर रहे हैं, उन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी । हमारी सरकार देश की एकता व विकास के लिए समर्पित व संकल्पबद्ध है । इस प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकार ने बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता को राहत दी है । हमारे सामने आज कई चुनौतियां हैं । इसलिए मैं दो पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं –

"हर कदम पर, हर चुनौती का सामना डटकर करेंगे,
राष्ट्रहित ही हम जिये हैं, राष्ट्रहित ही हम मरेंगे ।"

श्री सुभाष चन्द्र पटेल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक बजट यहां पर प्रस्तुत किया है, ऐसा बजट आपको इतिहास में कभी नहीं मिलेगा । हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और लगभग 20 प्रतिशत जनता शहरों में रहती है । परन्तु आजादी के बाद से आज तक जो भी बजट बना, वह शहर की आबादी को देखकर बना । बजट का ज्यादा पैसा शहरों पर खर्च किया गया । परन्तु पहली बार इस बजट में बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा गांवों के विकास के लिए रखा गया है । 44 सालों से गांवों के गरीब किसानों व मजदूरों को जो न्याय नहीं मिल पाया, उनका जो उत्थान नहीं हो पाया, वह अब इस बजट के द्वारा उन्हें मिलेगा । अंग्रेज तो चले गये, क्योंकि वे अपने नहीं थे, परन्तु जो गैर नहीं थे, जो अपने थे, परन्तु यह दुर्भाग्य है कि अपनों के द्वारा ही उनका शोषण हो गया । "दिल के फफोले जल उठे, सीने की दाग से, इस घर को आग लग गयी, घर के चिराग से ।" हमारे गांव के जो मजदूर थे, जो किसान थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था । परन्तु गांधी जी के सपनों का भारत और पं० दीन दयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत हमारे मन में है । वह कहते थे कि जब गांव का किसान जागेगा तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और वह शहर की ओर जायेगा । ज्यादा माल खरीदेगा, तब दुकानदार को ज्यादा आय होगी । उसके बाद वह दुकानदार फैक्ट्री व कम्पनी से ज्यादा माल मंगायेगा, जब वह ज्यादा माल मंगायेगा तो हमारे नवयुवकों के जो हाथ खाली पड़े हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा । बेरोजगारी भी दूर होगी और इस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश का सामाजिक उत्थान होगा । जब गांव सम्पन्न होंगे वास्तव में तभी देश भी सम्पन्न होगा । इस बार के बजट ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम चाहते हैं कि जो गांव का दुखी और दरिद्र व्यक्ति है उसका उत्थान हो । गांधी जी के स्वपनों का भारत, दीन दयाल जी के स्वप्नों का भारत साकार हो सके । हमने ऐसे समय में सत्ता संभाली है जब हमारे ऊपर अथाह आर्थिक बोझ था, एक ढेर के रूप में हमें मलवा मिला और उसे साफ करके नया भवन निर्माण करना है । पिछली जो भी सरकारें रहीं उनकी करनी और कथनी में अंतर था उनकी नीति अच्छी नहीं थी और उनकी नियत भी अच्छी नहीं थी । जब नियत अच्छी नहीं होती है तो नीति भी अच्छी नहीं बनती है । हमारी नियत अच्छी है इसलिये नीति भी अच्छी बनाई है ।

हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया रहा था लेकिन आज दुर्भाग्य है कि गांव का किसान कर्जे से लदा है । कर्जा लेने के लिये वह या तो अपनी पत्नी के जेवर बेचता है या फिर अपनी जमीन को बेचता है। अपने इस कर्ज के अदा करने के लिये परेशान है क्योंकि किसान एड़ी से लेकर चोटी तक कर्ज में डूबा हुआ है । हमने एक ऐतिहासिक कार्य किया है पिछली बार गन्ना का 66 करोड़ रुपया अदा किया है केन्द्र सरकार ने खाद के मूल्य बढ़ा दिये हमने उसके लिये राब्सीड़ी दी । हमारा किसान स्वाभिमानी रहा है वह अपने खलिहान और आंगन में बैठ कर बड़ी-बड़ी बातें करता है । लेकिन अफसोस है कि पिछली सरकारों ने उसके लिये कुछ नहीं किया । किसान जब रात में अपने पैर की विवाई देखता है और उसे

याद आती है कि वह कर्जे से सिर से लेकर एड़ी तक कर्जे में डूबा है । "कुछ लोग जमाने-जमाने में ऐसे भी हुआ करते हैं । महफिल में जो हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं ।" हमारी सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये इस बजट में प्राविधान किया है । मैं पूर्णरूप से माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आजादी के 44 साल के बाद किसानों की समस्याओं को पूर्णरूप से समझा है और उनके लिये प्राविधान किया है निकट भविष्य में निश्चित ही जो 60 प्रतिशत बजट का धन गांवों के लिये जायेगा उससे वहां का विकास होगा, गांवों में स्कूल बनाने के लिये वह रुपया जायेगा वहां सड़कें भी बनेंगी, अस्पताल भी बनेंगे जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी ।

एक दूसरी और महत्वपूर्ण बात है राम मंदिर के बारे में यह दुर्भाग्य रहा है कि कुछ लोग आपस में लड़ाया करते थे हिन्दू मुसलमान से सिख इसाई से, यादव को कुर्मी से, अहीर को ठाकुर से और यहां तक कि भाई को भाई से लड़ा कर अपनी राजनीति किया करते थे जिसका परिणाम है कि देश और प्रदेश की यह स्थिति है । भगवान राम मंदिर अयोध्या में बनना हमारी अस्मिता का प्रतीक है । हमारा देश विदेशों में भी भगवान राम के नाम से जाना जाता है इसलिये वहां राम मंदिर बनना ही चाहिये । लेकिन कुछ राजनीतिक पेशेवरों ने अपनी कुर्सी के लिये न देश को देखा, न समाज को देखा और न अयोध्या में राम मंदिर को देखा अपनी कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे वह गोटें बैठाते रहे और लोगों को आपस में लड़ाते रहे । हमारे यहां राष्ट्र भक्त मुसलमान भी रहे हैं । राम के साथ रहीम और रसखान भी रहे हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं बरेली में चुन्नी मियां का जिन्होंने वहां लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाया था । मान्यवर, हमारे इस हिन्दुस्तान के मुसलमान बन्धुओं के दिल में भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतनी नफरत भर दी है । आज मात्र 8-9 महीने की सरकार में जब इन्होंने हमें परखा तो उन्हें एहसास हो रहा है कि हम उनके लिये क्या करने जा रहे हैं ? मान्यवर, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां मुसलमान भी रहते हैं, वहां वेद है, गरुणवेद है । एयर वेज (हवाई पट्टी) वहां के लोगों के नाम सुख श्री सुहातो है । वहां होली भी मनाई जाती है, वहां दीवाली भी मनाई जाती है । मान्यवर, हमारे देश के विदेश मंत्री एक बार वहां गये । उनके सम्मान में वहां एक नाटक का आयोजन किया गया जिसमे राजकुमार लोग चारों ओर बैठे थे बीच में एक धनुष-बाण रखा था जो किसी से नहीं उठ रहा था । एक राजकुमार आता है उसे उठाता है और उसके खण्ड-खण्ड हो जाते हैं । तभी एक सुन्दर सी राजकुमारी आती है और राजकुमार के गले में सुन्दर सी माला डाल दी । अपने यहां के विदेश मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री से पूछा कि यह तो हमारे यहां राम लीला में दिखाया जाता है । उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं हम लोगों ने धर्म बदल लिया है परन्तु अपने पुरखे नहीं बदले । वहां के मुसलमान लोग राम को अपना पुरखा मानते हैं । दूसरे दिन जब विदेश मंत्री वहां घूमने जाते हैं तो वहां पर एक दुकान में उन्हें राम जी का एक भव्य चित्र टंगा दिखाई दिया । उन्होंने पूछा कि यह चित्र कितने का है । दुकानदार ने कहा आप हिन्दुस्तान से आये हैं । वहां राम का चित्र बिकता होगा, इंडोनेशिया में नहीं बिकता है और उन्होंने वह चित्र पैक करके उन्हें मुफ्त में दे दिया । एक तरफ तो यह मनोवृत्ति है और दूसरी तरफ हमारे देश की मनोवृत्ति हैं । अगर पुराने इतिहास में जायं तो पता चलेगा कि भगवान राम हमारे ही नहीं बल्कि मुसलमानों के भी पुरखे हैं । जब उनके भी पुरखे हैं तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए । उन्हें पूर्ण सहयोग देना चाहिए । मान्यवर, हमारी मान्यता रही है, हमारी सोच रही है हम उत्थान करना चाहते हैं कि गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इन्सान, महिलाओं का सम्मान, दलित निर्बल का उत्थान, नौजवानों को काम, अयोध्या में जै श्री राम । आज विभिन्न दलों के नेता व माननीय सदस्यगण नहीं हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि इस बहती हुई गंगा में डुबकी लगाकर बहुत पाप कर लिये अब कुछ तो पुण्य कमा लें ।

राम नाम की लूट है, तो लूट सके तो लूट

अंत काल पछतायेगा, प्राण जायेंगे छूट ।

श्री नवल किशोर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को उनके द्वारा पेश किये गये सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने वाले बजट के लिये धन्यवाद देता हूं । जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 42 वर्षों की गलत नीतियों, गलत व अदूरदर्शी नियोजन, गलत प्राथमिकताओं, गलत क्रियान्वयन के कारण यह प्रदेश पिछड़ता जा रहा है । 1989-90 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय से 27.8 कम थी । 1983-84 में गरीबी की रेखा से नीचे 45.3 प्रतिशत व्यक्ति थे । आठवीं योजना के प्रारम्भ में जो प्रारम्भ होने वाली है वह 41 प्रतिशत हैं । माननीय वित्त मंत्री जी ने जो आठवीं योजना के बारे में बताया है, जब यह समाप्त होगी तो गरीबी की रेखा से नीचे 24.3 प्रतिशत व्यक्ति रह जायेंगे । जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है कि 28,000 करोड़ की आठवीं योजना होगी । इसके विकास की दर 6 प्रतिशत होगी जैसा बजट भाषण में इन्होंने कहा है कि 60 प्रतिशत गांव के विकास पर खर्च किया जायेगा । मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं विकास का रथ गांव की ओर मोड़ा है । श्रीमन् प्रातः स्मरणीय मनीषी दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजना चलाई गई है । इनका ध्येय समाज की सीढ़ी के अन्तिम सोपान पर खड़े व्यक्ति का उदय करना है । उनके आरध्य देव हैं वह दरिद्र नारायन हैं जो गरीबों में सर्वाधिक गरीब हैं । गरीबों का उत्थान करने के लिये सबसे पहले गरीब इंसान को उठायेंगे तो समाज ऊपर उठेगा और समाज उठेगा तो देश उठेगा । दीन दयाल विकास योजना के अन्तर्गत करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे । बहुत सी ऐसी योजनायें लागू की गई हैं जिससे गांव के नवयुवकों का विकास होगा ।

एकीकृत ग्राम योजना में 1993.63 लाख मानव दिवस का सृजन किया जावेगा और 536.90 करोड़ की व्यवस्था की गई है । निजी क्षेत्रों में विद्युत परियोजना को देने की बात भी बजट में कही गई हैं क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों को देखें तीस उपक्रमों में 44.60 करोड़ का लाभ है और 29 उपक्रमों में हानि 410.32 करोड़ है शुद्ध हानि 365.72 करोड़ की रही है । निजी क्षेत्रों में विद्युत को प्रोत्साहन देंगे यह माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है । बिक्रीकर के बारे में कहना चाहूंगा बिक्रीकर में अनेक मदों में छूट दी गई है जैसे आटा सूजी उद्योग में 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी । उत्पादित माल पर 4 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत, खाद्य तेल पर 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत, मंडी शुल्क 2 प्रतिशत की छूट दी गई है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, जैसा कि आप जानते हैं पिछली सरकार ने जो मंडी शुल्क लगाया । प्रतिशत की व्यवस्था थी उसको दो प्रतिशत कर दिया गया है तथा इसको मल्टी प्वाइन्ट कर दिया गया है । यदि एक ही माल 3 बार बिकता है तो उस पर 6% मण्डी शुल्क लगेगा । माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि मल्टीप्वाइन्ट किया गया है इसको सिंगल प्वाइन्ट करने पर पुनर्विचार करें । मान्यवर, जैसा बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 31 दिसम्बर, 1991 तक विद्युत की उत्पादन 21.513 मिलियन यूनिट थी । जो गत वर्ष से 9.1 प्रति मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन अधिक हुआ है ।

मान्यवर, ट्रांसफारमर के बारे में कहना चाहूंगा 23,424 ट्रांसफार्मर बदले गये हैं जो एक कीर्तिमान 31 जनवरी, 1992 तक 19339 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया गया । जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 11,000 का ऊर्जीकरण हुआ इसको देखने से ज्ञात होता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ कितना ध्यान दे रही है । मान्यवर, 1992-93 मे 338.26 करोड़ से 1,380 किलोमीटर पक्के मार्ग, 1,150

किलोमीटर मार्गों का सुधार किया जा रहा है और 64 सेतुओं का निर्माण कराया जा रहा है । मान्यवर, तीन फरवरी को माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने एक प्रेस कान्फ्रेन्स में देहरादून में कहा था कि जितने लोक निर्माण के कार्य होंगे उसका 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को दिया गया जायेगा । यह जो पैसा रखा गया है यह 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय किया जायेगा । मैं बताना चाहता हूं कि 87 मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही सम्पर्क मार्ग हैं जिनके कारण ऐसे गांव हैं जो अभी तक सड़कों से नहीं जुड़े हैं जिससे वहां पर किसानों को माल लाने व ले जाने तथा कृषि उपज को लाने ले जाने में बहुत ही कठिनाई होती है । इसलिए मेरा विश्वास है कि चूंकि 60 फीसदी धन ग्रामीण विकास पर दिया गया है इसलिए उन सड़कों तथा सम्पर्क मार्गो का निर्माण होगा । मान्यवर, बजट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों में इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे । मुझे विश्वास है कि इससे नन्हें मुन्ने बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनको जो पीने के पानी की समस्या है वह समाप्त होगी ।

मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भयमुक्त समाज की कल्पना की थी । मुझे मालूम है, मैं नोयडा-गाजियाबाद के पास रहता हूं इसलिए मैं जानता हूं कि वहां जितने कल कारखाने वाले थे उनको मासिक चौथ देना पड़ता था दादाओं माफिया गिरोह को । कोई 30 हजार, कोई 40 हजार, कोई 50 हजार महीना देता था, उनसे चौथ वसूल की जाती थी । हमारी सरकार के भयमुक्त समाज की रचना के कारण उद्यमियों में सुरक्षा की भावना पनपी है । यही कारण है कि केन्द्र सरकार के पास उद्योगों के रजिस्ट्रेशन के जितने भी प्रस्ताव आये हैं उनमें से 18 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के लिए आये हैं । इससे साफ जाहिर है कि उद्यमियों में विश्वास जागृत हुआ है उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए । मान्यवर, 1992-93 में औद्योगिक क्षेत्र में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है । लघु उद्योग क्षेत्र में 3 हजार तथा 30 हजार लघुत्तर एवं दस्तकारी व छोटी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, बजट में चिकित्साधिकारियों के रिक्त स्थानों को 3 माह में भरने की बात कही गयी है । ग्रामीण अंचलों में न जाने कितने ऐसे चिकित्सालय हैं जहां आज भी डाक्टर न होने के कारण ग्रामवासियों को जो चिकित्सा का लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है । आगामी 3 महीनों में सभी चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति जहां वह नहीं हैं, वहां जाकर कर दी जायेगी । इसके साथ ही साथ होम्योपैथिक चिकित्सालय शहरी क्षेत्रों में 5 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 40 खोले जा रहे हैं । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 50 चिकित्सालयों को खोले जाने की माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है जिसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं । मान्यवर, जैसा कि बजट भाषण में कहा गया है 1991-92 में दाखिल खारिज में 1 लाख 60 हजार मामले सुलझाये गये हैं । निर्विवादित उत्तराधिकार के 8 लाख मामले सुलझाये गये हैं । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं । उन्होंने एक नयी योजना का श्रीगणेश किया है जिसके अनुसार रेवेन्यू रिकार्ड को कंम्यूटर में रखा जायेगा । इससे ग्रामवासियों को लेखपाल तथा अन्य ऐसे अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा और जो रिकार्ड की आवश्यकता उनको होगी वह खसरा, खतौनी आदि आसानी से प्राप्त हो सकेंगे ।

मान्यवर, लाइसेंस देने की नीति के बारे में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है जिसके संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । लाइसेंस पहले जो दिये गये थे उनमें से बहुत से ऐसे लोगों को पार्टीबंदी के आधार पर लाइसेंस दे दिये गये जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पुराने लाइसेंस हैं उनका पुनरीक्षण किया जाय और शान्तिप्रिय नागरिकों को लाइसेंस देने में उदारता बरती जाय । नयी सरकार जनता के द्वारा यह जो सरकार ने कार्यक्रम बनाया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । जनपद बुलन्दशहर में प्रत्येक बृहस्पतिवार को हर न्याय पंचायत पर किसान

सेवा केन्द्र का आयोजन होता है जिसमें न्याय पंचायत से संबंधित व्यक्तियों के मामलों को सुलझाया जाता है । हर बृहस्पतिवार को, जो बड़े अधिकारी हैं वह भी कभी-कभी ऐसे किसान सेवा केन्द्र पर जाते हैं और जिला स्तर के मामलों को सुलझाया जाता है इससे एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है और गांव के लोग समझने लगे हैं कि वास्तव में सरकार जनता के द्वार पर आ गयी है । इस तरह से न जाने कब से जो मामले लम्बित थे उनको सुलझाया जाता है । मान्यवर, मैं कुछ क्षेत्रीय समस्याओं की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारा अनूपशहर छोटी काशी के नाम से विख्यात है । वहां से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर अवन्तिका देवी का मंदिर है । जहां से भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था । उससे मात्र 6 किलोमीटर पर वह स्थान है जहां पर कर्ण दान करता था । विज्ञान की उन्नति के कारण कालान्तर में ये छोटी काशी के नाम से विख्यात नगर पिछड़ता चला गया । यह नगर जनपद मुरादाबाद, बदायूं तथा बुलन्दशहर के संगम पर स्थित है । वहां पर एक सेतु, पुल की आवश्यकता है । इस समय वहां पर पैन्टून ब्रिज बनता है जो मात्र 6-7 माह चलता है । जो 64 सेतु निर्माण का प्राविधान बजट में किया गया है, मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि उस 64 में से एक अनूपशहर में गंगा नदी पर पक्के पुल का निर्माण करने का अवश्य प्राविधान करेंगे । जिससे इन तीनों जनपदों के किसानों को लाभ होगा । जैसा कि मैंने बताया अनूपशहर में अवन्तिका देवी का एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, वहां पर गंगा की धारा उस मंदिर में हर साल कटान करती है । अभी सिंचाई राज्य मंत्री जी जनपद बुलन्दशहर गये थे, मैंने उनसे भी निवेदन किया था । उन्होंने बताया कि आदेश दे दिये गये हैं । मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर की रक्षा के लिए युद्ध स्तर पर काम करें जिससे कि आगामी बाढ़ में उस मंदिर की रक्षा हो सके । मान्यवर, सांसनी में नीम नदी पर एक छोटा सा पुल बना है, मात्र साढ़े सत्ताइस स्पैन का पुल है, 10 साल हो गया उस पर पथकर वसूला जा रहा है । यह पुल चूंकि मुख्य मार्ग पर नहीं है, इसलिए वहां पर भारी वाहन नहीं जाते । इस पुल पर पथकर मात्र बुग्गी, ट्रैक्टर ट्राली या ऐसी छोटी गाड़ियां देती हैं । इससे वहां के किसानों को बहुत परेशानी है । मेरा अनुरोध है कि उस पुल से पथकर तत्काल समाप्त किया जाय, क्योंकि वह एक छोटा सा पुल है और पथकर किसानों को ही देना पड़ता है ।

इसी प्रकार जहांगीराबाद में एक कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाय । अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रत्येक बिन्दु को इस तरह से छुआ है जिससे लगता है कि उनका उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने का विचार है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री गिरीश नारायण पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस 1992-93 के आय-व्ययक पर विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जब बजट आने वाला था तो जन मानस में एक भावना व्याप्त थी कि पता नहीं कितने कर लगाये जायेंगे, इन विषम परिस्थितियों में क्या होगा, कितनी महंगाई बढ़ेगी । लेकिन मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप है और जनता को इसे देख कर प्रसन्नता हुई है । मान्यवर, यह बजट स्वामी विवेकानन्द जी के आदर्शों से अनुप्राणित है, उनके उद्देश्यों का इसमें समावेश है । पूज्य महात्मा गांधी के राम राज्य की कल्पना लेकर यह बजट आया है और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के विचारों से यह प्रेरित है । स्वामी विवेकानन्द जी ने आज से काफी दिन पहले कहा था कि अब वह समय आ गया है कि इस देश को सब कुछ भूलकर केवल एक काम करना चाहिए

और वह है दरिद्र नारायण की पूजा । मान्यवर, यह दरिद्र नारायण क्या है ? देश की जनता में गरीब व्यक्ति हैं । वही दरिद्र नारायण हैं । पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने सम्मान की अन्तिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति को बताया कि उसके सुख-समृद्धि के अनुरूप कार्य करने की इच्छा है, यह प्रकट किया था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि उनके राम राज्य की कल्पना में इस दरिद्र नारायण का एक प्रमुख स्थान था ।

महात्मा गांधी जी से एक बार पूछा गया था कि कौन सा कार्य किया जाय और कौन सा कार्य न किया जाय, तो महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि किसी भी कार्य को करने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि समाज के सबसे निर्धन और सबसे निचले वर्ग का भला होता है या नहीं, अगर सबसे निचले वर्ग का भला होता है, तो यह कार्य अवश्य होना चाहिए । मैं यह देखता हूं कि 1992-93 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह तीनों महापुरुषों के विचारों के अनुरूप है । पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने एक विचार जो हमारे सामने रखा था, एकात्म मानव वादक यह बजट उसे सही रूप में चरितार्थ करने के लिए रखा गया है । एक बात की चिन्ता हमें अवश्य करनी पड़ेगी कि बजट में कभी-कभी कुछ कमियां रह जाती हैं और इस बात की चिन्ता है कि धन कहीं सुपात्र को न मिले और कहीं कुपात्र को मिल जाय । मेरा विश्वास है कि इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा कि सुपात्र को धन मिले और कुपात्र को न मिले । मान्यवर, इस बजट में मैंने देखा कि सबसे अधिक रुपया गांव और गरीबों पर खर्च किये जाने का प्राविधान है । प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं कि उसने ऐसी सरकार बनाई । इस सरकार ने उसकी वास्तविक आकांक्षाओं और योजनाओं के अनुरूप यह बजट रखा है और 60 प्रतिशत बजट का धन जनता और किसानों के लिए रखा है । इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं । जब हमने कहा था कि हमको परखो एक बार, तो उसके पीछे कुछ बात थी । यह ऐसा बजट है जिसके अध्ययन करने से यह लगता है कि इसको इस प्रकार बनाया गया है कि कोई कमी नजर नहीं आती है ।

अगर पूज्य महात्मा गांधी जी भी आज होते और कहीं वह वित्त मंत्री या मुख्य मंत्री के स्थान पर होते, तो वह भी इससे अच्छा बजट नहीं बना पाते । हमारे माननीय वित्त मंत्री ने बहुत अच्छा बजट हम लोगों को दिया है । मान्यवर, एक बात और भी है कि कार्य धीरे-धीरे होते रहते हैं, कोई कार्य एक साथ नहीं होता है । गरीबी को एक क्षण में तो नहीं मिटाया जा सकता है । यह बजट गरीबी मिटाने की शुरुआत है, ऐसा मेरा विश्वास है ।

बजट में रोजगार के अवसर बहुत दिये हैं । 50 लाख बेरोजगारों के लिये इस बजट में प्राविधान किया गया है । 50 करोड़ रुपया बे बे रोजगारों के लिये रखा गया है । यह इस बजट की सफलता है । मैं राय बरेली जिले के सरैनी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं । हमारे जिले में एक छतोह ब्लाक है । यह भूतपूर्व प्रधान मंत्री का चुनाव क्षेत्र था और उस समय बहुत सी घोषणायें की गयीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर एक भी हाई स्कूल नहीं है । मेरे क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनमें बाबा ने शिक्षा प्राप्त की और नाती ने भी शिक्षा प्राप्त की और आज तक वह जूनियर हाई स्कूल का जूनियर हाई स्कूल ही है । मैं उनके नाम भी बताना चाहता हूं कि खजूरगांव और बेहटा कलां में लगभग 1,200 साल से जूनियर हाई स्कूल के जूनियर हाई स्कूल बने हुये हैं । मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के बजट पर काफी धन रखा है और मैं आशा करता हूं कि खजूरगांव और बेहटा कलां में हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाये । नीवी नाम का एक गांव है, वहां पर एक कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की नितान्त आवश्यकता है । घोरवारा में हाई स्कूल है, वहां पर इण्टरमीडिएट नहीं है और उसके

आस पास भी कोई इण्टर कालेज नहीं है । इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी ने निवेदन है कि वहां पर एक इण्टर कालेज खोलने की व्यवस्था की जाये ।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी नहरें हैं जिनमें 20-20 वर्ष से पानी नहीं आया है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस बजट से उसकी सफाई की व्यवस्था की जाये और नहरों का पानी टेल एण्ड तक पहुंचाया जाये । मान्यवर, रायबरेली जिले में 6 सौ किलोमीटर ऐंसी सड़कें हैं, उनकी हालत ऐसी है कि उनकी जो गिट्टी है वह निकल कर बाहर हो गयी है और लोगों को उसके कारण चलने में बड़ी परेशानी होती है । सड़कें चलने के लिये बनायी जाती हैं, लेकिन वहां पर हालत ऐसी है कि लाग सड़कें छोड़कर चलते हैं । यह बड़ी गंभीर परिस्थिति है । सरैनी क्षेत्र की स्थिति आज यह है कि वहां का जल स्तर नीचे चला गया है और पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है । वहां पर प्राइवेट हैंड पाइप फेल हा गये हैं, केवल इंडिया टाइप-टू सफल हुये हैं, तो मेरा निवेदन है कि शासन की ओर से इस ओर ध्यान दिया जाये क्योंकि गर्मी बढ़ते ही पाने का पानी की समस्या भी बढ़ जायेगी । मैं सरकार को धन्यदाद देना चाहता हूं कि उसने गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इन्सान, बेरोजगार नौवजवान, नारी का सम्मान दलितों, पिछड़ों श्रमिकों और शोषितों के उत्थान के लिये अपनी प्राथमिकतायें तय की हैं । मैं पं० दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों को फिर आपके सामने रखना चाहता हूं । "ग्रामों में जहां समय अचल खड़ा है, जहां माता और पिता अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में असमर्थ हैं, जब तक हम उनमें आशा और पुरुषार्थ का संदेश नहीं पहुंचा पायेंगे, तब तक हम राष्ट्र के चैतन्य को जागृत नहीं कर सकेगे । हमारी श्रद्धा का केन्द्र, आराध्य और उपास्य, हमारे पराक्रम और प्रयत्न का उपकरण तथा उपलब्धियों का मापदण्ड वह मानव होगा, जो आज शब्दशः अनिकेत और अपरिग्रही है" यह जो विचार हैं, उन्हीं के अनुरूप हमारा बजट प्रस्तुत किया गया है और वास्तव में यह एक ऐतिहासिक बजट है । इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

'श्री राम चन्द्र चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

चौधरी जी नहीं है, चर्चा जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 30 मार्च, 1992 की कार्यसूची की मद संख्या–9 तथा 10 पर लगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण के संबंध में माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कतिपय कारणोंवश उक्त विधेयक स्थगित करने एवं उस पर विचार एवं पारण हेतु उसे दिनांक 7 अप्रैल, 1992 को सदन में लिये जाने हेतु अनुरोध किया है । माननीय मंत्री जी के अनुरोध के अनुसार मैं इसे आज स्थगित करता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 30 मार्च, 1992 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जल विद्युत परियोजना श्रीनगर, गढ़वाल के लिये अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर भू–स्वामियों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार

किया गया और दूसरी सूचना श्री गिरधारी लाल की जनपद गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस चौकी सहनिंदा की पुलिस द्वारा कथित रूप से प्रतिष्ठित नागरिकों के विरुद्ध फर्जी मुकदमें कायम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया ।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में एम० बी० बी० एस० फाइनल की परीक्षा स्थगित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री–(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में एम० बी० बी० एस० फाइनल की परीक्षा को अनायास स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप छात्रों में भारी रोष और क्षोभ व्याप्त होने तथा जूनियर डाक्टर एसोसियेशन और स्टूडेन्ट्स यूनियन के कालेज के प्रधानचार्य और उन्हीं के अध्यक्ष से मा० मुख्य मंत्री जी को विरोध पत्र लिखकर तुरन्त परीक्षा कराये जाने की मांग के संबंध में मा० विजय सिंह राणा एवं मा० विजय पाल सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अंतर्गत मा० अध्यक्ष, विधान सभा से अनुरोध किया गया है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य दिलानें की कृपा करें ।

इस संबंध में प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा ने अवगत कराया है कि बैच, 1987 के एम० बी० बी० एस० छात्रों की फाइनल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षा को कब कराया जाना उचित होगा, यह विषय विचाराधीन था । इस बैच के छात्रों ने द्वितीय प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षा 2 फरवरी, 1991 को उत्तीर्ण की थी । मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के नियमानुसार द्वितीय प्रोफेशनल एवं फाइनल प्रोफेशनल एम० बी० बी० एस० यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के बीच में कम से कम डेढ़ वर्ष (18 माह) का अन्तर होना अनिवार्य है । अतः 1987 बैच के छात्रों की फाइनल प्रोफेशनल एम० बी० बी० एस० यूनिवर्सिटी परीक्षा माह अप्रैल, 1992 में कराया जाना संभव नहीं है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल की हिण्डोला खाल हिंसरिया खाल ग्राम समूह पेयजल योजना के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलती कटियार)–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल में हिण्डोला खाल– हिंसरिया खाल ग्राम समूह पेयजल योजना का मूल प्राक्कलन वर्ष 1979-80 में अनुमानित लागत रु० 344.75 लाख का बनाया गया था ।

समाज कल्याण मंत्री–(श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

यदि सदन सहमत हो तो इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

[योजना पर कार्य अक्टूबर, 1980 में प्रारम्भ किया गया तथा जलापूर्ति वर्ष 1986 में आरम्भ की गई । मूलतः योजना में 159 ग्राम सम्मिलित/प्रस्तावित थे परन्तु बाद में 8 अन्य ग्राम और सम्मिलित किये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किये गये । इस प्रकार योजना में कुल 167 ग्राम है । योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन वर्ष 1988 में अनुमानित लागत रु० 917.20 लाख का बनाया गया है जिसके समक्ष अब तक रु० 917.20 लाख व्यय हुआ है । योजना का पुनरीक्षण निम्न कारणों से आवश्यक हुआ:–

(1) योजना का मूल प्राक्कलन वर्ष 1977 में बना था जबकि कार्य वर्ष 1980-81 में प्रारम्भ होकर वर्ष 1991 तक किये गये । इस अवधि में मजदूरी व सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी ।

(2) योजना में तीन के स्थान पर चार स्टेज पम्पिंग होने के कारण एक अतिरिक्त पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया गया तथा योजना के 39 ग्रामों को गुरुत्व श्रोत से जोड़ने के कारण लगभग 18 किलोमीटर पाइप लाइन अतिरिक्त डाली गई ।

(3) विद्युत विभाग द्वारा पर्याप्त क्षमता की विद्युत लाइनों के लिये अतिरिक्त भुगतान लिया गया ।

(4) 8 अतिरिक्त ग्रामों को सम्मिलित किया गया ।

2–योजना के 167 ग्रामों में से 39 ग्रामों को जिनमें स्थानीय गुरुत्व श्रोतों से जलापूर्ति होती है, प्रस्ताव के अनुसार 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के अनुसार पेयजलापूर्ति की जा रही है । अवशेष में से 126 ग्रामों को प्रस्तावित 70 के स्थान पर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है तथा दो ग्रामों नामतः नौली व भौसी में अन्तिम छोर पर होने के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा है ।

3–योजना के लिये कच्चा पानी मुख्य रूप से चन्द्रभागा गधेरे से लिया जाता है जो वर्ष के 9 माह कच्चे पानी की आपूर्ति करता है । शेष तीन माह 15 मार्च से 15 जून की अवधि में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा खेतों में पानी लेने के कारण अलकनन्दा नदी में बनाये गये इन्टेक वैल से कच्चा जल लेने की आवश्यकता पड़ती है । इस कच्चे पानी को बागवान में बनाये गये शोधन प्लांट में शोधित कर पम्प किया जाता है । पम्पिंग चार स्टेज में की जाती है । प्रथम पम्पिंग स्टेशन बागवान तथा अन्य तीन पम्पिंग स्टेशनों पर 2 पंप एवं 1 स्टैंडबाई पंप, इस प्रकार कुल तीन पंपों एवं एक राइजिंग मेन के माध्यम से पानी पम्प किया जाना प्रस्तावित है । योजना में कुल 2764 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता है तथा पर्याप्त जलापूर्ति के लिये दो पम्पों का चलना आवश्यक है परन्तु पर्याप्त क्षमता की विद्युत लाइनें न होने के कारण एक पम्प ही चलाया जा पा रहा है । इस प्रकार 588 किलोलीटर पानी गुरूत्व से व 1296 किलोलीटर प्रतिदिन पम्पिंग से दिया जा रहा है ।

4–बागवान जहां से पानी लिफ्ट किया जाता है, वहां कोई पाइप नही फटा है । स्वीकृत योजना में एक ही राइजिंग मेन का प्राविधान था तथा उसी के अनुसार कार्य कराया गया है । यह राइजिंग मेन नहीं फटी है तथा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है । वितरण प्रणाली में यदि कोई लीकेज होती है तो उसे यथाशीघ्र ठीक करा दिया जाता है । पानी पर्याप्त मात्रा में न दिये जा पाने का कारण, विद्युत लाइनों की क्षमता पर्याप्त न होना है ।

5–दो आवश्यक पम्पों को एक साथ चलाने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा एक सब-स्टेशन बागवान में स्थापित किया जा रहा है जिसका कार्य प्रगति पर है । विद्युत परिषद् द्वारा यह कार्य जून, 1992 तक पूर्ण कराने की सूचना दी गई है । सब–स्टेशन चालू होने पर 11 के० वी० ए० के स्थान पर 33 के० वी० ए० की लाइनें उपलब्ध हो जायेगी तथा पम्पिंग से 1296 किलोलीटर जल प्रतिदिन और प्राप्त हो सकेगा तथा समस्त ग्रामों को प्रस्तावित 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति संभव सकेगी ।

6–वर्तमान में पेयजल वितरण हेतु योजना के सम्पूर्ण क्षेत्र में 350 कि० मी० पाइप लाइन बिछाई गई है तथा 500 जल स्तम्भों का निर्माण किया गया है परन्तु ग्रामों में आन्तरिक प्रणाली आवश्यक है । इस क्रम में तीन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, जिनकी लागत क्रमशः रु० 20.415 लाख रु, 27.7 लाख तथा रु० 27.40 लाख है ।

7–योजना के रखरखाव पर पिछले तीन वर्षों में औसतन लगभग रु० 37.00 लाख प्रतिवर्ष का व्यय हुआ है । इस वर्ष भी रखरखाव पर लगभग रु० 35.00 लाख व्यय हो चुका है तथा ग्रामों को उपरोक्तानुसार पेयजलापूर्ति की जा रही है ।]

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊः

30 मार्च, 1992

[redacted],

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

सत्यमेव जयते

"अनुबंध"

(देखिये नत्थी 'घ' का ता० प्र० सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17–18 पर)

संलग्नक

प्रदेश के विभिन्न विभागों में विद्यमान आशुलिपिकों के पद पर भारत सरकार के सादृश्य पर सम्बद्ध अधिकारियों के वेतनमान के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया है:–

क्र० सं०	अधिकारी, जिसके साथ आशुलिपिक संबद्ध हो, का वेतनमान (रु०)	आशुलिपिक का वेतनमान (रु०)
1	रु० 3000-4500 तथा रु० 3700-5000 से कम	1200-2040
2	रु० 3700-5000 और इससे अधिक किन्तु रु० 5100-5700 से कम	1400-2600
3	रु० 5100-5700 और इससे अधिक किन्तु रु० 5900-6700 से कम	1640-2900
4	रु० 5900-6700 या इससे अधिक	2000-3200

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ- 23–24 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक।

राजपत्रित संवर्ग

रिक्त पदों की संख्या	अवधि
1	जनवरी, 1983 से
8	वर्ष 1988-89 से
26	वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 से
9	दिनांक 14 अगस्त, 1987 से
5	अक्टूबर, 1991 से
18	वर्ष 1990-91 से
552	वर्ष 1990-91 से
20	वर्ष 1991-92 से
1	1 मार्च, 1990 से
2	जुलाई, 1991 से
12	जुलाई, 1991 से

पदनाम

1– संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (कास्ट)
2– उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी
3– संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी (विभागीय प्रोन्नति)
4– संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी (सीधी भर्ती)
5– जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

लेखा परीक्षा संवर्ग

1– लेखा परीक्षा
2– ज्येष्ठ लेखा परीक्षक (ग्रेड-1)

लिपिकीय संवर्ग

1– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
2– कार्यालय अधीक्षक/मुख्य लिपिक संभाग
3– वरिष्ठ सहायक

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ- 25 पर)

योजनाओं की सूची

1–रा० उ० मा० वि० में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण ।

2–रा० उ० मा० वि० में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नये विषयों का समावेश ।

3–सहायता प्राप्त उ० मा० वि० में पुस्तकालयों का सम्बर्धन ।

4–ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के सहायता प्राप्त उ० मा० वि० में पढ़ रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा ।

5–पूर्व माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना ।

6–वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना ।

7–रा० उ० मा० वि० में पत्राचार सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना ।

8–अशासकीय उ० मा० वि० में पत्राचार अध्ययन सतत सम्पर्क योजना ।

9–विज्ञान गणित अध्यापकों की नियुक्ति ।

10–आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण की योजना ।

11–उत्कृष्ट अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान ।

12–केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजना ।

नत्थी 'ग (1)'

(देखिये अता० प्र० सं० 112 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50–51 पर)

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्य का विवरण वर्षवार एवं मदवार निम्न प्रकार है:–

ग्राम सभा का नाम	वर्ष	जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त कुल धनराशि	कराये गये कार्य का नाम	व्यय धन
1	2	3	4	5
विशम्भरपुर	1989-90	39,230.00	जिला परिषद रोड मातादीन के घर तक मिट्टी कार्य ।	6777.00
			संत गौड के घर से गजराज यादव के घर तक मिट्टी एवं ईंट का टुकड़ा ।	1400.00
			निर्बल वर्ग आवास	5002.00
			संतगौड के घर से द्वारिका हरिद्वार शिव यादव के घर तक खड़ंजा ।	7970.00
			कूप मरम्मत	3712.0
			जिला परिषद् की सड़क से हरिनारायन राय के घर तक खड़ंजा ।	11916.00
			स्टेशनरी आदि पर व्यय	2338.00
			योग–	39115.00
	1990-91	26877.00	जि० प० की सड़क से श्रीराम राय के दरवाजे तक मिट्टी कार्य	2034.00

1	2	3	4	5
			ललनराय के घर से श्री कोइरी के घर तक मिट्टी कार्य ।	560.00
			श्री भगवान के घर से लाला गौड के घर तक मिट्टी कार्य ।	2880.00
			लाला गौड से विक्रमा के घर तक मिट्टी कार्य ।	2000.00
			श्री भगवान से विक्रमा के घर तक सोलिंग कार्य ।	19122.00
			मातादीन के घर से अवधेष राय के घर तक मिट्टी कार्य ।	954.00
			योग–	27550.00
	1991-92	22795.00	ईट क्रय 5000 अदद	35000
			गांव सभा को कुल प्राप्त धनराशि ।	88902.00
			प्राप्त ब्याज की धनराशि ।	828.00
			योग–	897300.00
			विकास कार्यों पर व्यय की गई धन-राशि ।	70165.00
			ग्राम सभा के खाते में अवशेष धनराशि ।	19346.00
			ग्राम प्रधान के पास अवशेष नकद धन-राशि ।	219.00
			योग–	89730.00

इस प्रकार कुल रू० 19565.10 का उपयोग इस वित्तीय वर्ष में किया जाना है ।

परिशिष्ट 'घ'

देखिये अता० प्र० सं० 163 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

विवरण बाबत मौजा "ज्ञानपुर इमाम अली" परगना औरैया, जिला इटावा गाटा सं० 42 व उसके समीपवर्ती भूमि के विक्रय के प्रति वर्ग फीट निर्धारित बाजार मूल्य जिसके अधीन वर्ष 1989-90-91 में स्टाम्प शुल्क प्राप्त हुआ बाबत अनुपालन जि० नि० आदेश पत्रांक शून्य/स्टाम्प लिपिक दिनांक 25-2-92

मौजा–ज्ञानपुर इमाम अली 1-4-89 से क्रमशः

वर्ष 1989-90

प्लाट का क्षे० फ० वर्ग फुट में	विक्रेता का नाम	प्रलेख की मालियत	दी गई दर प्रति वर्ग फुट	स्टाम्प शुल्क जो प्राप्त हुए
1	2	3	4	5
1500 वर्ग फीट	सुषमा देवी	22500/-	15.00	2812.50
840 ,,	मूल चन्द्र	17000/-	20.00	2125.00
1500 ,,	मुरादेवी	30000/-	20.00	3725.00
2184 ,,	महेन्द्र मिश्रा	26208/-	12.00	3312.00
800 ,,	राजाराम	10000/-	12.00	1250.00
840 ,,	उर्मिला देवी	17000/-	20.20	2125.00
435 ,,	ईश्वर सहाय	11000/-	25.25	1375.00
वाकै भू० न० 42				
1200 वर्ग फीट	राजकुमारी	18000/-	15.00	2250.00
1500 ,,	मूलन सिंह	22500/-	15.00	2812.50
1500 ,,	भीखम सिंह	30000/-	20.00	3750.00
1800 ,,	भगवती प्रसाद	36000/-	30.00	4500.00
1500 ,,	मूलन सिंह	30000/-	20.00	3750.00
1250 ,,	गोपाल राम	25000/-	20.00	3150.00
1800 ,,	ईश्वर सहाय	37500/-	20.00	4690.00
भू० नं० 56				
1200 वर्ग फीट	राजकुमारी	18000/-	15/-	2250.00
1800 ,,	ईश्वर सहाय	35000/-	20/-	4500.00

1	2	3	4	5
1125 वर्ग फीट	वीरेन्द्र सिंह	17000/-	15/-	2125.00
1200 ,,	राजकुमारी	18000/-	15/-	2250.00
768 ,,	अब्दुल जब्बार	15500/-	20/-	1937.50
1250 ,,	शशी देवी	25000/-	20/-	3125.00
3000 ,,	मुरादेवी	60000/-	20/-	7500.00
2071 ,,	मनोरमा देवी	52000/-	25/-	6500.00
1500 ,,	रामदत्त	37500/-	25/-	4690.00
1500 ,,	अवध नरायन	37500/-	25/-	4687.50
1800 ,,	सुन्दर लाल	45000/-	25/-	5625.00
1500 ,,	मूलन सिंह	48000/-	32/	6000.00
1500 ,,	रामदत्त	42500/-	28/-	5312.50
1200 ,,	अम्बिका सिंह	34000/-	28/-	4250.00
1500 ,,	शेष नरायन	42000/-	28/-	5250.00

विवरण मौजा ज्ञानपुर इमामअली 1991

1-1-91 से 31-3-91 तक

1	2	3	4	5
1500 वर्ग फु०	रामवती	42000/-	28/-	5250.00
1500 ,,	रामदत्त	42000/-	28/-	5250.00
1800 ,,	ईश्वर सहाय	50500/-	28/-	6312.50
भू० नं० 57 मि०				
900 वर्ग फीट	विनोद कुमार	25500/-	28/-	3187.50
1800 ,,	शिव कुमार	54000/-	30/-	6750.00
1200 ,,	रामकुमार	34000/-	28/-	4250/-
1500 ,,	कमलेश कुमार	42000/-	28/-	5250/-
750 ,,	लक्ष्मी कांत	21000/-	28/-	26.25/-
1800 ,,	सेवा राम	50500/-	28/-	6312.50

टिप्पणी: अ–समान्यता प्लाटों में भूमि के नम्बर नहीं अंकित हैं केवल तीन अभिलेख ही भूमि नं० सहित हैं जो दर्शाये गये हैं ।

ब–समस्त दरें निर्धारित बाजारू मूल्यान्तर्गत हैं ।

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 187 का उत्तर पीछे पृष्ठ 70–71 पर)

निदेशकों के लिये अवज्ञा एवं निषेध के संबंध में भारत सरकार तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मार्ग-निर्देशन की सूची निम्नलिखित है:–

कर्तव्य:–

1–नियमित एवं प्रभावपूर्ण तरीके के रूप में बोर्ड की बैठकों में भाग लें ।

2–बोर्ड प्रपत्रों का गहन अध्ययन करें तथा किसी भी सूचना की आवश्यकता होने पर बैंक के कार्यपालक अधिकारी से सम्पर्क करें ।

3–अध्यक्ष से आपको बोर्ड प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु आग्रह करें तथा आख्याओं का सूची पत्र में निर्धारित समय अनुसार अनुवर्तन करें ।

4–स्वयं को सामान्य नीतियां तैयार करने में पूर्णतः समर्पित रखें तथा ध्यान रखें कि बैंक के मामलो में पर्याप्त श्रेष्ठता बरकरार रहे ।

5–बैंक के स्पष्ट उद्देश्य तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित नीतियों से अवगत रहें ।

6–बैंक को बेहतर प्रशासन के लिये सभी सृजनात्मक विचार तथा बहुमूल्य योगदान सदा आमंत्रित हैं ।

7–आपको एक दल के रूप में कार्य करना है न कि एक प्रायोजक के रूप में तथा व्यक्तिगत प्रस्तावों के विरुद्ध अन्यायपूर्ण धारणा न रखें । प्रबन्धतंत्र से अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण तथ्य तथा समस्त प्रपत्र अग्रिम रूप में प्रेषित करें ।

8–जितना भी संभव हो सके अपनी अधिकतम बुद्धिमत्ता, ज्ञान तथा मार्ग निर्देशन प्रबन्धतंत्र को प्रदान करने का प्रयास करें ।

9–अर्थ व्यवस्था के झुकाव का विश्लेषण करनेका प्रयास करें, प्रबन्धतंत्र द्वारा समुदाय के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन में सहयोग करें तथा ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिये सूत्र तैयार करें तथा सामान्य तौर पर बैंक के प्रबंधतंत्र को सृजनात्मक सहयोग प्रदान करें ।

निषेध:–

1–बैंक के किसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोई भी निर्देश प्रेषित न करें । और न ही किसी भी अधिकारी विशेष को किसी मामले में निर्देशन प्रदान करें । ऐसे मामले बैंक के कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से आने चाहिए ।

2–स्वयं को कार्मिक प्रबन्धन के किसी भी मामले से न जोड़े चाहे वह स्थानान्तरण, नियुक्ति, अथवा पदोन्नति का हो, अथवा किसी कार्मिक विशेष के उत्पीड़न को पुनः सुनने का मामला हो ।

3–बैंक के दिन प्रतिदिन के कार्मकलापों मे हस्तक्षेप न करें ।

4–किसी विशेष शाखा प्रबन्धक पर ऐसी कोई सुविधा प्रदान करने हेतु बल न दें जिसे प्रदान करने के लिये वह अधिकृत न हो तथा उसे प्रदान करने की वरीयता न रखता हो ।

5–स्वयं को प्रतिदिन के व्यवसाय तथा प्रबन्ध के कार्यकलापों में शामिल न करें ।

6—यदि कोई ऐसा मुद्दा विचार विमर्श हेतु आता जिसमें आपकी प्रत्यक्ष अथवा रूचि निहित है तो कृपया उस विचार विमर्श में शामिल न हो तथा अपनी रूचि के संबंध में कार्यपालक अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व अवगत करा दें ।

7—बैंक के किसी भी मौलिक अंश के संबंध में किसी बाहरी व्यक्ति को किसी प्रकार की सूचना प्रदान न करें क्योंकि आप गोपनीयता तथा निष्ठा हेतु शपथवद्ध हैं ।

8—जहां तक संभव हो निदेशकों को बैंक के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर बुलाना नहीं चाहिए तथा न ही ऐसे अधिकारियों को किसी मामले में निर्देश प्रदान करने चाहिए ।

9—किसी भी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क करने पर उसे प्रोत्साहन प्रदान नहीं करना चाहिए ।

विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—एल० 174 विधान सभा (277)—1993—572 (डी० टी० पी०) ।